Monday, 27 August, 1962

लोक-सभा वाद-विवाद

तृतीय माला

खण्ड ७, १९६२/१८८४ (शक)

[२० से ३१ अगस्त, १९६२/२९ श्रावण, से ९ भाद्र, १८८४ (शक)]

3rd Lok Sabha

Preservation 14-5-92
Fumigated On 8.12.83
Parliament Library

दूसरा सत्र, १९६२/१८८४ (शक)

(खण्ड ७ में अंक ११ से २० तक हैं)

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

लोक सभा वाद-विवाद

लोक-सभा

सोमवार, २७ अगस्त, १९६२

५ भाद्र, १८८४ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

भविष्य निधि में अंशदान

+
†*६१२. { श्री स० मो० बनर्जी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

श्रम और रोज़गार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भविष्य-निधि के अंशदान की दर ६ १/४ प्रतिशत से बढ़ा कर ८ १/३ प्रतिशत करने के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इस असाधारण विलम्ब के क्या कारण हैं ?

†**श्रम और रोज़गार मन्त्रालय में श्रम मन्त्री (श्री हाथी)** : (क) हां । कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, १९५२ के अन्तर्गत सिगरेट, बिजली, मशीनी और सामान्य इंजिनियरी उत्पादों, लोहा और इस्पात तथा कागज़ उद्योगों में भविष्य निधि के अंशदान की दर मूल वेतन, महंगाई भत्ता तथा रखाव भत्ता का ६ १/४ प्रतिशत से बढ़ाकर ८ प्रतिशत करने के लिए एक विधेयक २२ अगस्त १९६२ को राज्य सभा में पुरःस्थापित किया गया था ।

कोयला खान भविष्य निधि योजनाओं के अन्तर्गत अंशदान की दर १ अक्टूबर, १९६२ से कुल उपलब्धियों के ६ १/४ प्रतिशत से बढ़ाकर ८ प्रतिशत करने के लिए आवश्यक अधिसूचनायें जारी कर दी गई हैं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

1781 (Ai) LSD—1.

†**श्री स० मो० बनर्जी** : भविष्य निधि अंशदान को ६$^1/_4$ प्रतिशत से बढ़ाकर ८$^1/_3$ प्रतिशत न करने के क्या विशेष कारण हैं ? इसे बढ़ाकर ८$^1/_3$ प्रतिशत में मालिकों को क्या विशेष आपत्ति थी ।

†**श्री हाथी** : कोई विशेष आपत्ति न थी, परन्तु हमने विचारा कि गणना के लिए ८ प्रतिशत रखना उचित होगा ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या सरकार इस दृष्टि से आवश्यक कार्यवाही कर रही है कि यह वृद्धि अन्य उद्योगों में भी लागू हो; यदि हां, तो क्या कार्यवाही की जायेगी ?

†**श्री हाथी** : हम इसकी जांच करने के लिए एक समिति नियुक्त कर रहे हैं कि अन्य कौन कौन उद्योग इस योजना के अन्तर्गत लाया जा सकता है, दर कितनी हो, क्या यह सब करना संभव होगा । हमने इस संबंध में कार्यवाही करना आरम्भ कर दी है ।

†**श्री प्रभात कार** : क्या सरकार ने यह योजना बैंक उद्योग के कर्मचारियों के सहित सभी वाणिज्यिक कर्मचारियों पर लागू कर दी है ?

†**श्री हाथी** : ६$^1/_4$ प्रतिशत से बढ़ाकर ८ प्रतिशत की गई वृद्धि चार उद्योगों में लागू की गई है ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : सरकार ने दो या तीन उद्योगों को किन कारणों से शामिल नहीं किया जब कि उनकी जांच की गई थी, विशेष कर सूती कपड़ा और पटसन कपड़ा उद्योग ?

†**श्री हाथी** : इस कार्य के लिए बनाई गई समिति ने पहिले सिफारिश की थी कि ये चार उद्योग वृद्धि सहन कर सकते हैं और इसलिए यह योजना चार उद्योगों में लागू की गई । यह इस टेक्निकल समिति की सिफारिश पर किया गया । अन्य उद्योगों के बारे में हमने फिर इस समिति से जांच करने को कहा है ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : मेरा प्रश्न ठीक से नहीं समझा गया ।

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्होंने विशिष्ट कारण बता दिये हैं कि अन्य उद्योग क्यों शामिल नहीं किय गये ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : उनकी जांच पहिले ही की जा चुकी है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्होंने कहा कि इस समिति ने सिफारिश की थी कि पहिले इसे इन उद्योगों में लागू किया जाये तथा अन्य उद्योगों को शामिल करने के प्रश्न की जांच की जा रही है ।

श्री कछवाय : मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस विषय में मजदूर यूनियन्स के भी विचार लिए गए हैं और यदि लिए गए हैं तो किन किन यूनियन्स के ?

श्री हाथी : जी हां, अभी जो अगस्त महीने में इंडियन लेबर कानफ्रेंस मिली थी उसमें इस बात की चर्चा आयी थी और यह तै हुआ था कि और इंडस्ट्रीज़ के मामले भी कमेटी के सामने पेश किए जाएं और उन की जांच की जाए ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : जिन संस्थाओं में दर बढ़ाई गई है सरकार ने उनमें इस बात की कहां तक जांच की है कि इससे उत्पादन कुशलता में कितनी वृद्धि होती है ?

†श्री हाथी : वास्तव में दर अभी नहीं बढ़ाई गई है क्योंकि अधिनियम में संशोधन करना है । मैंने मुख्य उत्तर में कहा था कि हमने इसके लिए एक विधेयक राज्य सभा में पुरःस्थापित किया है । वस्तुतः यह लागू नहीं हुई है ।

बैंक पंचाट

+

†*६१३. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री विभूति मिश्र :
श्री त्रिदिव कुमार चौधरी :
श्री कोल्ला वेंकैया :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री कछवाय :
श्री बड़े :
श्री राम रतन गुप्त :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :
श्री नम्बियार :
श्री वारियर :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री प्रभात कार :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि न्यायाधीश श्री के० टी० देसाई के पंचाट के अन्तर्गत वाणिज्यिक बकों के ७५,००० कर्मचारियों को अधिक वेतन मिला करेगा ;

(ख) क्या यह सच है कि बैंकों का वर्गीकरण उनके निक्षेप तथा कार्य-विस्तार के आधार पर किया गया है और प्रत्येक वर्ग के लिये अलग वेतन मान और मंहगाई भत्ते की सिफारिश की गई है ;

(ग) सिफारिशों और दूसरे वेतन आयोग की सिफारिशों में कितना अन्तर है ;

(घ) क्या बैंक कर्मचारियों को दिये जाने वाले बोनस (लाभांश) के बारे में अलग से प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जायगा ; और

(ङ) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†श्रम और रोजगार मन्त्रालय में श्रम मन्त्री (श्री हाथी) : (क) हां, बैंक कर्मचारियों को अधिक वेतन मिलेगा ।

(ख) बैंकों का वर्गीकरण संचालन निधि के आधार पर किया गया है । प्रत्येक वर्ग के बैंक के लिए क्षेत्रवार अलग अलग वेतन-क्रम निर्धारित किये गये हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) वेतन-क्रम निर्धारित करने में, न्यायाधिकरण ने अन्य बातों के साथ दूसरे वेतन आयोग की सिफारिशों का भी ध्यान रखा है । बैंक पंचाट तथा दूसरे वेतन आयोग की रिपोर्ट की कापियां लोक-सभा पुस्तकालय में उपलब्ध हैं ।

(घ) बोनस विवाद संबंधी न्यायाधिकरण का पंचाट २० अगस्त, १९६२ के गज़ट में प्रकाशित हो गया है और उसकी कापियां लोक-सभा पुस्तकालय में उपलब्ध हैं ।

(ङ) सरकार ने पंचाट स्वीकार कर लिया है ।

†**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : कर्मचारियों के वेतन में जितनी वृद्धि की सिफारिश की गई है, वह कहां तक आवश्यकता-वस्तुओं के मूल्य के अनुकूल है ?

†**श्री हाथी** : न्यायाधिकरण ने निर्वाह-व्यय देशनांक का और अधिकतम जो भी दिया जा सकता था, उस का ध्यान रखा है ।

†**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या सरकार का विचार अन्य उद्योगों की भांति प्रोत्साहन बोनस की कोई योजना आरम्भ करने का है ?

†**श्री हाथी** : बोनस का प्रश्न भी न्यायाधिकरण को भेजा गया था और उस ने पंचाट दे दिया है ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या मैं यह जान सकता हूं कि बैंक पंचाट दिये जाने के पश्चात् बैंक कर्मचारियों में किसी प्रकार का असंतोष पाया गया है, यदि हां तो उस के समाधान के लिये क्या प्रयत्न किये गये हैं ?

श्री हाथी : कुछ बैंक कर्मचारियों ने किसी किसी बात पर असन्तोष प्रकट किया है ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : बैंक उद्योग में रोज़गार संभावना बढ़ाने के लिये अधिक समय भत्ता सीमित करने के बारे में सरकार का क्या विचार है ?

†**श्री हाथी** : बैंक पंचाट ने निदेश दिया है कि सहमति के साथ और बिना सहमति के अधिक समय काम करने के अधिकतम घंटे कितने होने चाहियें ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या माननीय मंत्री को विदित है कि रिजर्व बैंक के कर्मचारियों के लिये पंचाट के प्रकाशित न होने से बहुत असन्तोष है ? उनके लिये पंचाट कब प्रकाशित होगा ?

†**श्री हाथी** : आशा है कि रिजर्व बैंक पंचाट सितम्बर के पहिले सप्ताह तक आ जायगा ।

श्री बड़े : बैंक एम्पलाईज़ के तीन ग्रेड, ए० बी० सी०, कर दिये गये हैं और उनके ही अनुसार पगार निश्चित की गई है । क्या बैंक कर्मचारियों ने यह शिकायत की है कि ये ए० बी० सी० ग्रेड्स नहीं होनी चाहिये ?

†**श्री हाथी** : ऐसी किसी शिकायत का तो मुझे पता नहीं ।

†**श्री श्यामलाल सर्राफ** : क्या अनुसूचित तथा अनुसूचित सभी बैंक क, ख और ग श्रेणियों में विभाजित हो गये हैं और यदि हां, तो क्या पंचाट उन सब पर लागू होता है ?

†**श्री हाथी** : पंचाट ने यह सारी बातें स्पष्ट कर दी हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री वारियर : जिन बैंकों पर यह पंचाट लागू नहीं हुआ है क्या उन के बारे में कोई कार्य-वाही की जायेगी या यही पंचाट उन पर भी लागू किया जायेगा ?

†श्री हाथी : पंचाट ८४ बैंकों पर लागू हुआ है । रिजर्व बैंक कर्मचारियों के लिये दूसरा पंचाट होगा ।

†श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या सरकार ने इस बात का ध्यान रखा है कि बैंक कर्मचारियों का केवल ८० प्रतिशत वेतन की ही भविष्य निधि के अंशदान के लिये गणना की जायेगी जो स्वयं भविष्य निधि अधिनियम के विरुद्ध है ?

†श्री हाथी : सरकार ने इस सिफारिश और निदेश का ध्यान रखा था । परन्तु हमें यह भी देखना है कि मूल वेतन बढ़ गया है ।

†श्री रामसेवक यादव : बैंक पंचाट के बाद क्या किन्हीं कर्मचारियों के वेतन में कुछ कटौती हुई है ?

†अध्यक्ष महोदय : यही तो उन्हों ने बताया है ।

†श्री नम्बियार : क्या यह सच नहीं है कि पहिली बार ही भविष्य निधि तथा उपदान के अंशदान की गणना करने के लिये वेतन, आदि की केवल ८० प्रतिशत राशि की गणना की जायेगी ? यह उत्तम प्रक्रिया है, देश में इस प्रकार की पहिली ही प्रक्रिया है ?

†श्री हाथी : इन सब बातों पर बुद्धिमत्तापूर्ण विचार किया गया था । निर्णयकर्ता अधिकारी ने इस का ध्यान रखा है और इस का पर्याप्त कारण बताया है कि उस ने यह निश्चय क्यों किया है ।

†श्री प्रभात कार : क्या सरकार को विदित है कि इस पंचाट के परिणामस्वरूप कर्मचारियों की उपलब्धियां कुछ मामलों में कम हो गई हैं ? ऐसे मामलों में सरकार क्या करेगी ?

†श्री हाथी : मैं नहीं समझता कि उपलब्धियां कम हो गई हैं । इस के प्रतिकूल वेतन बढ़ गया है । हां, महंगाई भत्ता मूल वेतन में मिला दिया गया है । भविष्य निधि के अंशदान के लिये ८० प्रतिशत वेतन माना जाये, यह नई बात है । परन्तु वेतन किसी भी मामले में कम नहीं हुआ है ।

भारी रसायन और भेषजीय रसायन का निर्यात

+

†*६१४. { श्री सुबोध हंसदा :
डा० पू० ना० खां :
श्री बसुमतारी :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों में भारी रसायन और भेषजीय रसायन की बहुत मांग है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इन देशों की मांग को पूरा करने के लिये निर्यात बढ़ाने हेतु सरकार क्या कदम उठा रही है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मन्त्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) हां, श्रीमान ।

(ख) निम्नलिखित कार्यवाही की गई है :

(१) निर्यात के बदले कच्चे सामान, पुर्जे व मशीनों का आयात की अनुमति देने के लिये एक विशेष निर्यात संवर्धन योजना चालू है ।

(२) उत्पादन शुल्क और आयात शुल्कों को वापस दिया जाता है ।

(३) कुछ कच्चे सामान तथा निर्मित उत्पादों पर रेलवे भाड़ा में कुछ कमी की गई है ।

(४) महत्वपूर्ण दक्षिण पूर्व एशियाई बाजारों को कुछ रासायनिक उत्पाद भेजने पर भाड़ा कम किया गया है ।

(५) रसायन तथा संबंधित उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद् ने थाईलैण्ड, बर्मा, सिंगापुर, हांगकांग और सीलोन के सर्वेक्षण किये हैं, वहां व्यापार प्रतिनिधि मण्डल भेजे थे, बर्मा और थाईलैंड में संवाददाता नियुक्त किये और निर्यात बढ़ाने के लिये अन्य अनेक कार्यवाही कर रही हैं ।

†**श्री सुबोध हंसदा** : इन दोषयुक्त औषधियों आदि के निर्माण के विरुद्ध प्रकार-नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जहां तक प्रभार नियंत्रण के सामान्य प्रश्न का सम्बन्ध है, मैं जल्द ही अनेक उत्पादों, विशेष कर निर्यात होने वाले उत्पादों का प्रकार-नियंत्रण लागू करने के लिये एक विधेयक पुरःस्थापित करूंगा ।

†**श्री सुबोध हंसदा** : विवरण से पता लगता है कि कुछ देशों को व्यापार प्रतिनिधिमण्डल भेजे गये थे और उन में से कुछ देशों में संवाददाता कार्यालय खोले गये। उन देशों को कौन कौन रसायन या संबंधित उत्पादों का निर्यात होगा ?

†**श्री मनुभाई शाह** : रसायन ये हैं : अमोनियम सल्फेट, नाइट्रस आक्साइड, सोडियम बाइक्रामेट, हाइड्रोजन पेराक्साइड आदि । इस वर्ष के पहिले दो वर्षों में इन रसायनों का इन देशों को होने वाला निर्यात पिछले वर्ष की अपेक्षा लगभग तीन गुणा हो गया है ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : रसायन तथा सम्बन्धित उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद् कब बनाई गई थी और क्या उस से निर्यात में कोई सराहनीय वृद्धि हुई है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : हां, श्रीमान यह सर्वथा ठीक निष्कर्ष है । चार वर्ष पहिले इस परिषद् के बनने के बाद इस ने बड़ा ही सराहनीय कार्य किया है । हम इस के कार्यों और विकेन्द्रीकरण करने का विचार कर रहे हैं ताकि उत्तम फल प्राप्त हो। इन रसायनों का कुल निर्यात लगभग २ करोड़ रु० प्रति वर्ष हुआ है । ये वस्तुयें पहिली बार निर्यात व्यापार में आई हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री भागवत झा आजाद : जो प्रतिनिधिमण्डल और व्यापार एजेन्ट्स, जिन्हों ने अनेक देशों की यात्रा की, क्या उन्हों ने उन देशों में हमारे निर्यात की कुल संभावना की जांच की है ?

†श्री मनुभाई शाह : सामान्यतया, उन देशों में आयात की अनुमति द्वारा निर्यात संभावना का निर्णय किया जाता है। मेरे पास दक्षिणपूर्व एशिया के विभिन्न देशों का आयात विवरण है। यह संभावना हमारे वर्तमान निर्यात की दस गुनी है।

†श्री हेडा : संभावित लाभ हानि तथा व्यापार खोने की संभावना दूर करने के लिये, क्या सरकार भारतीय निर्यातकर्ताओं की गला काटो स्पर्धा समाप्त करने की कोई कार्यवाही कर रही है ?

†श्री मनुभाई शाह : सभी निर्यातों के साथ यह सामान्य बात है जैसाकि माननीय सदस्य ने कहा है। हमें निर्यात संवर्धन परिषद् द्वारा विभिन्न निर्माताओं में सामाजिक तथा आर्थिक अनुशासन पैदा करना है और अधिकतर वस्तुओं के साथ यह काम हमारे सन्तोषानुसार हो रहा है। हम मूल्यों पर एक प्रकार का समझौता करा सके हैं।

†श्री हरि विष्णु कामत : क्या यह सच है कि इन उत्पादों के बारे में, जैसाकि कुछ अन्य पण्य-वस्तुओं और वस्तुओं के बारे में है, भारत को, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में चीन तथा जापान का भारी मुकाबला करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो इस बाजारों में भारतीय वस्तुओं को लोकप्रिय बनाने के लिये सरकार क्या उपाय कर रही है ?

†श्री मनुभाई शाह : यह सही है कि हमें मुकाबला करना पड़ रहा है। स्वाभाविक है विशेष कर उन देशों की भी हमारी जैसी कठिनाइयां हैं। हमारे एशियाई पड़ौसी, जो निर्यात के इन मामलों में बहुत गतिशील हैं, हमारी स्थिति और भी कठिन बना रहे हैं। हमें और मूल्य तथा मात्रा के मामले में भी वैसा ही सुदृढ़ बनना है ताकि इस मुकाबले का मुकाबला किया जा सके। हमें अभी तक अधिक असफलता नहीं हुई है।

†श्री हरि विष्णु कामत : बहुत अधिक नहीं, थोड़ा सा।

श्री म० ला० द्विवेदी : प्रतिवेदन में लिखा है कि रसायन तथा सम्बन्धित उत्पादन निर्यात संवर्धन परिषद् ने थाईलड, बर्मा, सिंगापुर, हांगकांग और लंका में सवक्षण किये हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सर्वे का कोई प्रतिवेदन आपके पास आया है और यदि हां, तो उसमें क्या सुझाव दिये गये हैं और उसमें क्या कार्यवाही होने जा रही है ?

श्री मनुभाई शाह : प्रतिवेदन भी आया है। हमने उसको इश्तिहार किया है, यहां लाइब्रेरी में भी रक्खा है और आनरेबुल मेम्बर साहबान किसी एक मुल्क या सब मुल्कों के सर्वे चाहेंगे तो मैं उसकी नकल भी भेज दूंगा।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

भारत में राकेट छोड़ने वाला केन्द्र

+

†*६१५. श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री भक्त दर्शन :
श्री यलमन्दा रेड्डी :
श्री विभुति मिश्र :
श्री प० कुन्हन :
श्री बसुमतारी :
श्री रवीन्द्र वर्मा :
श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री यु० द० सिंह :
श्री बेरवा कोटा :

क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्र संघ की अन्तरिक्ष प्रविधिक समिति ने सिफारिश की है कि अन्तरिक्ष के अध्ययन के लिये भारत में राकेट छोड़ने वाला केन्द्र स्थापित किया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री दिनेश सिंह) :** (क) और (ख). बाह्य स्थान के शान्तिपूर्ण प्रयोगों पर संयुक्त राष्ट्र समिति की वैज्ञानिक तथा टेक्निकल उपसमिति ने, जिसकी बैठक मई जून १९६२ में जनेवा में हुई थी, सिफारिश की थी कि यथाशीघ्र भू-चुम्बकीय भ-मध्यरेखा पर ध्वनिकारी राकेट छोड़ने की सुविधा दी जाये। प्रस्तावित होस्ट स्टेट के यह अधिसूचित करने पर कि उसने ऐसी सुविधा की व्यवस्था की जाने का प्रबंध पूरा कर लिया है, बाह्य स्थान के शान्तिपूर्ण प्रयोगों पर संयुक्त राष्ट्र समिति को प्रबंधों का पुनरीक्षण करना चाहिये और फिर महा सभा से सिफारिश करनी चाहिये कि सुविधा संयुक्तराष्ट्र स्पान्सरशिप की सुविधा दी जाये। भारत ने 'होस्ट स्टेट' के रूप में कार्य करने का प्रस्ताव किया है। संयुक्त राष्ट्र को सूचित कर दिया है।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या यह सच है कि यदि भारत में ऐसा स्टेशन बन जाता है, तो कुछ अन्य देशों को इस स्टेशन का प्रयोग करने का अधिकार होगा और क्या इसका पूरा या आंशिक व्यय भारत को उठाना होगा ?

†**श्री दिनेश सिंह :** स्थानीय मुद्रा में होने वाला व्यय अधिकतर हमें उठाना होगा। इन प्रयोगों में हमें जो जानकारी या ज्ञान प्राप्त होगा, उसमें सभी साझीदार शामिल होंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या यह सच नहीं है कि कुछ अन्य देशों को जिनसे हम इस स्टेशन की स्थापना करने में सुविधायें मांग सकते हैं, इस अर्थ में इस स्टेशन का प्रयोग करने का अधिकार होगा कि वे अपने कर्मचारी यहां रख सकेंगे और इस स्टेशन का प्रयोग कर सकेंगे ?

†**श्री दिनेश सिंह** : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य का अभिप्राय कि वे देश इस संस्थान में अपने कर्मचारी रखेंगे, अभी सर्वथा स्पष्ट नहीं है। संयुक्त राष्ट्र ब्यौरा तैयार कर रहा है। वे कहते हैं कि इससे प्राप्त होने वाली जानकारी में योजना में भाग लेने वाले सभी भाग लें।

†**श्री दाजी** : होने वाले प्रयोगों और वहां रहने वाले व्यक्तियों पर क्या हमारा पूर्ण नियंत्रण होगा, या यह पूर्णतया संयुक्त राष्ट्र के विवेक पर रहेगा ?

†**प्रधान मन्त्री तथा वैदेशिक कार्य मन्त्री तथा अणु शक्ति मन्त्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : अन्त में यह सब संयुक्त राष्ट्र के विवेक पर है, परन्तु प्रत्यक्षतः यदि वे हमें 'होस्ट स्टेट' मान लेते हैं, तो वे यह नियंत्रण हमें दे देंगे। हां वे समय समय पर निदेश दे सकेंगे।

†**श्री प० कुन्हन** : क्या टेक्निकल समिति ने इस स्टेशन को केरल में त्रिवेन्द्र में स्थापित करने का सुझाव दिया है ?

†**श्री दिनेश सिंह** : इसकी स्थापना भू-चुम्बकीय भ-मध्यरेखा पर कहीं होगी जो केरल राज्य से हो कर जाती है।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या यह सच है कि ध्वनिकारी राकेटों सहित सभी सुविधायें उन देशों के साथ द्विपक्षीय करारों द्वारा दी जायेंगी, जो इस क्षेत्र में प्रगतिशील है, और यदि हां, तो कैसे करार किये जायेंगे, और किस किस देश से करार किया जायेगा ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : हम निश्चित रूप से देशों के नाम नहीं बता सकते। इसके लिए जब तक वे सहमत न हों तब तक ऐसा करना ठीक नहीं है। साधारणतया, अनौपचारिक रूप से हमने उन में से कुछ से प्रार्थना की है और अनेक देशों ने हमारे ऐसा करते के विचार से सहमति प्रकट की है। आशा है कि वे हमारा समर्थन क गे।

†**श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** : क्या यह परियोजना वर्ष १९६४ में सौर्य अध्ययन करने के प्रोग्राम का एक अंग होगी, या इसका उद्देश्य सर्वथा भिन्न होगा ?

†**श्री दिनेश सिंह** : यदि यह स्थापित हो जाये तो इससे उस परियोजना में सहायता मिलेगी।

†**श्री श्रीनारायण दास** : भारत में राकेट छोड़ने के इस स्टेशन के बनने से पहिले, क्या हमारे कर्मचारियों को इसके लाभों का प्रशिक्षण देने की कोई व्यवस्था की गई है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : प्रत्यक्ष है, इसके चालू होने से पहले, हमारे प्रशिक्षित व्यक्तियों को इसका भार संभालना होगा।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, मैं जानना चाहता हूं कि राकेट विज्ञान में हमारे देश में कितनी प्रगति हुई है और भारत में बना सर्व प्रथम राकेट कब आकाश में छोड़ा जायेगा ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : यह तो कोई नहीं कह सकता कि कुछ तरक्की नहीं हुई है। राकेट के विज्ञान में कुछ न कुछ हमारी तरक्की हुई है। एटैमिक एनर्जी से बड़े बड़े बैलूंस दूर दूर तक जाते

---

†मूल अंग्रेजी में

हैं। यह बैलूस् का नहीं है। जाहिर है कि उसके यहां कायम होने से हमें अपने ज्ञान को बढ़ाने का मौका मिलेगा।

लंका में भारतीय उद्भव के राजविहीन व्यक्ति

†*६१६. { **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री बिशन चन्द्र सेठ :
श्री राम रतन गुप्त :
श्री प्रकाश वीर शास्त्री :
श्री अ० ना० विद्यालंकार :
श्री हेम बरुआ :
श्री उमानाथ :
श्री बागड़ी :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री कजरोलकर :
श्री यु० द० सिंह :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को लंका सरकार से उस प्रस्ताव का विवरण प्राप्त हो गया है जिसमें लंका में रहने वाले भारतीय उद्भव के राज्य विहीन व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता स्वीकार करने के लिये प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या यह सच है कि इस विषय पर लंका के उच्चायुक्त और भारत सरकार के अधिकारियों के बीच वार्तायें हुई हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया ?

†**वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) :** (क) नई दिल्ली में लंका के उच्चायुक्त ने भारत सरकार को अनौपचारिक ढंग से प्रस्ताव की मोटी मोटी बातें बताई थीं।

(ख) भारत सरकार ने प्रस्ताव में उल्लिखित ऋण देकर लंका सरकार की सहायता करने में अपनी असमर्थता प्रकट की है।

(ग) हां, श्रीमान।

(घ) अभी बातें आरम्भ हुई हैं और अभी तक कोई निश्चय नहीं किया गया है।

श्री बागड़ी : अध्यक्ष महोदय, इसका हिन्दी में भी तर्जुमा कर दिया जाये।

श्री दिनेश सिंह : (क) वहां से हमारे सामने यह जो प्रोपोज़ल आया है, इसको सिर्फ बहुत सरसरी तौर पर सीलोन के हाई कमिश्नर ने हमको बताया है।

(ख) भारत सरकार ने सीलोन सरकार के प्रति अपना अफ़सोस ज़ाहिर किया है कि उन्होंने हमसे इस स्कीम के सम्बन्ध में जो कर्ज़ मांगा था, वह हम नहीं दे सकेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) जी हां ।

(घ) अभी इस बारे में बातचीत चल रही है ।

†**श्री प्र० चं०बरुग्रा :** सरकार की जानकारी के अनुसार लंका इन राष्ट्रहीन व्यक्तियों को क्या प्रोत्साहन देगी ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन :** धन सम्बन्धी प्रोत्साहन ।

†**श्री प्र० चं० बरुग्रा :** क्या इन राष्ट्रहीन व्यक्तियों को पुनः बसाने की हमारी सरकार की कोई योजना है?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन :** यह लंका सरकार का काम है । मैं नहीं जानती कि इससे हमारा सम्बन्ध है ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : श्रीमन्, क्या मैं जान सकता हूं कि इन भारतीयों की व्यवस्था करन के लिये लंका की सरकार ने हिन्दुस्तान से जो रुपया मांगा था, वह कितना था और उस सम्बन्ध में भारत सरकार ने लंका सरकार को क्या उत्तर दिया ?

†**अध्यक्ष महोदय :** कितनी धन राशि मांगी गई थी ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन :** यदि प्रलोभन योजना कार्यान्वित होती है, तो वे ऋण लेना चाहेंगे । मेरा ख्याल है कि निश्चित राशि का उल्लेख न था, परन्तु यह प्रभावित व्यक्तियों की संख्या पर निर्भर है । यह राशि लाखों रुपयों की होगी ।

†**श्री कजरोलकर :** लंका सरकार ने कैसे प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव किया है ?

अध्यक्ष महोदय : इसका जवाब तो दे दिया गया है ।

†**श्री हेम बरुग्रा :** इस बात को ध्यान में रख कर कि लंका सरकार ने हाल में आदेश दिये हैं और उनसे राष्ट्रहीन व्यक्तियों पर नगर-क्षेत्रों में रोजगार पाने पर प्रतिबन्ध लगा दिया है और साथ ही साथ केवल सिंहलियों को बागानों में काम देने के लिए विधान प्रस्तुत करने का विचार व्यक्त किया है, इन बातों से क्या लाभ होगा क्योंकि वातावरण तो इन उपायों से पहले ही दूषित हो गया है ?

†**प्रधान मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री तथा अणु शक्ति मन्त्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** मैं यह नहीं समझता । यदि वातावरण गन्दा है, तब तो बात करना और भी आवश्यक है ।

श्री यशपाल सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि लंका में कितने भारतीय ऐसे हैं, जिनको वहां की नागरिकता प्राप्त नहीं है और जब वे भारत से निकले हुए हैं, तो वे गृह-विहीन स्थिति में कब तक रहेंगे ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन :** ७ लाख से अधिक ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कांगो

+

†*६१८.	श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : श्री हरिश्चन्द्र माथुर : श्री श्रीनारायण दास : श्री अ० ब० राघवन : श्री पोटटे काटट : श्री यलमन्दा रेडडी :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कटंगा का पृथकत्व समाप्त करने के लिये संयुक्त राष्ट्र संघ से शक्तिपूर्ण कार्यवाही करने को कहा है ;

(ख) क्या कटंगा से विदेशी किराये के सैनिक चले गये हैं ; और

(ग) हमारी सेना को कांगो में कब तक रुकना होगा ?

†वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) हां, श्रीमान । इस दिशा में हमने अपने पूर्ण प्रभाव का प्रयोग किया है ; क्योंकि हमारा विचार है कि यदि कांगों में सामान्यतया तथा स्थिरता पुनः स्थापित करना है और झगड़ा करने वाले विदेशियों का युद्ध-स्थल बनाने से बचाना है तो कटंगा का पृथकत्व समाप्त होना अनिवार्य है ।

(ख) कुछ विदेशी किराये के सैनिक पकड़े गये हैं और उन्हें निकाल दिया गया है । कुछ रहते हैं और कुछ अब भी आ रहे हैं ।

(ग) अभी इस का उत्तर नहीं दिया जा सकता ।

हमने अपनी सेना संयुक्त राष्ट्र के विवेक पर रखी है हम नहीं समझते कि कोई कठोर समय तालिका बनाना हमारे लिये उचित होगा ।

†श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : संयुक्त राष्ट्र के महा सचिव का हाल का प्रस्ताव कटंगा तथा महान शक्तियों ने कहां तक पसन्द किया ?

†श्रीमती लक्ष्मी मेनन : इस का अनुकूल स्वागत हुआ है । उन्हों ने इस का पालन करने की सभी देशों से अपील की है ताकि कांगों में शान्ति स्थापित की जा सके ।

†श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या संबंधित सरकारों ने, यदि कटंगा पृथकत्व बनाये रहे तो, कुछ और आर्थिक बन्धन लगाने की संभावना की जांच की है ?

†श्रीमती लक्ष्मी मेनन : महा सचिव ने अपने प्रस्ताव में यही कहा है ।

†श्री श्रीनारायण दास : क्या किन्हीं कारणों से कांगों में भारतीय कर्मचारियों की संख्या कम की जा सकती है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्रीमती लक्ष्मी मेनन : यह मूल उत्तर में दिया है कि हम ने अपने सैनिक संयुक्त राष्ट्र के विवेक पर रखे हैं और इस समय-सीमा निर्धारित नहीं कर सकते । वे स्थिति बदलते ही लौट आयेंगे ।

†श्री नरेन्द्रसिंह महीड़ा : कांगों में इन सैनिकों पर कितना व्यय होता है ?

†श्रीमती लक्ष्मी मेनन : मेरे पास आंकड़े नहीं हैं ।

†प्रधान मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री तथा अणु शक्ति मन्त्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : व्यय, अतिरिक्त व्यय संयुक्त राष्ट्र उठाता है । हम उन के वेतन आदि का व्यय उठाते हैं । बाकी सारा व्यय संयुक्त राष्ट्र उठाता है ।

†श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मि० थान्ट की योजना में वार्ता का एक स्थान है और अन्तिम स्थान बल प्रयोग करने का है । अब यह योजना किस अवस्था में कार्यान्वित की जा रही है ।

†श्रीमती लक्ष्मी मेनन: मैंने केवल यह कहा था कि ये प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये हैं और एक अपील की गई है। यदि कांगों में अभिरुचि रखने वाले देश उन से सहमत होते हैं, तो निश्चय ही स्थिति में सुधार होगा ।

†श्री हेम बरुआ : क्या यह सच है कि कांगों में भारतीय सैनिक "बल परीक्षण करने का प्रयास कर रहे"[1] और हमारी सरकार भी इसे पसन्द करती है । यदि हां, तो क्या इस की सूचना संयुक्त राष्ट्र को दी गई है ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : ऐसी कोई बात नहीं है ।

†श्री इन्द्रजीत गुप्त: क्या संयुक्त राष्ट्र के महा सचिव द्वारा रखे गये इन प्रस्तावों में मि० जिगा सहित राजनीतिक बंदियों की सुरक्षा का उपबन्ध भी शामिल है ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं समझता हूं कि इस का उन प्रस्तावों से कोई संबंध नहीं है । वह सर्वथा भिन्न मामला है ।

†श्री सोनावने : कांगों में हमारे कितने सैनिक हैं और वे वहां कब से हैं। क्या वहां अधिक समय तक रहने वाले व्यक्ति वापस लाये गये हैं और उन के स्थान पर नये व्यक्ति भेजे गये हैं ?

†अध्यक्ष महोदय : इस का आंशिक उत्तर दिया जा चुका है ।

†श्रीमती लक्ष्मी मेनन : संख्या निरन्तर बदलती रही है । मैं अभी निश्चित संख्या नहीं बता सकती ।

†श्री हरि विष्णु कामत: प्रश्न के भाग (क) के उत्तर से उत्पन्न होने पर क्या इस बारे में प्रैस रिपोर्टों में कोई सचाई है कि कांगों में हमारे कुछ कर्मचारी वहां से वापस बुलाये जायेंगे और संयुक्त राष्ट्र के कार्य के लिये वैस्ट इंडियन भेजे जायेंगे । यदि यह कांगों में स्थिति संभालने का सूचक है तो क्या सरकार कांगों से हमारे सैनिकों को वापस बुलाने के किसी निश्चित प्रोग्राम पर विचार कर रही है ?

†श्रीमती लक्ष्मी मेनन : प्रश्न के प्रथम में व्यक्त विचार गलत है । हमारी सेना को वैस्ट ईंडियन भेजने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Itching for a showdown.

†**श्री हरि विष्णु कामत:** प्रत्यक्षत :, श्रीमान्, प्रधान मंत्री तथा राज्य मंत्री के बीच कुछ मत-भेद है ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** कोई मतभेद नहीं है । कुछ अधिकारी छ या सात, गाजा यूनिट से वापिस बुला लिये गये है, कांगों से नहीं बुलाये गये। हो सकता है कि वे एक या दो अधिकारियों को वापस बुला लें । वे दोनों ही संयुक्त राष्ट्र के अधीन हैं। परन्तु वहां हमारे सैनिकों पर इस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता ।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या मैं व्यक्तिगत स्पष्टीकरण कर सकता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** ऐसी कोई बात नहीं कही गई है जिस से व्यक्तिगत स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो ।

†**श्री हेम बरुआ :** मेरे प्रश्न का आधार संसार के समाचारपत्रों में प्रकाशित सभाचार थे । मैं यह इसलिये कह रहा हूं कि कहीं एसा न हुआ हो कि मैं ने "इंडिया आफ आवर ट्रूप्स" को गलत समझा हो ।

†**अध्यक्ष महोदय :** कोई प्रश्न नहीं है ।

राजनयिक अधिकारियों के लिये फ्लैट

†६१९. {
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में विदेशी राजनयिक अधिकारियों को अत्याधिक मकान किराया देना पड़ता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार ने राजनयिक अधिकारियों के लिये वातानुकूलित फ्लैट बनाने का निश्चय किया है; और

(ग) यदि हां, तो इन फ्लैटों के निर्माण पर कितना व्यय होने का अनुमान है ?

†**वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन):** (क) प्रत्येक मामले में दिया जाने वाला किराया विदेशी राजनयिक अधिकारियों द्वारा मालिक मकान से सीधे तै किया जाता है । संसार की अधिकांश राजधानियों में राजनयिक अधिकारी साधारणतया बस्ती में प्रचलित किरायों से अधिक किराये देते हैं । दिल्ली भी इस नियम का अपवाद नहीं है ।

(ख) और (ग). इस संबंध में अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

†**श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :** इस बात को ध्यान में रखते हुए कि समूची दिल्ली में भावों के अत्याधिक बढ़ जाने के बारे में सामान्य शिकायत है, मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार किसी विधि के द्वारा मकानों के किरायों की इस वृद्धि को रोकने का विचार कर रही है ।

---

† मूल अंग्रेजी में

†श्रीमती लक्ष्मी मेनन : इस विषय में पहले से विधि है, १९३८ का किराया नियंत्रण अधिनियम । यदि मकान के निर्माण के पांच वर्ष पश्चात् अत्याधिक किराया लिया जाय तो किरायेदार मालिक मकान के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही कर सकता है ।

†श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : क्या यह सच है कि हमारे कुछ ऊंचे सरकारी अफसरों के द्वारा तथाकथित किराया जाल बढ़ाया जाता है ? उन में अधिकांश लोगों के अपने मकान दिल्ली में हैं जिनमें वे नहीं रहते किन्तु वे उन को ऊंचे किरायों पर चढ़ा देते हैं, जब कि वे सस्ते सरकारी बंगलों में स्वयं रहते हैं ?

†अध्यक्ष महोदय : यह भिन्न प्रश्न है :

†श्री म० ला० द्विवेदी : अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि जिस तरह से बाकी कैपिटल्ज में किराये ज्यादा हैं, उसी तरह से दिल्ली में भी ज्यादा हैं । मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने पता लगाया है कि दिल्ली में अन्य राज्यों क कैपिटल्स से ज्यादा रेंट चार्ज किया जाता है और एक्गोर्बिटेंट रेंट चार्ज किया जाता है, यदि हां तो इस को कम करने के क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

†श्रीमती लक्ष्मी मेनन : उन को दिल्ली के किराये की तुलना अन्य देशों से नहीं करनी चाहिये । किन्तु हम जानते हैं कि अत्याधिक किराये लिये जाते हैं । जैसा कि मैं ने प्रश्न के उत्तर में बताया है, यह मालिक मकान और किरायेदार के बीच का मामला है । विधि में किरायेदार के लिये परित्राण का उपबन्ध है, किन्तु अधिकांश राजनयिक अधिकारी विविध कारणों से वैधानिक कार्यवाही नहीं करना चाहते ।

†श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या बात है कि किराया नियंत्रण अधिनियम उन फ्लैटों पर लागू नहीं होता जिन्हें विलासपूर्ण कहा जाता है, और जहां मालिक उन को किरायों पर चढ़ा कर खूब किराया लेते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : विधि है । किन्तु पांच वर्षों के लिये विधि नवीन इमारतों पर लागू नहीं होती ।

†श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है वह यह है कि इस मामले पर विचार नहीं किया गया है । क्या इस बात को दृष्टिगत रखते हुए कि हम अपने लोगों के लिये अपने निर्माण कार्यक्रम में पहले ही बहुत पीछे हैं, क्या इसलिये इस मामले पर विचार करने के लिये कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : किस मामले पर विचार करने के लिये ?

†श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : राजनयिक अधिकारियों के लिये फ्लैट बनाने के मामले पर ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : मुझे पता नहीं कि मेरे साथी ने किस प्रसंग में यह बात कही है । किन्तु एसी प्रस्थापनाओं पर हमेशा विचार किया जाता है । मुझे आशा है कि कुछ महीनों में निर्माण कार्य आरम्भ हो जायेगा ।

श्री भक्त दर्शन : क्या किसी विदेशी दूतावास ने आप के पास इस तरह से अधिक किराये के बारे में शिकायत की है, यदि की है, तो उस पर सरकार की तरफ से क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : कोई ज्यादा की शिकायत नहीं की है । लेकिन बातचीत में कभी कहा है ।

श्री राम सेवक यादव : प्रधान मंत्री जी ने बताया है कि फ्लैट्स के कंस्ट्रक्शन का फैसला किया जा चुका है । यदि किया जा चुका है, तो उस पर कितना खर्च आयेगा, क्या मैं जान सकता हूं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

अध्यक्ष महोदय : यहां तक नहीं पहुंचे हैं कि कितना खर्च आयेगा ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : ये तो हमेशा बनते रहते हैं, यह कोई नया सवाल नहीं है । मेरे ख्याल में हम यहां तक नहीं पहुंचे है कि खर्चे का एस्टीमेट बन सके ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** उन्हों ने क्या कहा ?

†**अध्यक्ष महोदय :** अभी यह इस स्तर पर नहीं पहुंचा जहां किये जाने वाले व्यय का अनुमान अब क किया जा सकता ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** प्रधान मंत्री ने कहा है कि इस का निर्माण होता रहता है । किन्तु अब तक मैं ने तो कभी नहीं सुना कि राजमर्मज्ञों के लिये फ्लैट बनाये जा रहे हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** ये विचार हमेशा रहते ।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : ये विदेशी राजनयिक अधिकारी जो इतने मंहगे भाड़े पर मकान लेते हैं, क्या ये इन को सीधे मकान मालिकों से बातचीत करके लेते हैं या गवर्नमेंट के माध्यम से किराये र लेते हैं ? यदि ये सीधे बातचीत कर के लेते हैं तो फिर इस मंहगे किराये पर उन्हें क्यों शिकायत होनी चाहिये ?

अध्यक्ष महोदय : जवाब दिया जा चुका है कि टैनेंट और लैंड लार्ड सीधे बातचीत करते हैं ।

†**श्री विश्वनाथ पांडे :** विदेशी राजमर्पज्ञों को दिये गये फ्लैटों की कुल आय कितनी हैं ?

(कोई उत्तर नही दिया गया ।)

†**अध्यक्ष महोदय :** अगला प्रश्न ।

†**श्री यशपाल सिंह :** अध्यक्ष महोदय, सवाल लिख कर दिया जाय तो उस का जवाब देना चाहिये । मैं ने सवाल किया है ....

†**अध्यक्ष महोदय :** यह जरूरी नहीं होता है हर वक्त । कभी किसी वक्त भूल भी हो जाती

रुई के मूल्य

†*६२०. **श्री श्रीनारायण दास :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २ मई, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४७७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने भारतीय रुई के मूल्य की उच्चतम सीमा समाप्त करने और देश में रुई का उत्पादन बढ़ाने के लिए जो निर्णय किये हैं उनका ठीक ठीक ब्यौरा क्या है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मन्त्री (श्री मनुभाई शाह):** एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

सरकार भारतीय रुई के मूल्यों की उपरि सीमा को न हटाने किंतु उन को १ सितम्बर १९६२ से, अर्थात् नवीन रुई मौसम के आरंभ से बढ़ाने के अपने निर्णय की घोषणा पहले ही कर चुकी

---

†मूल अंग्रेजी में

है। बुनियादी किस्म जरीला उत्तम २५/३२" की उपरि सीमा प्रति क्विंटल ३५ रुपये तक (प्रति कैंड १२५ रुपये) तक बढ़ा दी गई है, और उसके अनुसार अन्य प्रकार को भारतीय रुई की उपरि सीमा मे भी वृद्धि कर दी गई है ।

देश में रुई का उत्पादन बढ़ाने के लिये रुई आयोग की नियुक्ति के बारे में अभी कोई ऐसी प्रस्थापना सरकार के विचाराधीन नहीं है । यह प्रश्न खाद्य तथा कृषि मंत्रालय से पूछा जाना चाहिये ।

†**श्री श्रीनारायण दास :** विवरण से प्रतीत होता है कि सरकार भारतीय रुई की उपरि कीमतों को हटाने में असमर्थ रही है, किंतु वह कीमत को बढ़ा रही है । उपरि सीमा को न हटाने का निर्णय सरकार ने किन बातों के कारण किया है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** उपरि सीमा हटाने से मूल्य इतने अधिक बढ़ जायेंगे कि वे साधारण जनता के लिये कपड़े जैसी बुनियादी वस्तुओं को प्रभावित करेंगे और मूल्यों का विनियंण रखने से भी उत्पादन में तदनुसार वृद्धि नहीं होगी । इसलिये, इस मामले के सब पहलुओं का विचार करने के पश्चात् हमने यह फैसला किया है और उपरि सीमा को १२५ रुपये प्रति कैंडी तक बढ़ाया है ।

†**श्री श्रीनारायणदास :** क्या सरकार ने यह सोचा है कि उपरि सीमा बढ़ाने से रुई के उत्पादन में कमी होगी ? यदि हां, तो सरकार ने इसे रोकने के लिये क्या उपाय किया है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** ऐसी बात नहीं थी, उपरि सीमाएं पिछले दस वर्षों में जारी हैं और यद्यपि उत्पादन में वृद्धि कृषि विषयक पहलुओं पर निर्भर रहा है और प्रत्यक्षतः मूल्य नियंत्रण पर नहीं, फिर भी सब बातों को ध्यान में रखते हुए, जैसा मैं ने कहा, चालू मौसम के लिये तथा आगे के लिये भी, हमने मूल्य १२५ रुपये तक बढ़ाया है ।

†**श्री रामेश्वर टांटिया :** क्या सरकार रुई की विस्तृत खेती के लिये रुई उत्पादक क्षेत्र में कुछ भूमि निश्चित करने का विचार कर रही है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** जैसा कि सभा को पता है, पिछली दो योजनाओं में कपास की खेती की भूमि प्रायः १४५ लाख एकड़ से बढ़कर २०० लाख एकड़ हो गई है और रुई को खेती का क्षेत्र बढ़ा है । भूमि की उत्पादकता जो लगभग ९३ पौण्ड प्रति एकड़ है वह बढ़ कर १५० पौंड प्रति एकड़ हो गई है । वर्तमान प्रयत्न उर्वरक, देकर तथा नवीन कृषि उपायों के द्वारा न केवल रुई की उत्पादकता को बढ़ाने का है अपितु अन्य फसलों को उत्पादकता को बढ़ाने का भी है ।

†**श्री प्र० शा० देशमुख :** क्या यह सही नहीं है कि भारतीय केन्द्रीय रुई समिति ने एकमत से उपरि सीमा को हटाने की सिफारिश की है और यदि हां, तो सरकार ने समिति की इस एकमत सिफारिश की ओर क्या ध्यान दिया है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** यह उन बहुत से निकायों में से है जो सिफारिशें करती हैं और हम इतने बड़े निकायों की सिफारिशों पर समुचित ध्यान देते हैं । ऐसे और भी बहुत से निकाय हैं, जिन्होंने सिफारिश की है कि मूल्यों को बढ़ाया नहीं जाना चाहिये । माननीय मित्र जानते हैं कि पिछले दस वर्षों में मूल्य क्या थे ।

†**श्री कृ० चं० पन्त :** क्या रुई का बफर स्टाक करने की कोई प्रस्थापना है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मनुभाई शाह** : जी हां, किंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि जब तक आन्तरिक उत्पादन कम से कम वास्तविक मांग से न बढ़ जाए, यदि फालतू स्टाक बनाना है, तब कृषि विनाशक उत्पादन ही बफर स्टाक बना सकता है इसलिये हम पी० एल० ४८० के अन्तर्गत कुछ आयात करने का प्रयत्न कर रहे हैं। हमने सभा के समक्ष कई बार आयात के आंकड़े बताये हैं, और जब आन्तरिक उत्पादन बढ़ेगा, बफर स्टाक बनाया जाएगा।

गोला बारूद का आयात

+

†६२१. { **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** :
श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों से कारतूस, बन्दूकें और राइफलें आयात करने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि अभी तक इन चीजों का हमारे देश में आवश्यकता के अनुरूप उत्पादन नहीं हो रहा है ;

(ग) क्या सरकार को ऐसी कठिनाइयों के बारे में कुछ आरोप मिले हैं;

(घ) क्या यह भी सच है कि आयात पर प्रतिबन्ध लगने से कीमतें बहुत बढ़ गई हैं और उसमें भ्रष्टाचार भी चालू हो गया है ; और

(ङ) सरकार का इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय म अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मन्त्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ङ). सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है।

विवरण

(क) जीं हां।

(ख) असैनिक इन्डैण्ट-कर्ताओं की मांग पूरी करने के लिये युद्ध का सामान बनाने वाले कारखाने ८ मि० मी०/३१५" राइफलों की कारतूसें तथा .२२" रिमफायर के छर्रे पर्याप्त परिणाम में बना रहे हैं। ये कारखाने २, ४, ६ और ७ नम्बर की लोकप्रिय २/१/२ इंच के आकार की १२ बोर की कारतूसें भी तैयार कर रहे हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) गोला बारूद की उपर्युक्त वस्तुओं की बिक्री के बारे में शर्त यह है कि इन वस्तुओं के खुदरा बिक्री-मूल्य निश्चित होते हैं। हथियार तथा गोला बारूद के जिन रजिस्टर्ड विक्रेताओं को युद्ध का सामान बनाने वाले कारखानों द्वारा माल दिया जाता है उन्हें इन कारखानों के महा-निदेशक द्वारा निर्धारित खुदरा-मूल्यों पर ये कारतूस बेचने पड़ते हैं।

(ङ) सरकार ने ५ जून, १९६२ को १२ बोर की कारतूसें बनाने की क्षमता बढ़ाने की मंजूरी दे दी है जिससे हथियार बनाने वाले कारखानों का उत्पादन दुगना किया जा सके तथा १२ बोर वाली कुछ अन्य किस्मों की कारतूसें भी बनाई जा सकें जो कि अभी कम लोकप्रिय हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : क्या सरकार की जानकारी में इस किस्म के कुछ केस आए हैं कि बड़ी जो राफल्ज़ की गोलियां होती हैं जैसे ४०० और ४५० नम्बर की, वे भारत के अन्दर बहुत कम मात्रा में मिल पाती हैं। जिन लोगों के पास इस प्रकार के शस्त्र हैं और जिन को आपने इनको रखने का अधिकार दे रखा है, उनके लिए इनकी क्या व्यवस्था की गई है ?

श्री मनुभाई शाह : इसका कई बार खुलासा किया जा चुका है और माननीय सदस्यों और दूसरे दोस्तों से भी कहा जा चुका है कि कोई ऐसी राइफल्ज़ हों जो कि स्पोर्टस के या दूसरे कामों में आती हों और जिन के कार्टरिजिज हम सप्लाई न कर सकते हों, अपनी खुद की प्राडक्शन से, उनकी इम्पोर्ट छोटी सी मात्रा में करने के बारे में हम जरूर सोचेंगे।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या सरकार को ऐसी भी कोई जानकारी है कि विदेशों से शिकार खेलने के लिए जो पार्टियां यहां आती हैं, सम्बन्धित व्यापारी उनको इस प्रकार का निदेश देते हैं कि वे भारी मात्रा में इस प्रकार की गोलियां इत्यादि ले आयें और उन से वे उचित मूल्य पर खरीद कर मंहगे मूल्य पर हिन्दुस्तान में बेचते हैं ?

श्री मनुभाई शाह : इस तरह की चीज को हम एलाऊ नहीं करते हैं। परसनल इफैक्ट्स के सिवाय बाकी जो चीज़ें होती हैं, उन पर टोटल बैन लगा दिया गया है। इस तरह के बैन से और इस तरह की इम्पोर्ट रेस्ट्रिक्शंज़ की वजह से, हम जानते हैं, कि लोगों को कुछ तकलीफ हो जाती है। सब राइफल एसोसिएशंज़ को हमने आफर किया है कि जिस जिस किस्म के कार्टरिजिज़ वगैरह हमारी आर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ में बनते हैं और जिन का ब्यौरा स्टेटमेंट में दिया गया है, उनको वे ले सकती हैं, जितनी मात्रा में चाहें, ले सकती हैं। इनके अलावा पुरानी राइफल्ज़ के लिए कोई कार्टरिजिज़ वगैरह की जरूरत हो तो उसको हम इम्पोर्ट करने को तैयार हैं।

†**श्री उ० म० त्रिवेदी :** भारत में ये कारतूस तैयार करने के लिए कितने आदमियों ने अब तक आवेदन किया है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** यह सरकारी क्षेत्र के लिए रक्षित रखा गया है और उत्पादन बढ़ रहा है।

श्री यशपाल सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि भारत इस मामले में कब तक सैल्फसफिशेंट हो सकेगा ?

श्री मनुभाई शाह : आज भी हम इस मामले में काफी सैल्फ-सफिशेंट हैं। लेकिन चूंकि स्पोर्टस भी आगे बढ़ती हैं, सब काम काज भी आगे बढ़ता है, इस वास्ते डिमांड भी बढ़ती जाती है। सारी जितनी कैटेगरीज़ हैं, सारे जितने बोर्स हैं, उनके कार्टरिजिज़ नहीं बन सकते हैं और न उसकी शार्ट गंज़ बन सकती हैं। लेकिन जो आम हैं, उनको बनाया जा रहा है। जो स्पेशल किस्म के हों, और जिन के अभाव में जो राइफल्ज़ वगैरह हैं वे बेकार पड़ी हों, तो उनको हम इम्पोर्ट करने देंगे।

†**श्री त्यागी :** माननीय मंत्री ने बताया है कि गोला बारूद तैयार करने का काम सरकारी क्षेत्र में होता है। क्या मैं जान सकता हूं कि इम्पीरियल केमिकल्स नामक एक विदेशी फर्म का इस विषय में एकाधिकार है और क्या यह सरकारी क्षेत्र में है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** इम्पीरियल केमिकल्स कृषि प्रयोजनों के लिए, कीड़ों के सम्बन्ध में उत्पादन कर रही है, न कि गोला बारूद या शॉर्ट-गन या कारतूसों के बारे में। उनके पास "डीटोनेटर्स" हैं, लेकिन यहां सवाल राइफल्ज, शॉट-गन और कारतूसों और उनके बोर्स के बारे में है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री विद्याचरण शुक्ल : क्या सरकार को मालूम है कि उन विदेशी पर्यटकों को जिन्हें शिकार के लिए भारत आने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, अपनी जरूरत के कारतूस प्राप्त करने में बड़ी कठिनाई होती है और यदि हां, तो उनकी जरूरत पूरी करने के लिए सरकार क्या इन्तजाम कर रही है ?

†श्री मनुभाई शाह : यह मैं पहले बता चुका हूं ।

†श्री श्यामलाल सर्राफ : क्या सरकार को मालूम है कि जब भारतीय और विदेशी शिकारियों के लिए छोटी और बड़ी शिकारों का इन्तजाम किया जाता है, तब इन कारतूसों की कमी पड़ती है, और जो कम्पनियां शिकार का इन्तजाम करती हैं, उन्हें कारतूस देने के लिए क्या कोई व्यवस्था की जायेगी ?

†श्री मनुभाई शाह: मैं सारी स्थिति पहले ही बता चुका हूं । अभी हाल में प्रतिरक्षा मंत्रालय और हमारे मंत्रालय ने यह निश्चय किया है कि इन क्षेत्रों में उत्पादन काफी बढ़ाया जाये ताकि न केवल भारत की बल्कि दक्षिण-पूर्व एशिया की मांग भी पूरी की जाये, क्योंकि इन राइफलों और शॉट-गन्स की मांग बहुत बड़ी है । मुझे यह बताने में प्रसन्नता होती है कि प्रतिरक्षा मंत्रालय ने अधिक उत्पादन की आवश्यकता मंजूर कर ली है ताकि कुछ भाग निर्यात भी किया जा सके ।

डा० गोविन्द दास: क्या यह बात सही है कि खमरिया जबलपुर फैक्ट्री में यह उत्पादन हर साल बढ़ रहा है और कई प्रकार के नये कारतूस भी वहां बनाये गये हैं ? और क्या यह आशा की जा सकती है, जैसा कि अभी मंत्री जी ने कहा, कि यह उत्पादन इतना बढ़ जायेगा कि अगले एक या दो वर्षों में हम इस प्रकार का सामान बाहर भेज सकेंगे ?

श्री मनुभाई शाह : मैंने अभी बतलाया कि यह सही है ।

श्री राम सेवक यादव: क्या मंत्री महोदय को यह जानकारी है कि एक तरफ तो इस तरह के कारतूस बाजार में साधारण लोगों को नहीं मिलते और दूसरी तरफ वह राइफल क्लब्स को स्टेट्स में दिये जा रहे हैं और वे काले बाजार में उन्हें बेच रहे हैं ?

श्री मनुभाई शाह : मैंने इस सम्बन्ध में सब बात बतला दी है ।

†श्री स० मो० बनर्जी : विवरण में यह कहा गया है कि असैनिक इन्डेण्टकर्ताओं की मांगें युद्ध का सामान बनाने वाले कारखानों में उत्पादन से पर्याप्त मात्रा में पूरी की जायेंगी । मैं यह जानना चाहता हूं कि उत्पादन बढ़ाये जाने के कारण आयात में कितनी कमी हुई है ?

†श्री मनुभाई शाह : सभी कारतूसों, शॉट-गन्स आदि के आयात पर पूरी पाबन्दी है । जो बन्दूकें पुरानी हो गई हैं और जो इस्तेमाल नहीं की जाती उनके सम्बन्ध में हम थोड़ा सा आयात करने की अनुमति देंगे ताकि उन बन्दूकों को फिर काम में लाया जा सके । बाकी के सम्बन्ध में हम आत्म-निर्भर होना चाहते हैं और कुछ निर्यात भी करना चाहते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कच्चे काजुओं का आयात

+

†*६२२. { श्री वारियर :
श्री मे० क० कुमारन :
श्री वासुदेवन नायर :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री १५ जून, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३२०८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अफ्रीका से कच्ची काजुओं का आयात करने की योजना को अन्तिम रूप दिया जा चुका है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मन्त्री (श्री मनुभाई शाह): (क) और (ख). अभी नहीं, श्रीमन। इस बीच निर्यात करने वालों को, बिना किसी कठिनाई के, आयात की गयी आवश्यक वस्तुएं प्राप्त हो रही हैं।

†श्री वारियर : क्या यह सच है कि कच्ची काजुओं की कमी के कारण, हमारे राज्य के अनेक कारखाने बन्द होने जा रहे हैं ?

†श्री मनुभाई शाह : जी नहीं ।

†श्री वारियर : क्या यह सच नहीं है कि कुछ विदेशों को ये काजू सप्लाई करने के नये करार के कारण राज्य व्यापार निगम स्टाक इकट्ठा कर रहा है और इसी कारण कमी है ?

†श्री मनुभाई शाह : यह बिल्कुल सच नहीं है। वास्तव में सरकार और राज्य व्यापार निगम उन छोटे व्यापारियों की सहायता करने की कोशिश कर रही है जो अपने निर्यात बढ़ाने के लिए काफी परिमाण में कच्चे माल के आयात में काफी रुपया नहीं लगा सकते। उसके लिए राज्य व्यापार निगम कुछ थोड़ा सा स्टाक रखती है। आयात करने वाले बाकी लोग अपने निर्यात के परिमाण के मुकाबले में अपना ही कच्चा माल आयात करते हैं।

†श्री मे० क० कुमारन : कुछ समय पहले इस प्रश्न के उत्तर में, कि क्या केरल सरकार ने खुद ही एक निगम स्थापित करने की योजना प्रस्तुत की है, मंत्री महोदय ने कहा था कि सरकार ने फिलहाल योजना को आगे न बढ़ाने के लिए केरल सरकार को कहा है। क्या मैं जान सकता हूं कि वर्तमान स्थिति क्या है ?

†श्री मनुभाई शाह : जी हां। हमने योजना को आगे न बढ़ाने के लिए उस से कहा था क्योंकि ऐसे निगम से न तो निर्यातकों को और न ही निर्माताओं को ही कोई मदद मिलेगी। जैसा कि मैंने बताया, राज्य व्यापार निगम 'बफर-स्टाक' इकट्ठा करने के लिए तैयार है। उस पर अभी विचार हो रहा है और वह बहुत शीघ्र ही स्थापित किया जायेगा।

श्री तुलशीदास जाधव : गोआ में कितना आयरन-ओर तैयार होता है और उसमें से कितना देश में रहता है और कितना बाहर जाता है ?

श्री मनुभाई शाह : इस प्रश्न का सम्बन्ध गोआ से है और वह आगे आयेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†डा० पं० शा० देशमुख : पिछले पांच वर्षों में हर साल कितना काजू विदेशों से मंगाया गया है और औसत क्या है ?

†श्री मनुभाई शाह : औसत १,१०,००० टन है ।

नेपाल द्वारा चीन को पेट्रोल और पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात

+

†*६२४. { श्रीमती रेणुका राय :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री यशपाल सिंह :
श्री हेम बरुआ :
श्री राम रतन गुप्त : }

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि नेपाल भारत से प्राप्त होने वाले पेट्रोल और पेट्रोलियम उत्पादों का चीन को कम दामों पर पुनर्निर्यात कर रहा है ; और

(ख) भारत सरकार ने इस बात के लिये कि नेपाली सरकार भारत से प्राप्त हुए पेट्रोल और पेट्रोलियम उत्पादों का चीन को पुनर्निर्यात न करे, क्या कार्यवाही की है ?

†वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) जी हां । पता चला है कि नेपाली व्यापारी भारत से प्राप्त पेट्रोल और पेट्रोलियम उत्पाद को चोरी से तिब्बत ले जाते रहे हैं । तिब्बत में चोरी से लायी गयी इन चीजों के लिए बहुत ऊंचे दाम लिये जाने की सूचना मिली है ।

(ख) यह अवैध व्यापार रोकने के लिए नेपाल सरकार ने पहले ही कुछ कार्यवाही की है । नेपाल से पेट्रोल और पेट्रोलियम उत्पाद के पुनर्निर्यात पर रोक लगाने के बारे में अभी हाल में ही आदेश जारी किये गये हैं । भारत सरकार मुस्तैदी से स्थिति की ओर ध्यान दे रही है । यदि यह दोष शीघ्र ही दूर नहीं किया गया तो नेपाल सरकार के परामर्श से उचित कार्यवाही की जायेगी ।

†श्रीमती रेणुका राय : हम नेपाल को कितना पेट्रोल और पेट्रोलियम उत्पाद निर्यात करते हैं और उसमें से कितना चोरी छिपे चीन भेज दिया जाता है ?

†श्रीमती लक्ष्मी मेनन : मेरे पास पिछले चार वर्षों के सम्बन्ध में नेपाल को पेट्रोल और पेट्रोलियम उत्पाद के निर्यात के आंकड़े हैं । यदि माननीय सदस्य यह बतायें कि किस विशेष वर्ष के लिए उन्हें आंकड़े चाहियें, तो मैं वह आंकड़े बता सकूंगी ।

†अध्यक्ष महोदय : क्या वह यह भी बता सकेंगी कि कितनी मात्रा चोरीछिपे भेजी गयी है ?

†श्रीमती लक्ष्मी मेनन : जी नहीं । १९५९ में हमने ३२५४ मेट्रिक टन एवियेशन गैसोलीन और मोटर स्प्रिट निर्यात किया था, और वह १९६० में ३७४० मेट्रिक टन, १९६१ में ४३०३ मेट्रिक टन और मई, १९६२ तक २२७२ मेट्रिक टन था । हम अन्य वस्तुएं भी निर्यात करते हैं । हम किरोसीन, डीजल तेल, उड़नशील तेल, मट्टी तेल, बिटुमेन आदि भी निर्यात करते हैं ।

†श्रीमती रेणुका राय: माननीय मंत्री द्वारा दिये गये आंकाड़ों से यह मालूम होता है कि नेपाल को निर्यात किये जाने वाले पेट्रोल और पेट्रोलियम उत्पाद की मात्रा बढ़ गयी है । शायद वह नेपाल की आवश्यकता से कहीं अधिक है । क्या इसी कारण तस्कर व्यापार हो रहा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†प्रधान मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री तथा अणु शक्ति मन्त्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : वह जिस तरह हर जगह बढ़ा है उसी तरह वहां भी बढ़ गया है। वह सम्पूर्ण भारत में बढ़ रहा है। उसका कारण यह है कि मोटरगाड़ियों और दूसरी गाड़ियों का इस्तमाल ज्यादा बढ़ गया है। नेपाल को जो मात्रा भेजी गई है वह तुलना में बहुत कम है और यदि कुछ मात्रा चोरी छिपे भेजी गयी हो तो वह बहुत थोड़ी ही मात्रा हो सकती है।

श्री रघुनाथ सिंह : अखबारों में यह बात शाया हुई थी, थोड़े दिन हुए, कि नेपाल के द्वारा यह पेट्रोल लद्दाख एरिया में चीन वालों को दिया जा रहा है। क्या यह बात सही है ?

अध्यक्ष महोदय : यह कहा तो गया कि चीन वालों को थोड़ी सी क्वान्टिटी जा रही है।

श्री यशपाल सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि जब चीन हमारा दुश्मन है और नेपाल हमारे दिये हुए पेट्रोल को उसे देकर उसका दुरुपयोग कर रहा है तो नेपाल को पेट्रोल और पेट्रोलियम देने में रुकावट करने में क्या दिक्कत है और उसे बन्द क्यों नहीं कर दिया जाता ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : सवालों के जवाब तो कई दिये गये हैं। अगर उस पर माननीय सदस्य विचार करें तो पता चल जायेगा कि इसका क्या जवाब है।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या यह सच है कि नेपाली व्यापारियों को अभी हाल में विशेष प्रोत्साहन और लाभ चीनी अधिकारियों द्वारा इस कारण दिये जा रहे हैं कि वे तिब्बत में स्थित चीनी सेनाओं के उपयोग के लिए नेपाल से चोरी छिपे पेट्रोल और पेट्रोल उत्पाद भेज सकते हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** माननीय सदस्य चाहते हैं कि मैं उन्हें यह बताऊं कि चीनी लोग उन्हें क्या लाभ दे रहे हैं। यह मेरी ताकत के बाहर की बात है। प्रश्न यह है कि कौन सी सुविधाएं वह नेपाल से वापस ले लें। उसके लिए उत्तर दिया जा चुका है। सब से पहली बात तो यह है कि बहुत थोड़ी मात्रा बाहर जा सकती है या गयी है और नेपाल सरकार उसे रोकने के लिए कदम उठा रही है।

†**श्रीमती सावित्री निगम :** क्या नेपाल सरकार ने इसका कोई हिसाब दिया है कि नेपाल के अन्दर वास्तव में कितने पेट्रोल और पेट्रोलियम उत्पाद की खपत होती है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन :** जी नहीं।

यूरोपीय देशों में चाय केन्द्र

+

†*६२५. { **श्री विश्वनाथ राय :**
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री यशपाल सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ : }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यूरोपीय देशों में चाय केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) :** जी हां।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री विश्वनाथ राय : क्या सरकार को कोई जानकारी है कि इन प्रस्तावों के फलस्वरूप चाय के निर्यात में कितनी वृद्धि हुई है ?

†श्री मनुभाई शाह : निर्यात में वृद्धि चाय केन्द्रों के खुलने से सीधे सम्बन्धित नहीं है लेकिन उनसे निर्यात बढ़ने में कुछ मदद मिलती है ।

†श्री विश्वनाथ राय : किन किन देशों में ये चाय केन्द्र आरम्भ किये जा रहे हैं ?

†श्री मनुभाई शाह : एक एडिनबरो में, दूसरा लन्दन में और तीसरा डबलिन में । इसके अलावा और सात केन्द्र हों ग जिनमें से एक एक केन्द्र निम्नलिखित स्थानों में होगा ;

पेरिस, अम्स्टरडम, वियना, इस्तन्बूल, मिलन, जनेवा और ब्रूसेल्स ।

श्री यशपाल सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि इन देशों में ये केन्द्र स्थापित करने से कंट्रीवाइज हमको कितना मुनाफा होगा ?

श्री मनुभाई शाह : जैसा कि मैंने कहा, इन सेंटर्स के बनाने से टी के प्रोपेगशन में मदद हो सकती है । यह अन्दाजा नहीं लगाया गया है कि एक एक सेंटर से हम कितना कमा सकेंगे । इससे तो लोगों की चाय पीने की आदत पड़ेगी और टी पापुलर होगी, और फिर उससे हमारा फायदा हो सकता है ।

†श्री प्र० चं० बरुआ : क्या नये बाजार ढूंढने के उद्देश्य से विदेशों में चाय केन्द्र खोलने की कोई योजना सरकार के सामने है ?

†श्री मनुभाई शाह : मैंने यही बताया है । यूरोप में तीन केन्द्र खोले जा रहे हैं और सात केन्द्रों के बारे में विचार किया जा रहा है ।

†श्री रघुनाथ सिंह: मैं जानना चाहता हूं कि इसका खर्चा टी बोर्ड देगा या सरकार देगी, और एक एक सेंटर पर कितना कितना खर्चा आएगा ?

†श्री मनुभाई शाह : टी बोर्ड इसका खर्चा देता है, लेकिन वह सरकार ही देती है क्योंकि टी बोर्ड भी सरकार का ही है । इन सेंटर्स पर अलग अलग जगह अलग अलग खर्चा है, किसी पर एक लाख है, किसी पर पौने दो लाख है और ज्यादा से ज्यादा साढ़ तीन चार लाख तक है ।

†श्री रामेश्वर टांटिया : क्या न्यूजीलैण्ड और आस्ट्रेलिया जैसे सुदूर पूर्व देशों में चाय केन्द्र खोलने का सरकार का विचार है ?

†श्री मनुभाई शाह : हम चाय बोर्ड के अध्यक्ष के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मण्डल अगले महीने सुदूर पूर्वी देशों में भेज रहे हैं क्योंकि आस्ट्रेलिया में हमारे बाजार अभी पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुए हैं । आस्ट्रलिया, न्यूजीलैण्ड और अन्य पैसिफिक देशों में काफी सम्भावना है ।

†श्री मुरारका : अमरीका और कनाडा को हमारी चाय के निर्यात में काफी कमी हो जाने के कारण, क्या उन देशों में भी चाय केन्द्र खोलने का सरकार का विचार है ?

†श्री मनुभाई शाह : पहली बात तो यह कि काफी कमी का कोई प्रश्न नहीं है । लेकिन अमरीका और कनाडा को निर्यात के काफी अधिक गुंजाइश है और इन देशों को किया जाने वाला वर्तमान

†मूल अंग्रेजी में

निर्यात असन्तोषजनक है। इसलिये हम उस दिशा में विशेष प्रयत्न कर रहे हैं। वास्तव में हम एक योजना पर विचार कर रहे हैं। जिसके अन्तर्गत 'कामन टी' से 'इन्स्टैन्ट टी' तैयार की जायगी। आशा है कि हम अमरीका को २ करोड़ रुपये की 'इन्स्टैन्ट टी' निर्यात कर सकेंगे।

†श्री हरि विष्णु कामत : क्या यह सच है कि ऊंची किस्म की चाय विदेशों को भेज दी जाती है और घटिया किस्म की चाय देश में खपत के लिये रक्षित रखी जाती है और यदि हां, तो क्या सरकार की यह नीति है कि देशवासियों के स्वास्थ्य और जीवन को नुकसान पहुंचा करके भी अधिकाधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त की जाय ? मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वह नियम बाह्य है।

†अध्यक्ष महोदय : क्या यह वह उम्मीद करते हैं कि इस मामले में उत्तर 'हां' हो।

†श्री हरि विष्णु कामत: मैं किसी भी उत्तर 'हां' या 'नहीं' का स्वागत करने के लिये तैयार हूं। लेकिन मन्त्री की ओर से आप क्यों उत्तर दें ? मन्त्री महोदय जवाब दें ?

†अध्यक्ष महोदय : जब वह इतना स्पष्ट है तब उन्हें उत्तर के लिये आग्रह नहीं करना चाहिये।

†श्री हरि विष्णु कामत : वह मेरे लिये स्पष्ट नहीं है।

†अध्यक्ष महोदय : तब वह प्रश्न से ही सन्तुष्ट हो जायें।

†श्री हरि विष्णु कामत : मेरी अपील यह है कि जब आपने प्रश्न को नियम बाह्य या अगृहीत नहीं घोषित किया है तब मन्त्री महोदय को उत्तर देना चाहिये। आप मन्त्री महोदय की ओर से क्यों उत्तर दे रहे हैं ?

†अध्यक्ष महोदय : मैं उत्तर नहीं दे रहा हूं। श्री पन्त।

†श्री कृ० चं० पन्त : क्या यह सच है कि अब तक भारतीय चाय यूरोप को, बरास्ता ब्रिटेन को छोड़ कर, निर्यात नहीं की गयी थी ?

†श्री मनुभाई शाह : जी हां, केवल लन्दन नीलाम के बाद ही भारतीय चाय यूरोप भेजी गयी थी। लकिन अब नये दृष्टिकोण और साझा बाजार के कारण हम यूरोपीय देशों के साथ सीधा सम्पर्क रखेंगे।

†श्री मुरारका : माननीय मन्त्री ने बताया था कि अमरीका को चाय के निर्यात में भारी कमी हुई है। प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार चाय का निर्यात १.३५ करोड़ किलोग्राम से घट कर .९८ करोड़ किलोग्राम रह गया है। क्या माननीय मन्त्री इसको भारी कमी नहीं समझते ?

†श्री मनुभाई शाह : यह कई बार इस सभा में बताया जा चुका है कि किसी विशिष्ट कैलेण्डर वर्ष में चाय का स्थानान्तरण बहुत तेजी से होता है और स्टाक इकट्ठा हो जाता है। जब हम कहते हैं कि काफी कमी या वृद्धि हुई है तब हम औसत से चलते हैं। वास्तव में चालू वर्ष में इन देशों के लिये निर्यात में वृद्धि हुई है।

---

†मूल अंग्रेजी में

फिल्म पोस्टर

\+

*६२६. { श्री भक्त दर्शन :
श्री भागवत झा आजाद :

क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री २४ मई, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या १०३४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि फिल्म पोस्टरों के बारे में नियुक्त समिति ने अपने कार्य में क्या प्रगति की है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री शाम नाथ): कमेटी की अब तक चार बैठकें हुई हैं। जो छः फिल्म पोस्टर कमेटी को पेश किए गए थे, उनकी जांच की गई और उनको मंजूर कर दिया गया।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन् प्रश्न करने से पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि इस प्रश्न का शीर्षक गलत रख दिया गया है। इसका शीर्षक होना चाहिए था "अश्लील सिनेमा पोस्टर"।

मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह कमेटी बम्बई में ही क्यों स्थापित की गई, भारत के जो अन्य फिल्म प्रोड्यूसिंग सेंटर हैं उनमें भी क्यों नहीं स्थापित की गयी ?

श्री शाम नाथ : मान्यवर, चीज यह है कि शुरूआत बम्बई से की गयी है लेकिन उसके बाद कलकत्ता और मद्रास में भी जरूरत होगी तो वहां भी ऐसी कमेटियां बनायी जायेंगी।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, क्या शासन के ध्यान में यह बात आयी है कि इस देश में इस सम्बन्ध में एक बड़ा आन्दोलन चल रहा है और आचार्य विनोबा भावे ने भी इस सम्बन्ध में अपनी सम्मति प्रकट की है ? मैं जानना चाहता हूं कि क्या केवल कमेटी मुकर्रर करके ही सरकार अपने कर्तव्य को समाप्त समझती है या और भी कोई कड़े कदम इस सम्बन्ध में उठाना चाहती है।

श्री शाम नाथ : मान्यवर इसके बारे में आन्दोलन चला था। इसलिये मुनासिब समझा गया कि फिल्म प्रोड्यूसर्स के कोआपरेशन को हासिल करके अगर इसमें हम कोई चीज कर सकें तो बेहतर होगा। इसीलिये एक कमेटी बनायी गयी जिसमें कि उनके चार पांच प्रतिनिधि हैं और उनकी मदद से हम इस मसले को हल करना चाहते हैं।

श्री भागवत झा आजाद : क्या सरकार फिल्म पोस्टरों पर विचार करने के बाद सेंसर बोर्ड को यह आदेश देना चाहती है कि वह ऐसे चित्रों को जिनमें अश्लीलता दिखायी गयी हो कड़ाई से सेंसर करे ?

†**श्री शाम नाथ** : मैं समझता हूं कि यह एक अलग सवाल है।

†**श्री भागवत झा आजाद** : वह अलग सवाल नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह अलग सवाल है या नहीं, उसका फैसला तो मुझे करना होगा।

†**श्री भागवत झा आजाद** : मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि क्या अश्लील पोस्टरों पर पाबन्दी लगाने और सेन्सर बोर्ड को यह आदेश देने की सरकार की नीति है कि यहां से भी अश्लील दृश्य निकाल दिये जायें। वह 'हां' या 'ना' कहें।

---

†मूल अंग्रेजी में

†सूचना और प्रसारण मन्त्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी) : वर्तमान कानून के अनुसार, सेंसर बोर्ड का पोस्टरों के ऊपर कोई क्षेत्राधिकार नहीं है ।

†श्री भागवत झा आजाद : सेन्सर बोर्ड का फिल्मों के ऊपर क्षेत्राधिकार है और मैं चाहता हूं कि वह जारी रहे ।

†श्रीमती सावित्री निगम : माननीय उपमन्त्री ने अभी बताया कि कमेटी की चार बैठकें हुईं और उसने छ: पोस्टर देखे । क्या समिति के सामने लाये गये पोस्टरों की संख्या इतनी कम थी या समिति ने इतना धीरे धीरे काम किया था कि वह केवल छ: पोस्टर ही देख सकी ?

†श्री शाम नाथ : मेरा मतलब यह था कि छ: फिल्मों सम्बन्धी पोस्टर समिति के सामने पेश किये गये थे । उनकी छानबीन की गयी और उन्हें स्वीकार किया गया । यह समिति जनवरी में नियुक्त की गयी थी और उसकी चार बैठकें हुईं । पहली दो बैठकों में सिर्फ प्रक्रिया सम्बन्धी ब्यौरे और दूसरी बातें तय की गयीं ।

डा० गोविन्द दास : क्या यह बात सही नहीं है कि फिल्म और पोस्टर ये दोनों एक दूसरे से मिली हुई चीजें हैं, और इसको देखते हुए क्या सेंसर बोर्ड के नियमों में ही इस प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता गवर्नमेंट नहीं मानती कि ये दोनों काम सेंसर बोर्ड को ही सौंप दिये जाएं ।

†डा० बे० गोपाल रेड्डी : हम इस समिति की सिफारिशों का इन्तजार कर रहे हैं । अगर जरूरी हुआ, तो हम अधिनियम में संशोधन करेंगे ।

†श्री हेम बरुआ : क्या कारण है कि सरकार फिल्म पोस्टरों पर रोक लगाने के लिये इतनी उत्सुक है ?

†श्री शाम नाथ : हम सिर्फ उन्हीं पोस्टरों पर रोक लगाना चाहते हैं जो अश्लील हैं ।

†श्रीमती सरोजनी महिषी : क्या ऐसा कोई निर्बन्धन है कि इन पोस्टरों का उपयोग किये जाने से पहले समिति इन्हें मंजूर करे ?

†श्री शाम नाथ : हमारा यही मंशा है । हमने निर्माताओं से कहा है कि जो भी पोस्टर वे जारी करना चाहते हैं वे सभी पोस्टर समिति के सामने पेश किये जायें और अगर समिति उन्हें मंजूर करती है तो ठीक है लेकिन अगर वह कुछ रद्दोबदल के सुझाव देती है तो निर्माताओं को वे रद्दोबदल करने होंगे और पोस्टर बदलने होंगे ।

†श्री दाजी : इस प्रश्न के विवादात्मक स्वरूप को देखते हुए क्या सरकार कोई आचार संहिता तैयार करने के प्रश्न पर विचार कर रही है जिससे सारी बात एक उचित ढंग से तय की जा सके ?

†श्री शाम नाथ : हम वही करना चाहते हैं । हमने निर्माताओं को स्वत: ही एक आचार संहिता अपने ऊपर लागू करने के लिये कहा है ।

†श्री प्रभात कार : क्या यह समिति केवल भारतीय फिल्मों सम्बन्धी पोस्टरों पर विचार कर रही है या सभी विदेशी फिल्मों सम्बन्धी पोस्टरों पर भी विचार कर रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री शामनाथ** : आरम्भ में हमने केवल भारतीय फिल्म पोस्टर ही लिय हैं लेकिन आगे चल कर विदेशी फिल्म पोस्टर भी शामिल किये जा सकते हैं।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : इस कमेटी के सदस्यों के नाम क्या हैं और आचार्य विनोबा भावे या आल इण्डिया वीमेंस लीग जिन्होंने कि इस तरह की शिकायतें की हैं क्या उनके प्रतिनिधि भी इस कमेटी में रखे गये हैं ?

†**श्री शामनाथ** : इस समिति में कन्ट्रोलर ऑफ फिल्म्स डिवीजन और चार प्रोड्यूसरर्स हैं। उद्देश्य यह था कि एक ऐसी समिति बनायी जाये जिसमें कुछ प्रोड्यूसर्स हों ताकि हमें उनका सहयोग मिल सके और हम अश्लील पोस्टरों के प्रदर्शन के सम्बन्ध में कुछ कार्रवाई कर सकें। इस समिति के चेअरमैन फिल्म्स डिवीजन के कण्ट्रोलर हैं और दूसरे सदस्य ये हैं : श्री महबूब खां, श्री जे ० आर ० एच ० वाडियां, श्री विजय भट्ट और श्री के ० एम ० मोदी। ये सभी सुप्रसिद्ध प्रोड्यूसर्स हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब प्रश्न काल समाप्त हो गया है।

श्रीमती लक्ष्मी बाई : इस कमेटी में कोई बहन क्यों नहीं ली गई ?

अध्यक्ष महोदय : बहन जी जरा देर से आयी हैं इस वास्ते नहीं रक्खी जा सकतीं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

केरल में खनिज निक्षेप

†*६१७. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व के निक्षपों की तुलना में केरल के तट पर पाये जाने वाले लाभप्रद खनिजों की संख्या सबसे अधिक है ; और

(ख) यदि हां, तो त्रावनकोर मिनरल्ज अन्डरटेकिंग द्वारा इलमेनाइट के अलावा जिरकोनियम, हैफनियम, आदि का उत्पादन आरम्भ करने में कौन सी कठिनाइयां हैं ?

†**वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री दिनेश सिंह)** : (क) केरल तट पर खनिज निक्षेपों में कई लाभप्रद खनिज हैं जिनमें इल्मेनाइट, जिरकोन ेनाजाहट और रूटाइल शामिल हैं। ये निक्षेप दुनिया में अधिक अच्छे हैं।

(ख) जिरकोनियम और हैफनियम का अधिकांश उपयोग अणुशक्ति के क्षेत्र में होता है। काण्ड जैसे कुछ प्रकार के रिएक्टर्स जिरकोनियम का उपयोग करते हैं। जिरकोनियम तैयार करने के लिये एक कारखाना स्थापित करने के प्रश्न पर उस समय विचार किया जायेगा जब इस बारे में अन्तिम निश्चय कर लिया जायेगा कि किस प्रकार के रिएक्टर्स स्थापित किये जाते हैं। अणु शक्ति प्रतिष्ठान, ट्राम्बे ने आवश्यक प्रौद्योगिकी का विकास कर लिया है और जरूरत पड़ने पर कारखाना स्थापित किया जा सकता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

जिरकोनियम और हैफनियम की वर्तमान मांग इतनी नहीं है कि देश में एक कारखाना स्थापित करना उचित हो।

गोआ से अयस्क का निर्यात

†*६२३. **श्री यलमन्दा रेड्डी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोआ के खान मालिकों ने अयस्क बेचने में सरकार की मदद मांगी है ;

(ख) क्या गोआ खान संस्था ने राज्य व्यापार निगम से अयस्क खरीदने का उत्तरदायित्व लेने की प्रार्थना की है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्रवाई की गई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मन्त्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) गोआ में केवल छोटे खान मालिकों ने अपना अयस्क बेचने में सरकार की मदद मांगी है।

(ख) गोआ में कुछ छोटे खान मालिकों का एक संघ और कुछ अलग अलग-खान मालिक भी निर्यात के लिये उनसे लौह अयस्क खरीदने के लिये राज्य व्यापार निगम से प्रार्थना करते रहे हैं।

(ग) राज्य व्यापार निगम ने विदेशी खरीददारों के सामने गोआ लौह अयस्क के बारे में प्रस्ताव रख हैं और उनकी राय का इन्तजार किया जा रहा है।

केरल में जस्ता पिघलाने का कारखाना

†*६२७. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या केरल में एक कनाडा की फर्म के सहयोग से गैर-सरकारी क्षेत्र में ५ करोड़ रुपये की लागत से जस्ता पिघलाने का एक कारखान स्थापित किया जायगा ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मन्त्री (श्री मनुभाई शाह)**: जी हां।

दिल्ली में कर्मचारी राज्य बीमा योजना

†*६२८. **श्री नम्बियार** : क्या **श्रम और रोजगार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिल्ली में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के औषधालयों में जीवनावश्यक औषधियों तथा अन्य दवाइयों की बहुत कमी होने के बारे में छपे समाचारों की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति सुधारने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**श्रम और रोजगार मन्त्रालय में श्रम मन्त्री (श्री हाथी)** : (क) कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत १ अप्रैल, १९६१ को दिल्ली प्रशासन से चिकित्सा व्यय उपबन्ध अपने हाथ में लेने पर पता लगा था कि कुछ दवाइयां कम थीं।

(ख) कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने मेडिकल स्टोर डिपो करनाल और अन्य मंजूरशुदा सम्भरणकर्ताओं से दवाइयां मंगायी हैं। बाकी यहां से ही खरीदी गई हैं और औषधालयों को दे दी गई हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

राज्य व्यापार निगम

†*६२९. { श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री प्र० के० देव :
श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा : }

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि किसी प्रणाली के अनुसार कुछ गैरसरकारी फर्मों को राज्य व्यापार निगम की ओर से सामान आयात करने की अनुमति है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या इसी प्रणाली के अन्तर्गत राज्य व्यापार निगम ने ५०,००० टन लोहा आयात करने के लिय एक गैर-सरकारी फर्म से कहा था ;

(घ) यदि हां, तो वह कौनसी फर्म है तथा ऐसे आर्डर देने के कारण तथा शर्तें क्या हैं ; और

(ङ) वास्तव में यह आर्डर किस प्रकार दिये गये थे, इसका ब्यौरा क्या है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मन्त्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) से (ङ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

जिन विदेशी सम्भरणकर्ताओं और सार्थों का राज्य व्यापार निगम के साथ व्यापार चल रहा है उनके मान्यता प्राप्त अभिकर्ताओं को रुपया भुगतान के देशों से ऐसी वस्तुएं जिनके बारे में उनके साथ हमारा व्यापार करार है, और ऐसी वस्तुएं भी सम्पर्क/वस्तुओं के स्थान पर वस्तुओं का व्यापार सम्बन्धी करार में शामिल हैं उपभोक्ताओं के लिये मंगाने की अनुमति है। आयात की अनुमति वास्तविक उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये या तो उपभोक्ताओं को या उनकी इच्छा पर विदेशी व्यक्तियों के अभिकर्ताओं को दी जाती है। वितरणकर्ताओं द्वारा जिन मूल्यों पर वस्तुएं बेची जानी होती हैं उनमें से प्रत्येक की मंजूरी राज्य व्यापार निगम देता है। ये मूल्य इस प्रकार निर्धारित किये जाते हैं कि अलग अलग वस्तुओं पर वितरकों को अलग अलग लाभ प्राप्त हो।

चूंकि विदेशी सम्भरणकर्ता यह चाहते हैं कि राज्य व्यापार निगम वस्तुएं खरीदने के लिये उनके भारतीय अभिकर्ताओं से बातचीत करें अतः राज्य व्यापार निगम के छोटे पैमाने के उद्योग के लिए अपेक्षित विभिन्न प्रकार का इस्पात गैरसरकारी सार्थ से मंगवाना पड़ा है। राज्य-व्यापार निगम को मूल्यों की जो सूचियां प्राप्त हुई थीं व लोहा और इस्पात नियन्त्रक कलकत्ता को भेज दी गई थीं और मंजूरी देने से पूर्व लागत माल भाड़ा मूल्य के लिये उनकी मंजूरी ले ली गई थी। भारतीय फर्मों के नाम हैं (१) कलकत्ता के सर्वश्री अमीचन्द प्यारेलाल, और (२) सर्वश्री सुरेन्द्र (ओवरसीज) प्राइवेट लिमिटेड कलकत्ता।

---

†मूल अंग्रेजी में

टेपिओका, मांड आदि का निर्यात

†*६३०. **श्री मे० क० कुमारन :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम जर्मनी तथा अन्य योरोपीय देशों को टेपिओका, मांड तथा सूखे चिप्स का निर्यात बढ़ाने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो यह किस प्रक्रम पर है; और

(ग) उसका व्यौरा क्या है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) से (ग). सरकार का यह यह प्रयत्न है कि टेपिओका की वस्तुओं का अन्य देशों को निर्यात बढ़ाया जाय। टेपिओका, मांड और सूखे चिप्स के निर्यात में वृद्धि की कोई विशिष्ट प्रस्तावना नहीं है । किन्तु सरकार ने चालू योजना के अन्तर्गत मेनिओका मील का निर्यात करने के लिये राज्य व्यापार निगम को अधिकार दे दिया है ।

भारत विरोधी प्रचार

†*६३१. { **श्री हेम बरुआ :**
श्री रघुनाथ सिंह : }

क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान स्पेन के समाचारपत्रों में किये गये भारत विरोधी कटु प्रचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे क्या विषय हैं जिन के सम्बन्ध में विशेषतः भारत के विरुद्ध यह आन्दोलन चालू किया गया है ; और

(ग) सरकार ने यदि उन मामलों के सम्बन्ध में जिन्होंने स्पेन की जनता को उद्विग्न कर दिया है, वहां की जनता को तथ्यों से अवगत कराने के लिये कोई कार्यवाही की है तो वह क्या है ?

†**वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) :** (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) गोआ, काश्मीर, कांगो में भारतीय सैनिकों के कार्य, मोजम्बीक जैसे पुर्तगाल के उपनिवेशों की स्वतन्त्रता हेतु भारत द्वारा किये गये काम और एम० आई० जी० विमानों के लिये रूस सरकार के साथ को गई बातचीत के विषय हाल ही के महीनों में प्रचार का विषय रहे हैं ।

(ग) मेड्रिड में हमारे दूतावास ने गोआ और काश्मीर तथा औपनिवेशिक क्षेत्रों के सामान्य प्रश्न के बारे में भारत के रुख के सम्बन्ध में मुद्रित सामग्री का वितरण करके प्रचार का मुकाबला करने का भरसक प्रयत्न किया गया है । इससे स्पेन में सार्वजनिक नेताओं को इन समस्याओं के बारे में काफी कुछ बताने में काफी सफलता मिली है । अधिक सफलता पाना कठिन है क्योंकि वहां की सरकार का स्थानीय प्रेस और सूचना के अन्य मध्यमों पर कठोर नियन्त्रण है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दक्षिण अफ्रीका में भारतीय

†*६३२. { श्री दी० चं० शर्मा :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण अफ्रीका में भारतीय उद्भव के व्यक्तियों के साथ बर्ताव के संबंध में उस देश से प्रत्यक्षतः बातचीत करने के मामले में कोई प्रगति हुई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) इस समय मामला किस प्रक्रम पर है ?

†वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) १९ जून, १९६५ से, जिस दिन इस विषय पर एक प्रश्न का उत्तर इस सभा में दिया गया था इस सम्बन्ध में कोई प्रगति नहीं हुई है ।

त्रावनकोर में टिटैनियम उद्योग

†*६३४. { श्री अ० क० गोपालन :
श्री प० कुन्हन :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री ७ मई, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ४८५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मौंटिकैटिनी, इटली, के औद्योगिक वर्ग से इस बारे में बातचीत पूरी हो चुकी है कि मैसर्स त्रावनकोर टिटैनियम प्रोडक्ट्स लिमिटेड, त्रावनकोर द्वारा टिटैनियम डायआक्साइड के निर्माण में सहयोग दे ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय में उद्योग मन्त्री (श्री कानूनगो): (क) नहीं श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

मन्त्रालयों में बोर्ड तथा समितियां

†*६३५. श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न मंत्रालयों ने कौन कौन से विभिन्न बोर्ड, समितियां तथा इसी प्रकार की संस्थायें स्थापित की हैं ; और

(ख) दोहरे काम तथा अपव्यय को रोकने के लिए क्या इनकी उपयोगिता का कोई पुनर्विलोकन किया गया है ?

†वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) तथा (ख). अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और शीघ्र सभा पटल पर रखी जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

भूटान में डाक व्यवस्था

*६३६. **श्री भक्त दर्शन : क्या प्रधान मन्त्री** ६ जून, **१९६२** के अतारांकित प्रश्न संख्या २६७२ के उत्तर के **संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भूटान में डाक** व्यवस्था का विकास करने में अब तक **क्या** प्रगति **हुई है ?**

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : ६ जून, १९६२ को अतारांकित प्रश्न संख्या २६७२ का उत्तर दिए जाने के बाद से भूटान की डाक व्यवस्था का गठन करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

(१) भूटान सरकार ने डाक प्रशासन केंद्र की स्थापना के लिए भारतीय डाक सेवा के एक रिटायरशुदा अफ़सर को नियुक्त किया है ।

(२) भारत सरकार भूटान सरकार के पास दो सहायक पोस्ट मास्टरों को भेज रही है कि वे वहां जाकर डाक संगठन की स्थापना में सहायता दें ।

(३) भूटान और भारत के बीच एक डाक क़रार का मसौदा तय हो गया है । आशा है कि इस क़रार पर निकट भविष्य में हस्ताक्षर हो जाएंगे ।

भारत तथा जर्मन लोक तन्त्रात्मक गणराज्य के बीच व्यापार

†*६३७. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत तथा जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य के बीच प्रति वर्ष व्यापार बढ़ रहा है ;

(ख) क्या यह सच है कि जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य में भारत का कोई वाणिज्य दूतालय नहीं है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (ग) हां श्रीमान् । प्रेग स्थित भारत सरकार के वाणिज्य प्रतिनिधि जर्मन लोकतंत्रात्मक गणतंत्र के साथ व्यापार के विकास सम्बन्धी कार्य की संतोषजनक देख रेख कर रहा है ।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये क्वार्टर

†*६३८. { **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री कजरोलकर : }

क्या **निर्माण, आवास और सम्भरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 'स्पेशल एफ' टाइप के क्वार्टरों के अधिकारी १५ से २० वर्ष की सेवा वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को नई दिल्ली में अब तक सरकारी क्वार्टर नहीं मिला है ;

(ख) क्या यह सच है कि कम वर्षों की सेवा वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अन्य श्रेणियों के क्वार्टर आवंटित कर दिये गये हैं ; और

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ग) यदि हां, तो इस अनियमितता को दूर करने के लिए क्या क़दम उठाये गये हैं तथा इनको किस संभावित तारीख तक क्वार्टर दे दिये जायेंगे ?

†**निर्माण, आवास और सम्भरण मन्त्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)**: (क) से (ग). यह निश्चय किया गया है कि विशेष और नियमित प्रकार के आवास की व्यवस्था का अन्तर खत्म कर देने का निश्चय किया गया है । कुछ १५–२० वर्ष की सेवा वाले पदाधिकारी हैं जिन्हें सरकारी आवास नहीं मिला । इन अधिकारियों की बारी आने पर आवास दिया जायेगा । रामकृष्णपुरम में जो क्वार्टर बन रहे हैं उनके बन जाने पर स्थिति में सुधार होगा ।

चश्मे आदि के शीशे बनाने का कारखाना

†*६३९. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रूसी सहयोग से नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड, कलकत्ता द्वारा चश्मे आदि के शीशे बनाने का कारखाना स्थापित करने की योजना किस प्रक्रम पर है ; और

(ख) इसकी स्थापना में विलम्ब के क्या कारण हैं ;

†**वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय में उद्योग मन्त्री (श्री कानूनगो)**: (क) तथा (ख). परियोजना की विस्तृत रिपोर्ट रूसियों से प्राप्त हो गई है और वित्त मंत्रालय और योजना आयोग के सहयोग से इस पर विचार किया जा रहा र ।

सरकारी कार्यालयों का स्थानान्तरण

†*६४०. **श्री भक्त दर्शन** :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्री हेमराज :
श्री प्र० के० देव :

क्या **निर्माण, आवास और सम्भरण** मंत्री २४ मई, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या १०२५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली से और किन किन सरकारी कार्यालयों को स्थानान्तरित करने पर विचार किया जा रहा है ; और

(ख) उन में से प्रत्येक के बारे में क्या स्थिति है ?

†**निर्माण, आवास और सम्भरण मन्त्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) और (ख). इस समय किसी भी सरकारी दफ्तर को दिल्ली से बाहर भेजने का प्रस्ताव नहीं है । ऐसी सम्भावनाओं पर सदैव विचार होता रहता है ।

तीसरी योजना के लिये संयुक्त उत्पादन कार्यक्रम

†*३४१. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी योजना के लिए क्या संयुक्त उत्पादन कार्यक्रम बनाया गया है तथा इस योजना के अन्तर्गत १९६१–६२ के क्या उत्पादन आंकड़े हैं तथा १९६२–६३ के क्या प्रस्ताव हैं; और

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) दूसरी योजना की क्रियान्विति के अनुभवों तथा कार्यकारी वर्ग के प्रतिवेदन की मुख्य बातों के आधार पर वास्तविक तथा प्रभावी उत्पादन कार्यक्रम बनाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मन्त्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) तथा (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

तीसरी योजना के लिए कोई विशिष्ट सामूहिक उत्पादन कार्यक्रम नहीं बनाये गये । किन्तु आर्थिक दृष्टि से जिन उद्योगों का छोटे पैमाने पर संवर्धन संभव है उन्हें बड़े पैमाने के उद्योग क्षेत्र में उत्पादन का संभरण कर और प्रतिबंध लगा कर बढ़ाने की नीति अपनायी जा रही है । इस संवर्धन के अपनाये गये उद्योगों में से कुछ हैं :—

१. तार सम्बन्धी उद्योग ;

२. रंग का सामान ;

३. कीटाणु नाशक वस्तुएं ;

४. पेंट और वारनिश ;

५. प्लास्टिक ।

भारत और जापान में आर्थिक विकास सम्बन्धी अध्ययन के लिए समिति

†*६४२. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या योजना मन्त्री ६ अगस्त, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या १४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और जापान में आर्थिक विकास का अध्ययन सम्बन्धी समिति को जापान में उत्पादन प्रविधियों तथा औद्योगिक सम्बन्धों की प्रत्यक्ष जांच की सुविधा दी जायेगी ;

(ख) यदि हां, तो क्या जापानी समिति को ऐसी ही सुविधायें भारत में दी जायेंगी ;

(ग) क्या भारतीय समिति सरकार द्वारा क्रियान्विति के लिये विशिष्ट सिफारिशें पेश करेगी ;

(घ) समिति के सदस्य कौन होंगे ; और

(ङ) क्या अन्य देशों में भी ऐसी समितियां स्थापित करने का विचार है ?

†**योजना तथा श्रम और रोजगार मन्त्री (श्री नन्दा)** : (क) भारतीय समिति जापानी समिति से प्रार्थना कर सकती थी कि जहां आवश्यक और सम्भव हो वहां जापान के उत्पादन के उपायों और औद्योगिक सम्बन्धों का निरीक्षण करने की व्यवस्था की जाये ।

(ख) इसी प्रकार जापानी समिति भारतीय समिति से प्रार्थना करे ।

(ग) भारतीय समिति को कार्यान्विति के लिये विशेष सिफारिशें सरकार को नहीं देनी हैं किन्तु यदि यह आवश्यक समझे तो ऐसा कर सकती है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) इस समिति में श्री सी० डी० देशमुख, प्रोफेसर पी० सी० महालनोबिस सदस्य, सदस्य श्री भरत राम और श्री जगदीश अवस्थी सचिव हैं ।

(ङ) इस समय अन्य किसी देश के सम्बन्ध में ऐसी समितियां स्थापित करने के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा ।

वस्त्र, चाय आदि का निर्यात

†१७३४. **श्री विश्वनाथ राय :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६० और १९६१ के इसी काम की तुलना में इस वर्ष १ जनवरी से ३० जन तक की अवधि में वस्त्र, पटसन की वस्तुओं, साइकल और सिलाई की मशीनों के निर्यात में कमी हुई है ;

(ख) चालू वर्ष के पहले छः मास में कुल कितना निर्यात हुआ है ;

(ग) क्या १९६२ के जनवरी जून की अवधि में सम्बन्धित वस्तुओं के निर्यात का लक्ष्य प्राप्त किया जा रहा है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उस के क्या कारण हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) निर्दिष्ट कालावधि में सम्बन्धित वस्तुओं का निर्यात निम्न प्रकार से हुआ है :—

(करोड़ रुपयों में मूल्य)

	जनवरी-जून में निर्यात					
	१९६०		१९६१		१९६२	
	क्यू	वी	क्यू	वी	क्यू	वी
सूती वस्त्र (मिलीमीटर) .	३३५	२९.१	२८१	२७.९	२२५	२२.७
चाय (मिलिकिलोग्राम) .	६०	३५.५	६६	३९.४	७१	३९.१
जूट पटसन (टन भार) (धागे के बगैर) . . .	३८५	५४.६	३६१	७३.६	४३०	७२.१
साइकल .		०.०१		०.१०	..	०.०१
सिलाई की मशीनें . .	..	०.१४	..	०.१७	..	०.१६

(ख) जनवरी-जून, १९६२ की अवधि में कुल ३१८·२० करोड़ रुपये का निर्यात किया गया ।

(ग) केवल चाय, पटसन की वस्तुओं और सिलाई की मशीनों का निर्यात प्रत्याशा के अनुकूल है किन्तु सूती वस्त्र और साइकलों का निर्यात पर्याप्त नहीं हुआ । पूरे तौर पर और कई वस्तुओं के निर्यात की स्थिति जनवरी-जुलाई १९६२ में अच्छी रही ह ।

†मल अंग्रेजी में

(घ) सूती वस्त्र के निर्यात में कमी के कारण ये हैं कि अन्य देशों के साथ प्रतिस्पर्धा है, भारतीय बस्त्र का मूल्य अधिक है और निर्यात के कुछ बाजारों में प्रतिबन्ध है । साइकल निर्माताओं द्वारा बनाई गई पुंज योजना असफल रही है और उस का संशोधन किया जा रहा है ।

हिमाचल प्रदेश में विकास योजनाएं

१७३५. श्री हेम राज : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६२-६३ में हिमाचल प्रदेश की विकास योजनाओं के लिये कितना-कितना धन मंजूर किया गया है ; और

(ख) १९६१-६२ में इन योजनाओं के लिये कितना रुपया मंजूर किया गया था और कितना खर्च हुआ ?

योजना तथा श्रम और रोजगार मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) ७.४४ करोड़ रुपये ।

(ख) १९६१-६२ के बजट में जो व्यय निर्धारित किया गया था उस में से कितनी रकम वास्तव में खर्च की गई, इस बारे में हिमाचल प्रदेश प्रशासन ने अभी तक कोई सूचना नहीं भेजी है ।

चाय बागान

†**१७३६. श्री कार्जी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कुल कितने क्षेत्र-फल में चाय बागान हैं ;

(ख) किन किन राज्यों में चाय बागान हैं ;

(ग) प्रत्येक राज्य में कितने क्षेत्रफल मैं चाय बागान हैं ;

(घ) पश्चिम बंगाल के किन जिलों में चाय बागान हैं ;

(ङ) इन जिलों में से प्रत्येक में कितने एकड़ भूमि में चाय बागान हैं ;

(च) सारे भारत में चाय से कुल कितना शुल्क एकत्र किया गया है ।

(छ) प्रत्येक राज्य से कितना शुल्क एकत्र किया जाता है ?

(ज) पश्चिम बंगाल के प्रत्येक ज़िले से कितनी शुल्क एकत्र किया गया ?

†मूल अंग्रेजी में

†वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मन्त्री (श्री मनुभाई शाह): (क) से (ग) ३१ मार्च, १९६१ के चाय पैदा करने वाले राज्य में जितनी भूमि में चाय बागान हैं उनकी जानकारी निम्नलिखित है :

राज्य का नाम	चाय का क्षेत्र (हेक्टेयरस में)
असम	१६२,३३०,३७
पश्चिम बंगाल	८२,६१६,६१
बिहार	५३३,६४
त्रिपुरा	५,०४७,१०
उत्तर प्रदेश	२,०७८,६१
पंजाब (कांगड़ा)	३,७६३,१६
हिमाचल प्रदेश (मंडी)	४२०,०१
मद्रास	३२,७२०,६२
मैसूर (मैसूर)	१,७९४,०९
केरल	३९,७८५,१२
कुल	३३१,०८९,६३

(घ) तथा (ङ) निम्नलिखित तालिका में पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिलों के चाय के क्षेत्र बताये गये हैं :

जिले का नाम	चाय का क्षेत्र (हेक्टर्स में)
दार्जिलिंग	२७,७०९,३०
जलपाईगुडी	५४,४९४,३४
पश्चिम दीनाजपुर	२१३,९३
कच बिहार	१९९,३४
कुल	८२,६१६,६१

(च)	१९६१–६२ (हजार रुपयों में)
उत्पादन शुल्क	१०,३३,२५*
निर्यात शुल्क	@ ९०१,२५*
उपकर	८८,६९ (नहीं)

*इस में ४३,९७,००० रुपये की राशि शामिल नहीं सीमा शुल्क के खाते में डाली जानी है ।

@इस में ४३,९७,००० रुपये की राशि शामिल है जो उत्पादन शुल्क से हस्तांतरित की गई है ।

†मूल अंग्रेजी में

(छ) १९६१-६२ में राज्यवार चाय से एकत्र किया गया उत्पादन शुल्क निम्नलिखित है :

राज्य का नाम	उत्पादन शुल्क एकत्र किया गया (हजार रुपयों में)
आंध्र प्रदेश	२७,२२
असम	५,३२,६१
बिहार	५
महाराष्ट्र	३२,११
गुजरात	२०,४५
केरल	४६,०९
मध्य प्रदेश	३
मद्रास	१,१७,५३
मैसूर	२,५६
उड़ीसा	६
पंजाब	१,१०
उत्तर प्रदेश	७,४०
पश्चिम बंगाल	२,८७,२३
दिल्ली	१
हिमाचल प्रदेश	९
त्रिपुरा	२,६८

(ज) पश्चिम बंगाल (सर्कल अनुसार) के सम्बन्ध में वर्ष १९६१-६२ में वसूल किये गये राजस्व का विवरण नीचे दिया गया है :

सर्कल का नाम	वसूल किया गया कुल राजस्व
जलपाईगुडी	२३,४२
मालदा	१०
दार्जिलिंग	२२,६६
सिलीगुरी	४७,९८
अलीपुर द्वार	३८,८२
कूच बिहार	८१
कलकत्ता--१	..
कलकत्ता--२	१,५६,९७
कुल	२,९०,७६

संयुक्त राष्ट्र संघ में नौकरी करने वाले भारतीय

†**१७३७. डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फिलहाल कितने भारतीय विदेशों में, या तो संयुक्त राष्ट्र संघ में और उस के अनेक अभिकरणों में या सरकारी आधार पर विदेशी सरकारों को ऋण के रूप में, नौकरी कर रहे हैं ; और

(ख) उनकी सेवायें अधिक से अधिक कितनी अवधि के लिये ऋण के तौर पर दी गई हैं ?

†**प्रधान मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) और (ख). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

दिल्ली में निष्क्रान्त दूकानें और मकान

†**१७३८. श्री सोलंकी**: क्या **निर्माण, आवास और सम्भरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में (१९४७-६१) प्रत्येक क्षेत्र में पहले और दूसरे दर्जे की कुल कितनी दुकानें और मकान (निष्क्रमणार्थियों के) हैं ;

(ख) ये उन्हें किस आधार पर दिये गये हैं ; और

(ग) कुल कितनी उपर्युक्त दुकानें पहले के अनधिकृत व्यक्तियों को (१९४७-६१) दी गई हैं ?

†**निर्माण, आवास और सम्भरण मन्त्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) निष्क्रान्त मकानों और दुकानों का ऐसा वर्गीकरण कभी नहीं किया गया है ।

(ख) १०,००० रुपये या उससे कम की दुकानें और मकान विस्थापित व्यक्तियों को दिये गये थे और १०,००० रुपये से ऊपर की दुकानें और मकान नीलाम किये गये थे । नियतन (अलाट-मेन्ट) की अधिकतम सीमा अब १५,००० रुपये तक बढ़ा दी गई है ।

(ग) ३१-१२-१९६० से पहले, अधिकृत अथवा अनधिकृत विस्थापित व्यक्तियों के कब्जे में जो भी दुकानें थीं और जिन की कीमत १०,००० रुपये से कम थी, वे सभी उन्हीं लोगों के नाम नियत कर दी गई हैं । उन अनधिकृत व्यक्तियों के सम्बन्ध में जिन का कब्जा नियमित कर दिया गया था, कोई अलग आंकड़े नहीं रखे जाते ।

मद्रास राज्य में प्रादेशिक श्रम संग्रहालय

†**१७३९. श्री म० प० स्वामी** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास राज्य में एक प्रादेशिक श्रम संग्रहालय चालू करने के किसी प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो वहां किस प्रकार का काम किया जायेगा ; और

(ग) यह सग्रहालय कहां खोला जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†श्रम और रोजगार मन्त्रालय में श्रम मन्त्री (श्री हाथी) : (क) प्रादेशिक श्रम संस्था (रीजनल लेबर इंस्टिट्यट) साधारण स्तर पर पहले ही चालू की गई है ।

(ख) यह इंस्टिट्यूट कलकत्ता, मद्रास और कानपुर में स्थापित की तीन प्रादेशिक संस्थाओं में से एक है । यह विभिन्न प्रदेशों की विशिष्ट आवश्यकतायें पूरी करने के लिये श्रम सम्बन्धी शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण तथा उस से सम्बद्ध समस्याओं के लिये एक समन्वित योजना का अंग है । सेन्ट्रल लेबर इंस्टिट्यट, बम्बई, आयोजित कार्यक्रम का मुख्य केन्द्र है । औद्योगिक, स्वास्थ्य, कल्याण और सुरक्षा का एक संग्रहालय इन संस्थाओं का एक भाग होगा ।

(ग) मद्रास शहर में ।

रबड़ के नये बगीच

†१७४१. श्री नल्लाकोया : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रबड़ के नये बगीचे चालू करने के लिये ऋण देने की क्या शर्तें हैं ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मन्त्री (श्री मनुभाई शाह): (क) ५ एकड़ तथा उस से अधिक १५ एकड़ तक के भूमिधरों को अपने यहां रबड़ के नये बगीचे लगाने के लिये ऋण देने से सम्बन्धित मुख्य शर्तें इस प्रकार हैं :—

(१) यह ऋण ७५० रुपया प्रति एकड़ तक दिया जायेगा ।

(२) रबड़ बोर्ड द्वारा यह ऋण ६ किश्तों में बांटा जायेगा । पहली किश्त ३०० रुपय और दूसरी १५० रुपये प्रति एकड़ की होगी । शेष ४ किश्तें ७५ रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से होंगी ।

(३) ये बगीचे पूर्व अनुमति प्राप्त ढंग से लगाये जायेंगे और समुद्र की सतह से १५०० फीट से अधिक की ऊंचाई पर नहीं होंगे ।

(४) इस ऋण पर कोई ब्याज नहीं लिया जायेगा ।

(५) यह ऋण काफी प्रतिभूति अर्थात् १००० रुपये प्रति एकड़ की प्राप्ति के आधार पर दिया जायेगा ।

(६) यह ऋण ६ बराबर वार्षिक किश्तों में चुकता किया जायेगा और यह ऋण बगीचे लगाने के १० वर्ष बाद शुरू होगा और १२५ रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से चकता किया जायेगा ।

(७) यह ऋण साल में २५०० एकड़ भूमि तक के लिये ही दिया जायेगा ।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अधीन उड़ीसा के लिए अस्पताल

†१७४२. श्री उलाका : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अधीन औद्योगिक मजदूरों के लिए तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में उड़ीसा में अस्पताल बनाने की सरकार की कोई योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो अब तक क्या कदम उठाये गये हैं ?

---

†मूल अंग्रजी में

†**श्रम और रोजगार मन्त्रालय में श्रम मन्त्री (श्री हाथी)** : (क) जी हां ।

(ख)

अस्पताल/एनेक्सीह का नाम	**प्रगति**
इम्पलायीज स्टेट इन्शोरेन्स जनरल हास्पिटल, चोदवार—५० बेड्स	अस्पताल बनाने का काम शुरू हो गया है
जनरल हास्पिटल, चौदवार के अहाते में इम्पलायीज स्टेट इन्शोरेन्स टी० बी० एनेक्सी—१२ बेड्स	निर्माण कार्य जारी है और लगभग ८५ प्रतिशत काम पूरा हो गया है ।

दूसरी योजना के दौरान उड़ीसा को सहायता

†१७४३. **श्री उलाका** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा क गे कि :

(क) दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में उड़ीसा को कितनी सहायता या ऋण दिया गया ;

(ख) यह सहायता या ऋण किन-किन विशिष्ट परियोजनाओं के लिए दिया गया था; और

(ग) वह परियोजनाएं कहां तक पूरी हुई हैं ?

†**योजना तथा श्रम और रोजगार मन्त्री (श्री नन्दा)** : (क) क्रमशः ११ करोड़ रुपये ौर ५५ करोड़ रुपये के केन्द्रीय अनुदान और ऋण दिये गये ।

(ख) और (ग). प्रक्रिया के अनुसार केन्द्रीय सहायता का अनुमान राज्य की आयोजना में शामिल विभिन्न योजनाओं के लिए स्वीकृत व्यय और स्वरूप के अनुसार लगाया जाता है । भुगतान राज्य के वित्त विभाग द्वारा बताये गये व्यय के अनुसार किया जाता है, इसलिए यह बताना संभव नहीं है कि विशिष्ट नदी घाटी परियोजनाओं को छोड़ कर व्यक्तिगत योजनाओं के लिए दूसरी योजना के दौरान कितनी केन्द्रीय सहायता दी गयी ।

आदिम जाति लोक गीतों का प्रसारण

†१७४५. **श्री उलाका** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में सभी आकाशवाणी केन्द्र स्थानीय आदिम जाति लोकगीत प्रसारित करते हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो कौन-कौन से आकाशवाणी केन्द्र प्रसारित नहीं करते और उसके कारण क्या हैं ?

†**सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री शाम नाथ)**: (क) केवल वे केन्द्र जिनके अधीन क्षेत्रों में काफी संख्या में आदिम जाति के लोग रहते हैं, विशेषकर आदिम जाति श्रोताओं के लिए आदिम जाति लोकगीत प्रसारित करते हैं । फिर भी आकाशवाणी के सभी केन्द्र अपने अपने कार्यक्रमों में शहरी तथा देहाती श्रोताओं के लिए लोकगीत शामिल करते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) दिल्ली, लखनऊ, इलाहाबाद, पटना, जालन्धर, जयपुर, बम्बई, नागपुर, पटना, मद्रास, तिरुची, त्रिवेन्द्रम, कोजीकोड, धारवाड़, कर्सियांग, श्रीनगर, जम्मू और गोआ केन्द्र आदिम श्रोताओं के लिए आदिम जाति लोकगीत प्रसारित नहीं करते क्योंकि इन केन्द्रों के अधीन क्षेत्रों में आदिम जाति के लोग काफी संख्या में नहीं रहते ।

आन्ध्र प्रदेश में हथकरघा उद्योग

†१७४६. **श्री उलाका** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९–६०, १९६०–६१ और १९६१–६२ में आन्ध्र प्रदेश में हथकरघा उद्योगों से कितना उत्पादन हुआ ;

(ख) तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में आन्ध्र प्रदेश में हथकरघा उद्योगों के विकास के लिए कितनी रकम नियत की गयी है ; और

(ग) तीसरी पंचवर्षीय योजना के पहले दो वर्षों में कितनी रकम दी गयी है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मन्त्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) ५८० लाख रुपया ।

(ग) १९६१–६२ . . . ९८ लाख रुपया
१९६२–६३ . . . ७६.८० लाख रुपया ।

आन्ध्र प्रदेश में औद्योगिक बस्तियां

†१७४७. **श्री उलाका** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में आन्ध्र प्रदेश में कितनी औद्योगिक बस्तियां स्थापित करने का विचार है ; और

(ख) इस दिशा में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मन्त्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) ३ शहरी औद्योगिक बस्तियां

१८ देहाती औद्योगिक बस्तियां

१९ सहायता-प्राप्त प्राइवेट औद्योगिक बस्तियां ।

(ख) ३ शहरी बस्तियों और ८ सहायता-प्राप्त प्राइवेट बस्तियों के लिए भारत सरकार की मंजूरी दी गई है । इनमें से अधिकतर बस्तियों में भूमि अर्जन का कार्य जारी है ।

आन्ध्र प्रदेश में केन्द्रीय परियोजनायें

†१७४८. **श्री उलाका** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आन्ध्र प्रदेश में कितनी केन्द्रीय परियोजनाएं चल रही हैं ?

†**योजना तथा श्रम और रोजगार मन्त्री (श्री नन्दा)** : जानकारी इकट्ठी की जा रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

आन्ध्र प्रदेश में किसानों के लिये रोजगार

†१७४९. **श्री उलाका :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंदे मौसम में केन्द्रीय सरकार की सहायता से किसानों को रोजगार दिलाने के लिए आन्ध्र प्रदेश में कुछ परियोजनाएं चालू करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) इस योजना की अनुमानित लागत कितनी है ?

†**योजना तथा श्रम और रोजगार मन्त्री (श्री नन्दा)** : (क) से (ग). ग्रामीण निर्माण कार्य, कार्यक्रम के अधीन, १९६०–६१ के उत्तरार्ध में आन्ध्र प्रदेश के लिए ३ परियोजनाएं और मार्च, १९६२ में १५ परियोजनाएं नियत की गयी थीं। इस कार्यक्रम में छोटी सिंचाई परियोजनाएं, भू-संरक्षण, सड़कें आदि से सम्बन्धित योजनाएं आरम्भ की जायेंगी। ये काम पूरे हो जाने के बाद, आयोजना की अवधि के बाद के वर्षों के लिए अतिरिक्त नियतन भी किया जा सकता है। अभी यह विचार है कि १ लाख रुपया सालाना की दर से दिया जाये। जिन जिलों और खंडों में ये परियोजनाएं स्थित हैं उनके नाम इस प्रकार हैं :—

	जिला	खंड
पहला क्रम	हैदराबाद	१. इब्राहीमपत्तनम्
	करनूल	२. कोमारोल
	कृष्णा	३. गणवरम्
दूसरा क्रम	सिरकाकुलम्	१. कोटाबोम्पाली
	विशाखापत्तनम्	२. गंत्याडा
	गुन्टूर	३. विनुकोन्डा
	पूर्व गोदावरी	४. संखावरम्
	वारंगल	५. मुलुग
	नेल्लौर	६. वेन्कटागिरी
	कुडप्पा	७. सिधौन
	चित्तूर	८. रामकुप्पम्
	मेडक	९. रामयम्पेट
	खम्मम	१०. कल्लूर
	महबूबनगर	११. देवकरवेन्द्रा
	अनन्तपुर	१२. पेनुकोन्डा
	नलगोन्डा	१३. सूर्यपेठ
	करीमनगर	१४. मन्थानी
	आदिलाबाद	१५. चेन्नूर

†मूल अंग्रेजी में

आन्ध्र प्रदेश में गन्दी बस्तियों को हटाना

†१७५०. **श्री उलाका** क्या **निर्माण, आवास और सम्भरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९–६०, १९६०–६१ और १९६१–६२ में आन्ध्र प्रदेश में गन्दी बस्तियां हटाने के लिए कितनी रकम दी गयी थी ; और

(ख) तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में आन्ध्र प्रदेश में गन्दी बस्तियां हटाने के लिए कितनी रकम दी गयी थी ?

†**निर्माण, आवास और सम्भरण मन्त्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) :**

	दी गयी रकम		
	केन्द्रीय सहायता	राज्य का अंशदान	कुल
		(लाख रुपयों में)	
वर्ष			
१९५९–६०	२४.३०	८.१०	३२.४०
१९६०–६१	८.४४	२.८१	११.२५
१९६१–६२	१२.००	४.००	१६.००

(ख) तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में इस योजना के लिए केन्द्रीय सरकार ने ६९ लाख रुपया देना स्वीकार किया है बशर्ते कि आन्ध्र प्रदेश सरकार और २३ लाख रुपया दे।

रामकृष्णपुरम् नयी दिल्ली में क्वार्टर

†१७५१. **श्री साधुराम :**
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री बसुमतारी :

क्या **निर्माण, आवास और सम्भरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रामकृष्णपुरम् (अर्थात् मुनीरका बस्ती) नयी दिल्ली में अब तक विभिन्न श्रेणियों के कितने-कितने क्वार्टर सरकारी कर्मचारियों को दिये जा चुके हैं ;

(ख) इस बस्ती में प्रत्येक श्रेणी के और कितने क्वार्टर तैयार हैं या शीघ्र ही दिये जाने वाले हैं ;

(ग) इस बस्ती में और कितने क्वार्टर बन रहे हैं और वे कब तक दे दिये जायेंगे ;

(घ) इतनी बड़ी बस्ती के लिए दूकानों की क्या व्यवस्था करने का निश्चय किया गया है ;

†मूल अंग्रेजी में

(ङ) इस बस्ती के लिए प्रत्येक सेक्टर में कितने बाजार और कितनी दूकानें बनायी जायेंगी और कब और किसके द्वारा अर्थात् बाजार निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय द्वारा बनाये जायेंगे या और किसी प्राधिकार द्वारा बनाये जायेंगे ;

(च) बाजारों में दूकानें देने की क्या पद्धति और प्रक्रिया होगी ; और

(छ) क्या अनसूचित जातियों के लोगों के लिए कोई व्यवस्था की गयी है ?

†**निर्माण, आवास और सम्भरण मन्त्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)** : (क) १२६४ ।

(ख) एच वर्ग	१०००
जी वर्ग	७८०
एफ वर्ग	७६
ई वर्ग	११९६
	३०५२

(ग) लगभग ३१३० । ये क्वार्टर पूरी तरह तैयार हो जाने पर और दिल्ली नगर निगम द्वारा उन में पानी और नाली आदि की व्यवस्था किये जाने के बाद दिये जायेंगे ।

(घ) और (ङ). प्रत्येक सेक्टर के लिए एक-एक बाजार बनाने का विचार है । अभी केवल पहले चार सेक्टरों में ही क्वार्टर बनाये गये हैं । इन चारों सेक्टरों के पास ३५ से ४० दूकानें और स्टाल वाला एक बाजार बनाने का काम केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग शुरु कर रहा है ।

(च) और (छ). बाजार तैयार हो जाने पर ही नियतन की प्रक्रिया पर विचार किया जायेगा ।

दिल्ली में औद्योगिक बस्तियां

†**१७५२. श्री साधुराम** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगले तीन वर्षों में दिल्ली राज्य क्षेत्र में कितनी औद्योगिक बस्तियां बनायी जाने वाली हैं ;

(ख) इन औद्योगिक बस्तियों में औद्योगिक शेड देने की क्या पद्धति और प्रक्रिया होगी ;

(ग) क्या इन औद्योगिक बस्तियों या औद्योगिक क्षेत्रों के बारे में पूरी जानकारी सभा-पटल पर रख दी जायेगी ; और

(घ) क्या इन औद्योगिक बस्तियों में औद्योगिक भूखंड/शेड देने के लिए अनुसूचित जातियों/आदिम जातियों के लिए कोई व्यवस्था की गयी है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मन्त्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) से (घ). विवरण संलग्न है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

विवरण

(क) अगले तीन वर्षों में दिल्ली में कोई नयी औद्योगिक बस्ती स्थापित करने का कार्यक्रम नहीं है। फिर भी ओखला, औद्योगिक बस्ती के विस्तार का विचार है। दूसर दौर में ४० शेड पूरे हो रहे हैं और तीसरे दौर में, स्पोर्ट्स गुड्स उद्योगों के लिये शीघ्र ही ४१ शेड और कायम किये जायेंगे। बदली औद्योगिक बस्ती में ७ शेड पूरे हो रहे हैं।

(ख) औद्योगिक बस्तियों में शेड देने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायी जायेगी :—

(१) शेड में फैक्टरी के लिए जगह चाहने वाले उद्योगपतियों से आवेदनपत्र खुले विज्ञापन द्वारा मंगाये जायेंगे ।

(२) नियतन मंत्रणा समिति प्राप्त आवेदनपत्रों की छानबीन उद्योग के महत्व, उपबन्ध मजदूरों की तकनीकी जानकारी, उद्योगपतियों की तकनीकी जानकारी आदि को ध्यान में रखते हुए करेगी ।

(३) नियतन के बारे में अंतिम निश्चय नियतन मंत्रणा समिति की सिफारिशों पर चीफ कमिश्नर करेगा ।

(ग) औद्योगिक बस्तियों के संबंध में जानकारी भाग (क) के उत्तर में दी हुई है । औद्योगिक क्षेत्र के बारे में विस्तृत जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

(घ) इस बात पर कि उद्योगपति अनुसूचित जाति/आदिम जाति का है, उचित ध्यान दिया जायेगा और उसे बस्तियों में फैक्टरी शेड देने के मामले में विशेष रियायत दी जायेगी ।

बॉयलर निरीक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिये विदेशी विशेषज्ञों की नियुक्ति

†१७५३. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री ब० कु० दास :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **निर्माण, आवास और सम्भरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हमारे देश के बॉयलर निरीक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए विदेशी विशेषज्ञ नियुक्त करने का सरकार का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो वे किस देश से नियुक्त किये जायेंगे ;

(ग) उनकी नियुक्ति की शर्तें क्या होंगी ; और

(घ) निरीक्षकों को किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जायेगा ?

†**निर्माण, आवास और सम्भरण मन्त्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) :** (क) इंडियन बांयलर विनियम के अनुसार (१) बॉयलर निरीक्षक और (२) निरीक्षण अधिकारी में भेद किया जाना है । बॉयलर निरीक्षक चालू बॉयलरों के निरीक्षण के लिए जिम्मेदार होते हैं और इस प्रयोजन के लिए भारतीय कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए विदेशी विशेषज्ञों को लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। निरीक्षण अधिकारी निर्माताओं के वर्कशापों में बनाये जा रहे बॉयलरों के निरीक्षण

†मूल अंग्रेजी में

के लिए जिम्मेदार होते हैं । निरीक्षण अधिकारी का काम करने के लिए एक उपयुक्त अभिकरण स्थापित करने और भारतीय कर्मचारियों को इस काम का प्रशिक्षण देने के लिए, जो बिलकुल नया काम है और जिसका हमारे निरीक्षकों को पिछला कोई अनुभव नहीं है, विदेशी विशेषज्ञ की सेवाएं प्राप्त करने का विचार है । यह विशेषज्ञ निर्माताओं के आन्तरिक निरीक्षण विभागों की छान-बीन भी करेगा ।

(ख) हमने निम्नलिखित तीन देशों का संकेत दिया है :—

(१) पश्चिम जर्मनी ।

(२) ब्रिटेन

(३) अमरीका

(ग) विदेशी विशेषज्ञ की सहायता तकनीकी सहायता संबंधी संयुक्त राष्ट्र संघ विस्तृत कार्यक्रम के अन्तर्गत मांगी गयी है इस विशेषज्ञ की नियुक्ति की शर्तें वही होंगी जो इस कार्यक्रम के अधीन अन्य विशेषज्ञों की नियुक्ति के लिए होती हैं। भारत सरकार को स्थानीय खर्च देना होगा। उस विशेषज्ञ का वेतन और भत्ता, उसके अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा का खर्च जिस में भारत आने और यहां से वापस जाने के लिए उस के माल असबाब लाने ले जाने का खर्च शामिल है, संयुक्त राष्ट्र संघ देगा ।

(घ) निर्माण काल में बॉयलरों के निरीक्षण का प्रशिक्षण । यह निरीक्षण बॉयलर स्थापित किये जाने के बाद के निरीक्षण से अलग होता है ।

सिलाई की मशीनें

†१७५४. श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री ब० कु० दास :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिलाई मशीनों के वर्तमान उत्पादन से देश की आवश्यकता पूरी हो जाती है;

(ख) उसका कितना प्रतिशत निर्यात किया जाता है ; और

(ग) उस से कुल कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मन्त्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) यद्यपि घरेलू सिलाई मशीनों का वर्तमान उत्पादन देश की आवश्यकता पूरी करने के लिए पर्याप्त है फिर भी औद्योगिक सिलाई मशीनों का उत्पादन अभी उस स्तर तक नहीं पहुंचा है ।

(ख) अनुमान है कि अभी देशी उत्पादन का लगभग १५ प्रतिशत निर्यात किया जाता है ।

(ग) सिलाई मशीनों के निर्यात से १९६१–६२ में ३२,६१,००० रुपया कमाया गया ।

†मूल अंग्रेजी में

पासपोर्ट कार्यालय का कार्य

१७५५. { **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री ब० कु० दास :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली स्थित पासपोर्ट कार्यालय तथा बम्बई और मद्रास स्थित पासपोर्ट कार्यालयों की कार्य-परीक्षा के फलस्वरूप किन तथ्यों का पता चला है ; और

(ख) इन कार्यालयों में प्रक्रिया सम्बन्धी कठिनाइयां कम से कम हों तथा कार्यविधि सरल और जनसाधारण की सेवा की दृष्टि से, क्या-क्या सुधार किये गये हैं अथवा किये जाने की सम्भावना है ?

प्रधान मन्त्री तथा वैदेशिक कार्यालय तथा अणुशक्ति मन्त्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): (क) और (ख). सितम्बर, १९६० में प्रादेशिक पासपोर्ट अधिकारियों का जो दूसरा सम्मेलन हुआ था, उसमें भारत के सभी प्रादेशिक पासपोर्ट दफ्तरों की कार्य-प्रणाली पर बहुत अच्छी तरह विचार किया गया था। उस सम्मेलन की सिफारिशों पर, पासपोर्ट देने से सम्बद्ध नियमों तथा विनियमों (रूल्स एंड रेगुलेशंस) में बहुत हद तक ढील दी गई और उन्हें आसान बनाया गया ताकि प्रक्रिया-सम्बन्धी कठिनाइयां कम हो जायें। तब से कभी मुख्य पासपोर्ट अधिकारी ने और कभी विदेश मंत्रालय के अन्य अधिकारियों ने दिल्ली, बम्बई और मद्रास के प्रादेशिक पासपोर्ट कार्यालयों का निरीक्षण किया है। इन निरीक्षणों के परिणामस्वरूप, नियमों तथा विनियमों में अधिक संशोधन करने अथवा उन्हें और आसान बनाने की कोई जरूरत नहीं समझी गई है। फिर भी, कर्मचारियों की स्थिति और काम के बितरण पर विचार करके प्रशासन-सम्बन्धी कुछ निर्णय किए गए हैं जिससे कि अर्जियां आसानी से जल्दी निबटाई जा सकें।

कोयला खानों में दुर्घटनायें

†१७५६. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसनसोल कोयला क्षेत्र में बंगाल कोयला कम्पनी के अन्तर्गत खानों में मई, १९६२ में अनेक दुर्घटनायें हुई ;

(ख) किस किस खान में दुर्घटना हुई और प्रत्येक दुर्घटना में कितने व्यक्ति हताहत हुए ;

(ग) क्या यह सच है कि जिन श्रमिकों ने खान विभाग में दुर्घटना के बारे में साक्ष्य दी थी, उन्हें मालिक ने मुअत्तिल कर दिया है ; और

(घ) इस मामले में सरकार की क्या प्रक्रिया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रम और रोजगार मन्त्रालय में श्रम मन्त्री (श्री हाथी)**: (क) और (ख). आसनसोल कोयला क्षेत्र में बंगाल कोयला कम्पनी की दो खानों में अर्थात् गिरिमिन्ट कोयला खान और बकंसीमुल्ला कोयला खान में मई, १९६२ में दो दुर्घटनायें हुई थीं। पहिली खान की दुर्घटना में एक व्यक्ति मारा गया और दूसरा बुरी तरह घायल हुआ। दूसरी खान में दो व्यक्ति मारे गये।

(ग) गिरिमिन्ट कोलरी में दुर्घटना के बारे में १२ व्यक्तियों ने साक्ष्य दी थी। उनमें से एक तो नौकरी प्रबन्ध ने जांच के बाद नौकरी से अलग कर दिया। उस पर मारपीट का आरोप लगाया था।

(घ) सम्बन्धित व्यक्ति मारपीट के आरोप पर नौकरी से हटाया गया था, साक्ष्य देने पर नहीं हटाया गया।

राज्य व्यापार निगम

†१७५७. { **श्री बिशन चन्द्र सेठ**:
श्री में० क० कुमारन:

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ६ जून, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या १३१९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अन्य राज्य व्यापार निगम बनाने पर विचार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें और विद्यमान राज्य व्यापार निगम में क्या अन्तर है; और

(ग) दोनों व्यापार निगमों में कार्य का क्या विभाजन होगा?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मन्त्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) से (ग). अन्य राज्य व्यापार निगम बनाने का प्रश्न विचाराधीन है।

अपंजीबद्ध गोदी कर्मचारी (रोजगार विनियमन) योजना, १९५७

†१७५८. { **श्री अ० क० गोपालन**:
श्री प० कुन्हन:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रिसीट क्लर्क, डेमेज क्लर्क, बढ़ई, मार्कर्स, स्टिचर्स और चौकीदार जैसे कर्मचरी जो विभिन्न स्टेवेडोरिंग फर्म रखती है, अपंजीवद्ध डोक कर्मचारी (रोजगार का विनियमन) योजना, १९५७ के अन्तर्गत आते हैं;

(ख) यदि नहीं, तो उन्हें इसके अन्तर्गत न लाने के क्या कारण हैं;

(ग) ऐसे कितने कर्मचारी हैं;

(घ) क्या सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था कि इन कर्मचारियों को योजना के अन्तर्गत लाने के लिए उसमें संशोधन किया जाये; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ङ) यदि हां, तो सरकार आवश्यक संशोधन कब प्रस्तुत करेगी ?

†**श्रम और रोजगार मन्त्रालय में श्रम मन्त्री (श्री हाथी)** : (क) कलकत्ता बन्दरगाह पर केवल स्टिचर्स ही उस बन्दरगाह की योजना के अन्तर्गत आते हैं। खाद्यान्न कर्मचारियों के साथ बम्बई गोदियों में काम करने वाले स्टिचर्स को भी उस बन्दरगाह की योजना के अन्तर्गत लान का विचार है ।

(ख) योजनायें किन पर लागू हों, यह बात गोदी कर्मचारी (रोजगार विनियमन) जांच समिति, १९५५ की सिफारिशों पर निर्भर हैं।

(ग) कलकत्ता योजना ६१८ स्टिचर्स पर लागू होती है । कर्मचारियों की अन्य श्रेणियों सम्बन्धी जानकारी उपलब्भ नहीं है ।

(घ) और (ङ). मद्रास बन्दरगाह मजदूर संघ से एक अभ्यावेदन मिला है और उसकी जांच की जा रही है ?

कानपुर कपड़ा कमिटी, कानपुर

†१७५९. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर कपड़ा कमिटी ने सितम्बर, और अक्तूबर, १९६१ में राजनीतिक अंशदान के रूप में ६०,००० रुपये दिये थे ;

(ख) क्या यह कार्यवाही समवाय विधि के विरुद्ध की गई थी ;

(ग) क्या इस बारे में जांच पड़ताल हो रही है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मन्त्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (घ). कहा जाता है कि कानपुर कपड़ा कमिटी, कानपुर ने अपनी रजत जयन्ती मनाने के लिए अपने सदस्यों तथा असदस्यों से धन एकत्रित किया था। इस राशि में से विचार है कि ५०,००० रुपये की थैली २४–९–१९६१ को प्रधान मंत्री को भेंट की गई और १७–२–१९६२ को १०,००० रुपये की दूसरी थैली उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री को भेंट की गई । यह प्रश्न कि क्या इन अंशदानों से विधि उल्लंघन हुआ है या नहीं, इसका निश्चय समवाय के लेखा परीक्षित लेखे (जो फरवरी-मार्च, १९६३ में प्रस्तुत होंगे) समवाय रजिस्ट्रार, कानपुर को वस्तुतः प्रस्तुत किये जाने पर ही किया जा सकता है ।

व्हिटले परिषदों का संगठन

†१७६०. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय प्रतिरक्षा कर्मचारी फेडरेशन से व्हिटले परिषदों के संगठन के मामले में परामर्श नहीं लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस भेदभाव का क्या कारण है ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या फैडरेशन ने इस मामले में मंत्री महोदय से प्रार्थना की है ?

†**श्रम और रोजगार मन्त्रालय में श्रम मन्त्री (श्री हाथी)** : (क) और (ख). श्रम और रोजगार मंत्री ने विधि कर्मचारियों से उन की व्यक्तिगत स्थिति में अनौपचारिक बात चीत की थी। उनसे संघों संस्थाओं के प्रतिनिधियों के रूप में बात नहीं की।

(ग) हां।

तीसरी योजना और राज्य

†१७६१. **श्री ब० कु० दास :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री पें० वेंकटा सुब्बय्या :
श्री हेम राज :

क्या **योजना** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जो राज्य की योजनाओं में सम्मिलित योजनाओं के लिए वर्ष १९६१-६२ और १९६२-६३ के लिए संसाधनों का अपने भाग की व्यवस्था नहीं कर सके हैं ; और

(ख) इन राज्यों की योजना पूरी करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**योजना तथा श्रम और रोजगार मन्त्री (श्री नन्दा)** : (क) और (ख). दो वर्ष १९६१-६२ और १९६२-६३ को एक साथ रखकर देखें, तो अपनी योजनाओं की पूर्ति के लिए आवश्यक वित्त के अपने भाग को जुटाने में सभी राज्य प्रयत्नशील हैं।

निशस्त्रीकरण सम्मेलन

†१७६२. **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा :

क्य **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) जनेवा में निशस्त्रीकरण सम्मेलन की आजकल क्या स्थिति है ; और

(ख) क्या कोई प्रगति हुई है।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) और (ख). १६ जुलाई, १९६२ को इसके पुन: आरम्भ होने के बाद जनेवा निशस्त्रीकरण समिति निरन्तर निशस्त्रीकरण के उपायों पर विचार कर रही है जो हो सकता है कि सामान्य तथा पूर्ण निशस्त्रीकरण की प्रथम अवस्था बन जाये ? समिति इसी का प्रारूप बनाने के लिये प्रयत्नशील है।

---

†मूल अंग्रेजी में

परमाणु परीक्षण विस्फोटों को बन्द करने वाली सन्धि के बारे में भी विचार विमर्श हो रहा है और दो तनाव कम करने वाले आनुशांगिक उपायों पर भी विचार विमर्श हो रहा है :—

(१) परमाणु अस्त्रों के और वितरण को रोकना, और

(२) अचानक गलतफहमी या संचार की असफलता के कारण युद्ध होने की संभावना कम करना ।

यद्यपि इन बातों पर अभी कोई करार नहीं हुआ है, दोनों गुटों को अलग रखने वाले मतभेद कुछ कम हो गये हैं ।

ईंधन औद्योगिक सेवा संगठन

†१७६३. **श्री श्रीनारायण दास : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में ईंधन का कुशल प्रयोग बढ़ाने के उद्देश्य से ईंधन औद्योगिक सेवा संगठन की स्थापना करने में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) क्या इस संबंध में कोई योजना निश्चित की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी महत्वपूर्ण बातें क्या हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) से (ग). जैसा कि ७ मई, १९६२ को अतारांकित प्रश्न संख्या ७३२ के उत्तर में लोक सभा में कहा गया था कि दो ईंधन कुशलता विशेषज्ञों की रिपोर्ट संबंधित उद्योगों के परामर्श से विभिन्न विकास परिषदों के सभापतियों का मत जानने के लिये परिचालित कर दी गई है। कुछ सभापतियों के मत अभी नहीं आये हैं। भारत में स्थापित होने वाला ईंधन उद्योग सेवा संगठन क रूप पर भी आजकल यह मंत्रालय और खान तथा ईंधन मंत्रालय विचार कर रहा है।

केंद्रीय उद्योग विस्तार प्रशिक्षण संस्था, हैदराबाद

१७६४. **श्री म० ला० द्विवेदी :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय उद्योग विस्तार प्रशिक्षण संस्था को हैदराबाद में स्थापित करने का जो निश्चय किया गया है उसमें अब तक कितनी प्रगति हो चुकी है ; और

(ख) क्या उसमें प्रशिक्षण कार्य आरम्भ हो गया है और इस समय कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). एक विवरण साथ में नत्थी है ।

विवरण

आन्ध्र प्रदेश की सरकार ने केन्द्रीय उद्योग विस्तार प्रशिक्षण संस्था, हैदराबाद के लिये एक इमारत जिसमें अस्थायी रूप से यह संस्था स्थापित की जा सकती है, तथा प्रशिक्षणार्थियों के लिये अस्थायी होस्टल के रूप में इस्तेमाल करने के लिये तीन नवीकृत बैरकें दे दी हैं। इस संस्था के लिये स्थायी इमारतें बनाने के लिये स्थान चुना जा चुका है और उस पर काम शुरू हो चुका है।

---

†मूल अंग्रेजी में

२. प्रिंसिपल-निदेशक, भारतीय संकाय के तीन सदस्य, विदेशी संकाय के तीन सदस्य, तथा आवश्यक प्रशासकीय कर्मचारी वर्ग वहां पहुंच चुका है : भारतीय संकाय के तीन और सदस्य तथा विदेशी संकाय के एक सदस्य के शीघ्र ही वहां पहुंच जाने की आशा है।

३. संस्था में प्रशिक्षण का कार्य शुरू हो चुका है तथा अब तक निम्नलिखित पाठ्यक्रम चलाये जा चुके हैं और गोष्ठियां हो चुकी हैं :—

(१) १२ से १७ मार्च, तथा २६ से ३१ मार्च,, १९६२ तक केन्द्रीय लघु उद्योग संगठन के आर्थिक पड़ताल डिवीजन के अधिकारियों के लिये एक एक सप्ताह की दो गोष्ठियां आयोजित की गई। इन गोष्ठियों में केन्द्रीय लघ उद्योग संगठन के ११० अधिकारियों ने भाग लिया।

(२) ९ अप्रैल से ५ मई, १९६२ तक केन्द्रीय लघु उद्योग संगठन के २० उप-निदेशकों के लिये एक चार सप्ताह की प्रयोगात्मक प्रशिक्षण गोष्ठी की गई।

(३) इन गोष्ठियों में हुई चर्चा के आधार पर संस्था के नियमित पाठ्यक्रम के लिये विभिन्न पाठ्क्रम तैयार किये गये हैं। २ जुलाई, १९६२ को पहला पाठ्यक्रम शुरू किया गया था। यह पाठ्यक्रम २२ सितम्बर, १९६२ तक चलेगा। इस समय इस पाठ्यक्रम में केन्द्रीय लघु उद्योग संगठन के चालीस सहायक निदेशकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

(४) दूसरे प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के ५ नवम्बर, १९६२ से शुरू किये जाने की आशा है जिसमें राज्य सरकारों के अधिकारी भी शामिल रहेंगे। यह पाठ्यक्रम १ दिसम्बर १९६२ तक चलेगा।

औद्योगिक डिजाइन की राष्ट्रीय संस्था, अहमदाबाद

१७६५. श्री म० ला० द्विवेदी : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अहमदाबाद में औद्योगिक डिजाइनों की जो राष्ट्रीय संस्था स्थापित की जा रही है उसकी अब तक कितनी प्रगति हो चुकी है ;

(ख) क्या यहां प्रशिक्षण देना आरम्भ हो गया है ;

(ग) यदि हां, तो कितने व्यक्ति इस समय प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं ; और

(घ) इस संस्था पर सरकार प्रति वर्ष कितना खर्च करेगी ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (ग). संस्था के लिये भूमि प्राप्त करली गई है और इमारत बनाने की योजनायें तैयार की जा चुकी हैं। निर्माण कार्य शीघ्र आरम्भ किये जाने की आशा है। मशीनों तथा उपकरणों आदि की सूचियां बनाई जा चुकी हैं और उनके सम्भरण के लिये आर्डर दिये जा रहे हैं। आवश्यक कर्मचारी भर्ती किये जा चुके हैं। आशा है कि सितम्बर, १९६३ से पहला प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू कर दिया जायगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) इस संस्था पर तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में भारत सरकार कुल लगभग ३०.५५ लाख रुपया खर्च करेगी जिसके लिये वह वचन-बद्ध है।

"जर्नल आफ इंडस्ट्री एण्ड ट्रेड"

१७६६. { श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री विश्वनाथ राय :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "जर्नल आफ इण्डस्ट्री एण्ड ट्रेड" के सम्पादन, मुद्रण और कागज पर कितना व्यय होता है ;

(ख) हिन्दी में प्रकाशित होने वाली "उद्योग-व्यापार पत्रिका" के सम्पादन, मुद्रण और प्रकाशन पर कितना व्यय होता है ; और

(ग) "उद्योग-व्यापार पत्रिका" को "जर्नल आफ इंडस्ट्री एण्ड ट्रेड के समकक्ष" बनाने के लिये क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) इसके मुद्रण और कागज पर होने वाले वार्षिक खर्च का अनुमान १,२०,००० रु० है। इस जर्नल के सम्पादन के लिये कोई भी कर्मचारी नहीं रखे गये हैं, अतः सम्पादन पर होने वाले व्यय के बारे में अलग से जानकारी उपलब्भ नहीं है।

(ख) लगभग ३४,००० रु०।

(ग) दोनों पत्रिकाओं का स्तर तथा उत्पादन लागत का औसत लगभग बराबर है।

उत्पादन रुक जाना

†१७६७. { श्री वारियर :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री नम्बियार :
श्री प्रिय गुप्त :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चालू वर्ष के अन्दर उत्पादन रुक जाने के संबंध में कोई जांच की है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

†श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी) : (क) केन्द्रीय क्षेत्र में दिसम्बर १९६१ से मार्च १९६२ के बीच काम रुक जाने के संबंध में विश्लेषण किया जा रहा है ? राज्य क्षेत्रों के बारे में इसी प्रकार विश्लेषण राज्य सराकारों द्वारा किया जा रहा है।

(ख) विश्लेषण कार्य प्रगति पर है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

तस्कर व्यापार

†१७६८. { श्री भागवत झा आजाद :
श्री भक्त दर्शन :
श्री जसवंत मेहता :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : भारत-तिब्बत व्यापार करार के समाप्त होने से लेकर तस्कर व्यापार में वद्धि हुई है।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : भारत-तिब्बत व्यापार करार समाप्त होने के बाद से भारत से तिब्बत को माल के तस्कर व्यापार में कोई वद्धि नहीं हुई है। सरकार ने माल के इस प्रकार अवैध ले जाने को रोकने के लिये आवश्यक उपाय किये हैं।

गोआ का भूतत्वीय सर्वेक्षण

†१७६९. { श्री अ० व० राघवन :
श्री पोट्टेकाट्ट
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री कोल्ला वेंकैया :
श्री हरि विष्णु कामत :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोआ का विशद भूतत्वीय सर्वेक्षण करने का कोई प्रस्ताव सरकार के सामने है ; और

(ख) क्या गोआ की खनिज सम्पत के बारे में कोई शासकीय वृत्त उपलब्ध है।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) जी हां। भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग के अफसरों का एक दल ७ जलाई, १९६२ से गोआ में गया है और वह उस राज्य क्षेत्र का विस्तृत सर्वेक्षण कर रहा है।

भारतीय खान ब्यूरो भी अगस्त १९६२ के अन्त तक ; गोआ को अफसरों का एक दल भेज रहा है।

(ख) इस विभाग पर कोई शासकीय रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है ?

तिरुचेन्दुर तालुक, मद्रास में नमक का निर्माण

†१७७०. { श्री अ० क० गोपालन :
श्री उमानाथ :
श्री प० कुन्हन :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह तथ्य है कि भारत सरकार के नियंत्रण में, तिरुचेन्दूर तालुक (मद्रास राज्य) में कापालपाटनम तक उत्तर गांव में नमक के निर्माण के लिए 'पोरोमबोट परती भूमि है ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो कितनी;

(ग) क्या इन में से कुछ भूमि खेती के लिये कुछ भूमिहीन लोगों को आवंटित की गई है;

(घ) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

(ङ) क्या सरकार के पास उपरोक्त गांव के कुछ भूमिहीन ग्रामीणों की ओर से यह प्रार्थना की गई है कि अवशिष्ट फालतू भूमि उनको खेती के लिये, आवंटित कर दी जाए तथा उस पर खेती करन के लिये उन को सहायता भी दी जाए; और

(च) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) **से** (च). कपालपटनम गांव में नमक बनाने के लिय कोई फालतू भूमि उपलब्ध नहीं है । भूमिहीन गरीब रैयत सहकारी उत्पादन संस्था, अरुमुंगनेरी, मद्रास राज्य द्वारा जून १९६२ में प्रार्थना की गई थी कि उस क्षेत्र में फालतू भूमि खेती के कार्य के लिये उन को दे दी जाए । प्रार्थियों को सूचित कर दिया गया है कि उस क्षेत्र में केवल १०.०८ एकड़ भूमि खाद्य फसलों की खेती के लिये उपलब्ध है और उन को राज्य सरकार के अभिकरण के माध्यम से उस क्षेत्र को पट्टे पर देने में कोई आपत्ति नहीं है ।

विस्थापित लोगों को भूमि आवंटनों का रद्द किया जाना

†**१७७१. श्री अ० क० गोपालन** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह तथ्य है कि अलवा मैनेजिंग अफसर, कस्टोडियन विभाग ने उन विस्थापित लोगों के आवंटनों को रद्द करना आरंभ कर दिया है, जो अपनी भूमि का मूल्य देने में असमर्थ रहे हैं ;

(ख) क्या यह सत्य नहीं है कि विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) नियमों, १९५५ के नियम १०२ में स्पष्ट रूप से आवंटी विस्थापित लोगों को खातेदारी अधिकार दिये गय हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या उसका यह कार्य उपरोक्त नियम का उल्लंघन नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार उस अफसर को एसी कार्रवाई रोकने के लिय कहेगी ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) जी हां । आवंटन रद्द उन मामलों में किया जाता है जिन में आंशिक मूल्य देने के पश्चात आवंटी बकाया किश्तें नहीं देते ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) और (घ) सवाल पदा नहीं होता ।

पारपत्र

१७७२. श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशों में अध्ययन के लिए पासपोर्ट प्राप्त करते की प्रवृति पहले की अपेक्षा बढ़ रही है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) गत ६ मास में अध्ययन के लिए ऐसे कितने पासपोर्ट दिये गये ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) और (ख). विदेशों में अध्ययन करने के लिए १९६२ के पहले छः महीनों में ५,४७९ पासपोर्ट दिए गए थे जब कि १९६१ की इसी अवधि में उसी काम के लिए ४,४३९ पासपोर्ट दिए गए थे।

बिहार में नरसाही जंगल के कुछ भाग पर नेपाल का दावा

१७७३. **श्री भक्त दर्शन :**
श्री भागवत झा आजाद :
श्री डी० चं० शर्मा :

क्या **प्रधान मंत्री** १९ जून, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या १५४५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के चम्पारन जिले में नरसाही जंगल के कुछ भाग पर नेपाल की सरकार ने जो दावा किया था, उस के बारे में इस बीच और क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) इस समय वह वन खण्ड किस के अधिकार में है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) बिहार सरकार इस मामले पर अभी विचार कर रही है।

(ख) नेपाल सरकार ने नरसाही जंगल के जिस हिस्से पर दावा किया है, उस में पेड़ों को नीलाम करने और जंगल की कुछ पैदावार ले लेने के अलावा उस ने कब्जे की कोई कार्रवाई नहीं की है। इस इलाके से संबद्ध राजस्व, पुलिस, सामान्य प्रशासन और अन्य मामलों में बिहार सरकार पूरा अधिकार रखती है।

केरल में खादी और ग्राम उद्योग

†१७७४. **श्री प० कुन्हन :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१–६२ में केरल खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड को अखिल भारतीय खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड ने कितनी राशि मंजूर की है;

(ख) कितनी राशि खर्च हुई है;

(ग) १९६१–६२ में केरल–बोर्ड ने कौन २ सी परियोजनाएं आरम्भ कीं ; और

(घ) विविध परियोजनाओं के परिणाम स्वरूप कितने लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) से (घ). सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी

गोआ में हथियारों का बरामद किया जाना

†१७७५. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १ जुलाई, १९६२ को मोतीदमन (गोआ) में एक कुंए से स्टेनगन और अन्य गोला बारूद बरामद किये गये हैं ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो यह हथियार कहां के बने हुए हैं?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) और (ख). जी, हां। अपेक्षित जानकारी निम्न प्रकार है :

क्रम संख्या	हथियार की किस्म	संख्या	चिह्न
१.	माउजर (पिस्तौल किस्म)	३८	पुर्तगाल सरकार का चिह्न।
२.	बन्दूक .	२	एन्फील्ड १६१६ चिह्न अन्य चिह्न पढ़े नहीं जाते।
३.	बन्दूक "एरा" . .	२	'एरा' चिह्न। अन्य चिह्न पढ़े नहीं जाते।
४.	स्टेनगन	४	पुर्तगाल सरकार का चिह्न, १६४२।
५.	स्टिक गन . . .	२ (टूटी हुई)	जंग लगने से चिह्न मिट गये।
६.	मशीन—गन . . .	२	पुर्तगाल सरकार का चिह्न
७.	मशीन गन की नली . .	१	जंग लगने से निशान मिट गये।
८.	म्यान . .	२७	,,
९.	संगीन . . .	२६	,,
१०.	टोप . . .	३७	,,
११.	पानी की बोतलें . .	२	,,
१२.	कारतूस . . .	२९८५	,,
१३.	मेंगजीन (विशेष बन्दूक) खाली	३४	,,
१४.	मैगजीन (विशेष बन्दूक) भरी हुई . .	८	,,
१५.	बम . . .	३	,,
१६.	हथगोले . . .	५१	,,

केरल में सूत का भाव

†१७७६. **श्री प० कुन्हन** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को केरल में उद्योग मंत्री के कहने पर सूत के मूल्य में असामान्य वृद्धि पर विचार करने और एक धागा वितरण योजना तैयार करने के लिये केरल में में हुए हाल के मिल मालिक सम्मेलन का कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना सम्मेलन की सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) इन सिफारिशों पर सरकार ने यदि कोई कार्यवाही की है, तो वह क्या है?

†मूल अंग्रेजी में

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह): (क) सरकार को ऐसा कोई प्रतिवेदन नहीं मिला है।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

तिब्बत में भारतीय व्यापारी

१७७७. श्री भक्त दर्शन : क्या प्रधान मंत्री १९ जून, १९६२ के तारांकित प्रश्नसंख्या १५५४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तिब्बत के साथ व्यापार बन्द हो जाने से जो भारतीय व्यापारी बेकार हो गए हैं उनके पुनर्वास और सहायता के लिए विभिन्न राज्य-सरकारों ने क्या ठोस कदम उठाए हैं; और

(ख) इन भारतीय व्यापारियों के पुनर्वास के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा सीधे अथवा राज्य सरकारों के जरिये दिए जाने वाले सहयोग का क्या स्वरूप है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): (क) तिब्बत के साथ व्यापार बन्द हो जाने से जिन लोगों पर असर पड़ा है, उन्हें लाभकारी रोजगार दिलाने के लिए सम्बद्ध राज्य सरकारों ने कई उपाय बरते हैं। इन उपायों में ये शामिल हैं: व्यापक विकास योजनाएं शुरु करना, नए धंधों में फिर से लगने के लिए आसान शर्तों पर कर्ज देना, लघु उद्योग और दस्तकारी केन्द्र स्थापित करना आदि।

(ख) जिन विशेष परिस्थितियों में इन व्यापारियों को उनके परम्परागत काम-धंधों से वंचित किया गया है, उन्हें ध्यान में रखकर, केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों के सहायता सम्बन्धी कार्यों में सक्रिय रूप से सहयोग दिया है जिससे कि प्रभावित व्यापारियों को अनुचित कठिनाइयों का सामना न करना पड़े।

कछार में उद्योगपति

†१७७८. श्रीमती ज्योत्स्ना चन्दा : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ उद्योगपतियों ने, जिनको जनवरी, १९६० से लेकर जून, १९६२ के अन्त तक की अवधि में कछार में उद्योग स्थापित करने के लिये लाइसेंस दिये गये थे, लाइसेंस वापस कर दिये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उद्योगपतियों के क्या नाम हैं ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख). जी, नहीं। तथापि, उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ के अधीन मेसर्ज आसाम पल्प मिल्स लिमिटेड, कलकत्ता को पल्प बनाने के लिये कछार में एक नया उद्योग स्थापित करने के लिये दिसम्बर, १९५८ में दिया गया लाइसेंस इस पक्ष ने वापस कर दिया क्योंकि वे आवश्यक पूंजी का प्रबन्ध नहीं कर सके।

---

†मूल अंग्रेजी में

राजस्थान सीमा पर पाकिस्तानियों द्वारा आक्रमण

†१७७६. { **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री राम रतन गुप्त :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि ११-१२ जुलाई की रात्रि को ३ सस्शस्त्र पाकिस्तानियों ने बीकानेर से लगभग ५० मील पर पुगाल क्षेत्र में सीमांत ग्राम बारजू में धावा बोल दिया और ४००० रुपये की सम्पत्ति लूटकर भाग गये ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** ११-१२ जुलाई की रात्रि में बारजू ग्राम में ऐसी कोई घटना नहीं हुई।

तथापि, ८/९ जुलाई की रात्रि में ३ अज्ञात व्यक्तियों ने, जिनका पाकिस्तानी नागरिक होने का विश्वास किया जाता है, जो शस्त्रास्त्र से लैस थे, पुगाल थाना के अन्तर्गत बारजू ग्राम में धावा बोल दिया और अपने साथ दो ऊंट और लगभग ३,६०० रुपये का लूट का माल लेकर चम्पत हो गये।

बीकानेर के पुलिस सुपरिन्टेंडेंट ने पाकिस्तान में पुलिस सुपरिन्टेंडेंट से एक विरोध प्रकट किया है जिसमें अपराधियों को गिरफ्तार करने और लूटी गयी सम्पत्ति को लौटाने की प्रार्थना की है।

अन्तर्राष्ट्रीय टीन परिषद

†१७८०. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १४ जुलाई, १९६२ को अमरीका टीन भंडार के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय टीन परिषद् ने, जिसका भारत सदस्य है, एक करार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका टीन के मूल्य और संभरण पर क्या प्रभाव पड़ा ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** (क) और (ख). १०-१२ जुलाई, १९६२ को लन्दन में हुई अन्तर्राष्ट्रीय टीन परिषद् की छठी बैठक में अमरीका सरकार को भंडार से टीन की बिक्री के लिये स्वीकृति के लिये सिफारिश करने के लिये कुछ सिद्धांतों पर समझौता किया गया। परिषद् इन सिफारिशों पर अमरीका सरकार के साथ बातचीत न करने के लिये एक शिष्टमण्डल वाशिंगटन भेजने पर भी राजी हुई।

शिष्ट मण्डल ने २३-२६ जुलाई, १९६२ को अमरीका सरकार के साथ बातचीत की। यद्यपि इस परामर्श से कोई समझौता नहीं हुआ, अमरीका सरकार ने आश्वासन दिये कि वे शिष्टमण्डल के विचारों पर ध्यान देंगे और पर्याप्त मात्रा में फालतू टीन बेचेंगे और विक्रय दर मंडी की हालत के अनुसार विनियमित करेंगे।

टीन के मूल्य और संभरण पर उपरोक्त बात का असर तभी पता चलेगा जब अमरीकी भंडार से इसकी बिक्री होगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

आन्ध्र प्रदेश के लिये अतिरिक्त अभ्यंश का आवंटन

†१७८१. **श्री कोल्ला वेंकैया** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित संकल्प, जिसमें राज्य योजना में निर्धारित मात्रा के अतिरिक्त राज्य को सरकारी क्षेत्रीय और गैर-सरकारी क्षेत्रीय औद्योगिक परियोजनाओं से अभ्यंश आवंटन करने के लिये संघ सरकार से प्रार्थना की गयी है, की प्रति केन्द्रीय सरकार को मिल गयी है ;

(ख) क्या इसकी प्राप्ति-स्वीकृति भेज दी गयी है ; और

(ग) संकल्प पर केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**योजना तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री नन्दा)** : (क) और (ख). जी हां।

(ग) तृतीय योजना में शामिल केन्द्रीय औद्योगिक परियोजनाओं की स्थापना का स्थान तै करने और गैर-सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं को लाइसेंस देने के समय संकल्प में दी गयी बातों पर ध्यान दिया गया ।

डा० आओ का हत्यारा

†१७८२. **श्री प्र० के० देव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागालैंड में डा० आई० आओ का हत्यारा गिरफ्तार कर लिया गया है ; और

(ख) उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) और (ख). स्वर्गीय डा० इम्कोंगलिबा आओ की हत्या से सम्बन्धित समझे जाने वाले तीन व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं। अग्रेतर छानबीन जारी है ।

मूंगफली का तेल

†१७८३. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य व्यापार नियम संविदा की अवधि के अनुसार मूंगफली के तेल का लदान नहीं कर सका ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या विदेशी खरीदार इसके लिये विलम्ब-दण्ड मांग रहे हैं।

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी, हां। कुछ मामलों में ।

(ख) विलम्ब भाड़े के जहाज न मिलने के कारण हुआ ।

(ग) दो मामलों में क्षतिपूर्ति के दावे किये गये हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पंजाब में निष्क्रान्त सम्पत्ति की खरीद

१७८४. **श्री बागड़ी** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब सरकार पंजाब में सारी निष्क्रांत जायदाद खरीदने को तैयार है और क्या इस सिलसिले में एक प्रतिनिधि-मंडल उनसे चंडीगढ़ में जुलाई, १९६२ के पहले सप्ताह में मिला था ;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या सरकार देहात की अराजी जमीन हरिजनों को काश्तकारी के लिये देने को तैयार है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) और (ख). पंजाब सरकार का पुनर्वास विभाग शेष सारी निष्काम्य सम्पत्ति को खरीदने के बारे में प्रस्ताव तैयार कर रहा है और उनकी प्रस्तावना आने पर ही मंत्रालय में इस प्रश्न पर विचार किया जायेगा । जुलाई, १९६२ के प्रथम सप्ताह में कोई भी प्रतिनिधि मंडल इस बारे में निर्माण, आवास और संभरण मंत्री से नहीं मिला ।

(ग) चूंकि फालतू ग्रामीण निष्काम्य सम्पत्तियां पहले ही पंजाब सरकार को एक सामूहिक करारनामे द्वारा बेची जा चुकी हैं और इन सम्पत्तियों के स्वामित्व अधिकार भी उन्हें हस्तान्तरित किये जा चुके हैं इसलिये यह निर्णय करना पंजाब सरकार का ही काम है कि वे ग्रामीण क्षेत्रों में कृष्य भूमि को हरिजनों को अलाट करना चाहती है या नहीं ।

भारतमें पुर्तगाली बस्तियों से निर्वाचन

१७८५. **श्री सरजू पाण्डेय** :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री बागड़ी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सच है कि भूतपूर्व पुर्तगाली बस्तियों से लोक सभा के लिए निर्वाचन कराये जायेंगे ; और

(ख) यदि हां, तो यह निर्वाचन कब तक किए जायेंगे ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु-शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) जी, हां ।

(ख यह कहना अभी सम्भव नहीं है कि किस निश्चित समय तक ये चुनाव किये जायेंगे । बहरहाल, इस विषय में प्रारम्भिक कदम उठाए जा रहे हैं और मतदाता सूचियां तैयार की जा रही हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

नेपालियों द्वारा भारतीयों को गिरफ्तारी

†१७८६. { **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री विश्वनाथ राय :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : }

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत-नेपाल सीमांत कस्बे, बैरागानिया से लगभग १ मील दूर मुजफ्फरपुर जिले के धांग गांव के छः भारतीयों को, जब वे १८ जुलाई, १९६२ को नेपाल में गौरबाजार गये थे, नेपाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था ; और

(ख) उनको छुड़ाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जायेंगे ?

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :
(क) जी, हां। १८ जुलाई, १९६२ को नेपाल में गौरबाजार में नेपाली पुलिस ने बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के धांग गांव के छः भारतीयों को गिरफ्तार किया था।

(ख) इस मामले को काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास द्वारा नेपाल सरकार से उठाया गया और तब से गिरफ्तार सभी छः व्यक्ति छोड़ दिये गये हैं।

श्रमिक सहकारी समितियां

†१७८७. **डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने औद्योगिक यूनिटों का प्रबन्ध श्रमिक सहकारी समितियों द्वारा किया जा रहा है ;

(ख) क्या यह प्रयोग सफल सिद्ध हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :
(क) से (ग). आवश्यक जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा सम्भव शीघ्र सभा पटल पर रख दी जावेगी।

त्रिपुरा प्रशासन मुद्रणालय, अगरतला

†१७८८. **श्री दशरथ देव :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा प्रशासन मुद्रणालय, अगरतला में कितने वैतनिक नवाभ्यासी काम कर रहे हैं ;

(ख) वे कितने समय से वैतनिक नवाभ्यासी के रूप में काम कर रहे हैं ;

(ग) वर्ष १९५७ से उन में से कितने पदोन्नत किये गये हैं ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) क्या पदोन्नति वरिष्ठता के आधार पर की जाती है अथवा किसी अन्य आधार पर ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) आठ।

(ख) [१८ वर्ष ४ महीने से २]
२ वर्ष ७ महीने से १
२ वर्ष ४ महीने से १]
१ वर्ष ११ महीने से १
११ महीने से ३

(ग) छ:

(घ) योग्यता एवं वरिष्ठता के आधार पर।

बेरोजगार व्यक्तियों को अकर्म वेतन

†१७८९. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेरोजगार व्यक्तियों को अकर्माधिदेय देने का कोई प्रस्ताव अथवा कोई योजना है ;

(ख) कर्म-विहीनों को रोजगार की व्यवस्था करने के बारे में जयप्रकाश नारायण समिति की सिफारिश पर क्या कार्यवाही की गयी है ; और

(ग) चालू वित्तीय वर्ष में ऐसे कर्म-विहीनों की क्या संख्या है और उनमें से कितनों के लिये रोजगार की व्यवस्था की जानी है ?

†**योजना तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री नन्दा)** : (क) से (ग). बेरोजगार व्यक्तियों को आकर्माधिदेय देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। ग्रामीण निर्माण कार्यक्रम, जिसका विस्तार किया जा रहा है, में ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेषत: कम कृषि वाले सीजन में अतिरिक्त रोजगार देने की व्यवस्था है।

पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों को ऋण

†१७९०. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों द्वारा लिये गये छोटे छोटे ऋणों के अपलेखन के लिये कोई निर्णय किये गये हैं।

(ख) क्या उनके छोटे उपकरण ऋण के अपलेखन के लिये अन्तर्नगरीय नगर पालिकाओं में विस्थापित वकीलों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** :(क) ऋणों की मुक्ति के प्रश्न पर २ अगस्त, १९६२ को कलकत्ता में पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री और निर्माण आवास और संभरण मंत्री के बीच बातचीत हुई थी । यह तै किया गया कि प्रत्येक मामले पर सामान्य प्रक्रिया के अनुसार इसके गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाये । जहां ऋणी ऋण की रकम वापस करने में असमर्थ हो, तो जिला अधिकारी ऋण की मुक्ति के लिये कार्यवाही करने के लिये रिपोर्ट देगा परन्तु जहां ऋणों की क्षमता ऋण की रकम का भुगतान करने की हो, वहां मुक्ति का कोई औचित्य नहीं है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

नई दिल्ली में 'स्पेशल ई' और 'स्पेशल एफ' श्रेणी के क्वार्टरों के बीच भेद दूर करना

†**१७९१. श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नई दिल्ली क्षेत्र में 'स्पेशल ई' और 'स्पेशल एफ' श्रेणी के क्वार्टरों में भेद समाप्त करने का फैसला किया है ;

(ख) इन श्रेणियों में किस प्राथमिकता तिथि तक मकान दिये जा चुके हैं ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो प्रतीक्षा सूची में व्यक्तियों को सरकारी आवास दिलाने के लिये क्या कदम उठाये जा रह हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) रेगुलर (नियमित) और स्पेशल (विशेष) आवास के बीच भेद को मिटाया जा रहा है ।

(ख) इन श्रेणियों में प्राथमिकता तिथि आवंटन पर निर्भर होती है और समय समय पर बदलती रहती है ।

(ग) इन पदाधिकारियों के नाम नियमित आवास के लिये प्रतीक्षा सूची में हैं और इन्हें इनकी बारी आने पर मकानों का आवंटन किया जायेगा ।

आसाम के गांव पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा

†**१७९२. श्री नि० रं० लास्कर**: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को पता है कि पुलिस स्टशन मानकचार (आसाम) के अन्तर्गत बोरैबाडी गांव अभी भी पाकिस्तान के कब्जे में है ; और

(ख) यदि हां, तो इस गांव को, जो भारतीय संघ का गैर-विवादग्रस्त भाग है, पाकिस्तान के अवैध कब्जे से मुक्त कराने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु-शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) जी हां ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) बोरैबाडी गांव विभाजन के समय से ही पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है। पाकिस्तान ने कभी इस तथ्य पर विवाद नहीं किया कि यह बोरैबाडी पर अवैध कब्जा किय हुए है परन्तु इस क्षेत्र को भारत को सौंपने के लिय पाकिस्तान सरकार को मनाने के सभी प्रयत्न विफल हुए हैं।

वर्ष १९६१ तक आसाम सरकार इस गांव को आसाम को सौंपने के लिये पूर्वी पाकिस्तान सरकार के साथ पत्र-व्यवहार करती रही। वर्ष १९६१ के बाद भारत सरकार ने कराची स्थित भारतीय उच्चायोग के जरिये पाकिस्तान के विदेशी कार्यालय को बार बार गांव के हस्तांतरण केलिये, जो वर्ष १९५६ में सीमा के सीमांकन के समय स्पष्ट रूप से सीमा-रेखा के भारतीय ओर है, कहा है। अभी तक भारत सरकार के पाकिस्तान सरकार को इस गांव से अवैध कब्जा समाप्त करने के लिये कहने के प्रयत्न सफल नहीं हुए हैं। पाकिस्तान सरकार ने भारत सरकार द्वारा भेजे गये पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया है अपितु केवल कुछ अनुस्मरण-पत्रों की प्राप्ति की स्वीकृति की है।

जानवरों की साफ की हुई आंतों[1] का जापान को निर्यात

†१७९३. **श्री दीनेन भट्टाचार्य:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को जापानी क्रेताओं से कुछ शिकायतें मिली हैं कि उनको संभरित भारतीय जानवरों की साफ की हुई आंतें घटिया किस्म की हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** :(क) जी, हां।

(ख) मुख्यतः भेड़ की आंतों में मलिनता पाने और उनके असदृश ढांचे के सम्बन्ध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

जानवरों की साफ़ की हुई आंतों (केसिंग) का निर्यात

†१७९४. **श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यदि अच्छी किस्म की जानवरों की आंतें हों तो स्कैंडिनैवियन देशों में उन भारतीय जानवरों की आंतों का निर्यात हो सकता है ;

(ख) क्या यह सच है कि यद्यपि भारतीय मानक संस्था ने जानवरों की साफ की हुई आंतों के नमूनों को अन्तिम रूप दे दिया है परन्तु फिर भी संस्था द्वारा एक भी प्रमाण-पत्र नहीं दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो विदेशी मुद्रा की प्राप्ति के लिए विदेशी बाजार में इसको अधिक मात्रा में भेजने के सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) जी हां। परन्तु उत्पादों के साथ एक पशु चिकित्सक का प्रमाणपत्र होना चाहिए कि जिन पशुओं की आंतें ली गई हैं उन पशुओं की डाक्टरी जांच करके पता लगाया है कि उनको कोई रोग नहीं था क्या उनकी सफाई स्वच्छतापूर्वक की गई है और वर्गीकृत किया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Animal casings.

(ख) भारतीय मानक संस्था ने मार्च १९६१ में मसाले वाले गोश्त भरी पशुओं की आंतों के मान नमूने बनाये थे। मई १९६२ में लाइसेंस देने के लिए केवल एक आवेदन-पत्र मिला था चूंकि भारतीय मानक १९६१–६२ में रखी गई शर्तों को पूरा न करने के कारण कोई लाइसेंस जारी नहीं किया गया।

(ग) मांस तथा मांस उत्पादों की सफाई के लिए बनाये गये नियमों तथा ऐच्छिक किस्म जांच सुविधा की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में भारत सरकार विचार कर रही है।

उड़ीसा के खान मजदूरों द्वारा हड़ताल करने का निर्णय

†१७९५. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा के लोहा तथा मैंगनीज़ खान कर्मचारियों ने अपने हड़ताल करने के निर्णय की पूर्व सूचना अधिकारियों को दे दी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी)**:(क) और (ख). उड़ीसा की लोहा तथा मैंगनीज़ खानों में काम कर रही कुछ यूनियनों ने मजूरी, महंगाई भत्ता, छुट्टी आदि की अपनी मांगों के सम्बन्ध में हड़ताल की पूर्व सूचना दी है। उनको सलाह दी गई है कि मामला सरकार के विचाराधीन है और उन्हें पहले से ही कोई कार्यवाही नहीं करनी चाहिए।

मनीपुर में ओवरसियरों की भरती

†१७९६. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मनीपुर प्रशासन का प्रस्ताव है कि मनीपुर के बाहर से ओवरसियरों की भरती करे ;

(ख) यदि हां, तो इन ओवरसियरों की आवश्यकता किस लिये पड़ी ; और

(ग) क्या सभी प्राप्त स्थानीय ओवरसियरों को नियुक्त कर लिया गया है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) जी हां।

(ख) मनीपुर में काम बढ़ जाने के तथा मनीपुर में अपेक्षित संख्या में ओवरसियर न मिलने के कारण।

(ग) जी हां। सभी स्थानीय अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे दी है।

दक्षिण पूर्व एशिया को भारतीय व्यापार शिष्टमंडल

†१७९७. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारी इंजीनियरिंग और मशीनी औजार उद्योगों का प्रतिनिधित्व करने वाला पांच व्यक्तियों का भारतीय व्यापार शिष्टमंडल दक्षिण पूर्व एशिया के बाजार का सर्वेक्षण करने के लिए भेजा गया था ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या अब यह लौट आया है और उसने अपना प्रतिवेदन सरकार को पेश कर दिया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** :(क) जी हां ।

(ख) ८ अगस्त, १९६२ को शिष्टमंडल लौट आया था । प्रतिवेदन की प्रतीक्षा की जा रही है ।

ब्रिटेन को निर्यात

†१७९८. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९५५ के बाद से भारत से ब्रिटेन को वाणिज्यिक वस्तुओं का निर्यात धीरे धीरे कम हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो उस देश को कितना भारतीय निर्यात कम हो गया है ; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** :(क) से (ग). १९५५ से भारत से ब्रिटेन को निर्यात दिखाने वाला विवरण सम्बद्ध है । धीरे धीरे कमी की जानकारी नहीं है । ब्रिटेन के बाजार की दशा पर तथा भारत में निर्यात के लिए फालतू वस्तुओं की उपलब्धता पर हमारे निर्यात आधारित हैं ।

विवरण

	१९५५	१९५६	१९५७	१९५८	१९५९	१९६०	१९६१	१९६२ (जनवरी-मई)
निर्यात तथा पुनर्निर्यात	१६८,१८	१८४,७४	१६१,०२	१६६,२९	१७१,७१	१७४,३७	१६४,१२	५६,८२

औद्योगिक बस्तियां

†१७९९. **श्री ओ० ना० हजारिका** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी योजनावधि में आसाम में कितनी औद्योगिक बस्तियों की स्थापना करने का विचार है और क्या किसी सम्पदा ने काम चालू कर दिया है;

(ख) उपरोक्त बस्तियों में किस प्रकार के उद्योग होंगे ?

(ग) राज्य में उपलब्ध कच्चे माल पर इन में से कितने आश्रित होंगें; और

(घ) क्या इस काम के लिये पर्याप्त संख्या में टेक्नीकल और प्रवीण कर्मचारी प्रशिक्षित किये जा रहे हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) से (घ). एक विवरण संबद्ध है ।

विवरण

(क) गोहाटी तथा ढेकियाजुली में दो औद्योगिक बस्तियां पूरी हो चुकी हैं और चालू हैं । तीसरी पंचवर्षीय योजनावधि में २१ औद्योगिक बस्तियों का निर्माण करने का विचार है ।

(ख) इन बस्तियों में छोटे तथा कुटीर उद्योग भी लगाये जायेंगे ।

(ग) स्थानीय कच्ची सामग्री के स्थान पर ही अधिकांश यूनिटें आधारित होंगी ।

(घ) राज्य में तथा बाहर भी टेक्नीकल ट्रेनिंग संस्था में पर्याप्त कर्मचारियों का प्रशिक्षण हो रहा है ।

कोरट्टी में सरकारी मुद्रणालय के लिये मशीन

†१८००. **श्री रवीन्द्र वर्मा** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री २१ मई, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ८९७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोरट्टी (केरल) में सरकारी मुद्रणालय की स्थापना के लिये अपेक्षित विदेशी मुद्रा की कब स्वीकृति दी गई थी ;

(ख) क्या अपेक्षित मशीन के लिये आर्डर दे दिये गये हैं;

(ग) यदि हां, तो किस देश से मशीन का आयात करने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं तो मशीनों के लिये आर्डर देने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)**: (क) मार्च, १९६२ में ।

(ख) से (घ). अपेक्षित मशीन का ब्यौरा मंगाया जा रहा है और आशा है कि वर्ष के अन्त में आर्डर दे दिये जायेंगे । हाल में ही प्रैस के भवन का नक्शा स्वीकार किया गया है और भवन के निर्माण में लगभग २ वर्ष लग जायेंगे । इस बीच मशीनों का आयात कर लिया जायेगा । प्रैस का भवन बन जाने सेबहुत पहले मशीन का आयात कर लेना ठीक नहीं है ।

कीटाणुनाशक औषधियों का निर्माण

†१८०२. **श्री साधू राम** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न प्रकार की कीटाणुनाशक दवाइयों के निर्माण के लिये देश में कितने औद्योगिक एकक हैं ?

(ख) उन की कुल क्षमता कितनी है;

(ग) क्या देश की कुल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये वर्तमान एकक पर्याप्त हैं; और

(घ) ऐसे एककों की स्थापित क्षमता तथा स्थापना स्थान क्या हैं तथा ये कौन से हैं ।

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) (घ). एक विवरण संबद्ध है । [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ५१]

---

†मूल अंग्रेजी में

ट्रांसमीटर

†१८०३. **श्रीमती सरोजिनी महिषी**: क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में स्थापित होने वाले ट्रांसमीटरों की स्थापना अथवा पावर में कोई परिवर्तन करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो वह परिवर्तन क्या है; और

(ग) परिवर्तन किस आधार पर किये जा रहे हैं ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० बे० गोपाला रेड्डी)**: (क) से (ग). मामला विचाराधीन है।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

बाढ़ की स्थिति क बारे में वक्तव्य

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन)**: हाफिज मुहम्मद इब्राहीम की ओर से मैं देश में बाढ़ की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

वक्तव्य के तैयार होने के बाद, हमें बिहार और उत्तर प्रदेश से बाढ़ की स्थिति के बारे में नवीनतम सूचनायें प्राप्त हुई हैं और आप की अनुमति से मैं उन्हें सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० ३६१/६२]

†**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद) : इन वक्तव्यों को परिचालित किया जाये।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं ऐसा करवा दूंगा।

श्री राम सेवक यादव: (बाराबंकी) : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश, बिहार और आसाम में तो बाढ़ आई है उन पर इस सदन में चर्चा होने की जरूरत है।

अध्यक्ष महोदय : यही बात तो इधर कही गयी। आप सुनते तो हैं नहीं और इस को दुहरा रहे हैं।

मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों और प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही वाले विवरण

†**संसद् कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)**: मैं प्रत्येक के सामने बताये गये विभिन्न अधिवेशनों में मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों और प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही बताने वाल निम्नलिखित विवरण पटल पर रखता हूं :

(१) अनुपूरक विवरण संख्या २   पहला सत्र, १९६२, (तीसरी लोक सभा)

[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ५२]

(२) अनुपूरक विरवण संख्या ३   सोलहवां सत्र, १९६२ (दूसरी लोक सभा)

[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ५३]

---

†मूल अंग्रेजी में

(३) अनुपूरक विवरण संख्या ५ पन्द्रहवां सत्र, १९६१ (दूसरी लोक सभा)
[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ५४]

(४) अनुपूरक विवरण संख्या ६ चौदहवां सत्र, १९६१ (दूसरी लोक सभा)
[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ५५]

(५) अनुपूरक विवरण संख्या १४ तेरहवां सत्र, १९६१ (दूसरी लोक सभा)
[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ५६]

(६) अनुपूरक विवरण संख्या २३ दसवां सत्र, १९६० (दूसरी लोक सभा)
[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ५७]

उन मामलों का विवरण जिन में निम्नतम टडर स्वीकार नहीं किये गये

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)**: मैं उन मामलों का विवरण जिसमें ३० जून, १९६२ तक समाप्त होने वाली छमाही के दौरान इन्डिया स्टोर डिपार्टमेंट, लन्दन और इंडिया सप्लाई मिशन, वाशिंगटन द्वारा निम्नतम टन्डर स्वीकार नहीं किये गये सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० ३६८/६२]**

सुरक्षा उद्योग के संरक्षण के पुनरीक्षण पर प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन और उस के सम्बन्ध में सरकारी संकल्प

†**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारी मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: मैं प्रशुल्क आयोग अधिनियम, १९५१ की धारा १६ की उपधारा (२) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति पटल पर रखता हूं।

(१) सुरमा उद्योग के संरक्षण के पुनरीक्षण पर प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन (१९६२)।

(२) दिनांक २० अगस्त, १९६२ का सरकारी संकल्प संख्या ४(१)—टी० आर०/ ६२ (हिन्दी रूपान्तर सहित)।

(३) यह कारण बताने वाला एक विवरण की ऊपर के (एक) और (दो) में उल्लिखित दस्तावेज उक्त उपधारा के अधीन निर्धारित अवधि में पटल पर क्यों नहीं रखे जा सके।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० ३६९/६२]

पश्चिमी जर्मनी, अमरीका और जापान के उद्योगों को प्रोत्साहन के बारे में भारतीय उत्पादकता दल का प्रतिवेदन

†**श्री मनुभाई शाह**: मैं पश्चिमी जर्मनी, अमेरीका और जापान में उद्योगों को प्रोत्साहन के बारे में भारतीय उत्पादकता दल के प्रतिवेदन की एक प्रति पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० ३७०/६२]**

औद्योगिक विवाद (केन्द्रीय) संशोधन नियम

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी)**: मैं औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ की धारा ३८ की उपधारा (४) के अन्तर्गत दिनांक ११ अगस्त, १९६२ की अधिसूचना संख्या

---

†मूल अंग्रजी में

जी० एस० आर० १०७८ में प्रकाशित औद्योगिक विवाद (केन्द्रीय) संशोधन नियम, १९६२ की एक प्रति पटल पर रखता हूं। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० ३७१/६२]

गन्ना नियन्त्रण (अतिरिक्त शक्तियां) विधेयक

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि गन्ना (नियंत्रण) आदेश, १९५५ में कुछ मामलों में पश्चातगामी प्रभाव से संशोधन करने के लिये केन्द्रीय सरकार को अधिकार प्रदान करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि गन्ना (नियंत्रण) आदेश, १९५५ में कुछ मामलों में पश्चातगामी प्रभाव से संशोधन करने के लिये केन्द्रीय सरकार को अधिकार प्रदान करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**श्री स० का० पाटिल** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

तीसरी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों में कमी के बारे में प्रस्ताव

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सदन २२ जून, १९६२ को श्री नाथ पाई द्वारा प्रस्तावित निम्न प्रस्ताव पर अग्रतर चर्चा आरम्भ करेगा :

"कि यह सभा तीसरी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों में गम्भीर कमी और तृतीय पंचवर्षीय योजना लागू करने के बारे में देश में बढ़ती हुई आशंकाओं पर विचार करती है।"

अब सदन २५ अगस्त, १९६२ को श्री मुरारका द्वारा निम्न प्रस्ताव पर भी विचार करेगा :

"कि यह सभा २२ अगस्त, १९६२ को सभा की सभा पटल पर रखे गये वक्तव्य में बताई गई तीसरी पंचवर्षीय योजना की प्रगति पर विचार करती है और इसको सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने का सुनिश्चय करन वाले उपायों का सामान्यतः अनुमोदन करती है।"

स्थगन प्रस्ताव के बारे में

श्री कछवाय (देवास) : अध्यक्ष महोदय, मैं ने एक एडजोर्नमेंट मोशन दिया था लेकिन वह नामंजूर कर दिया गया है। उज्जैन में १०००० विद्यार्थी शिक्षा की भीख माग रहे हैं लेकिन उनकी बात सुनी नहीं जाती और वह आंदोलन करने पर विवश हो गये हैं . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति। माननीय सदस्य बैठ जायें।

श्री बड़े (खारगोन) : अध्यक्ष महोदय . . .

---

†मूल अंग्रेजी में

अध्यक्ष महोदय : अब वह बैठ गये तो दूसरे साहब खड़े हो गये। अब क्या इस हाउस का काम इस तरह से चलना चाहिए ?

श्री बड़े : अध्यक्ष महोदय, मेरी विनती है कि इस बारे में जब स्टेट गवर्नमेंट से कहा जाता है तो वह कहती है कि यह सैंटर का मामला है और यहां ऐडजोर्नमेंट मोशन नामंजूर कर दिया जाता है...

अध्यक्ष महोदय : आप मेरे पास आइये और इस पर गौर किया जाय कि आया यह सैंटर के पास है या किस के पास है लेकिन यहां इस तरह से कार्यवाही में बाधा डालना तो उचित नहीं है ।

श्री बड़े : अध्यक्ष महोदय मेरी विनती...

अध्यक्ष महोदय : आप मेरी विनती भी तो सुनिये। मैंने कहा कि अगर आपको ऐतराज है तो आप मेरे पास आइये और बातचीत करके हम उस पर फैसला कर लेंगे कि यह मामला सैंटर का है या किस का है ।

श्री बड़े: वह सब पत्र में प्रकाशित हो चुका है । श्रीमान् जी कोई ध्यान हीं नहीं देते ।

†**अध्यक्ष महोदय :** श्री हेम बरुआ।

श्री बागड़ी (हिसार) : स्पीकर साहब, २५,००० रुपया रोजाना प्राइम मिनिस्टर पर खर्च होता है । हिन्दुस्तान जैसे गरीब मुल्क में जहां कि एक आदमी की २५ रुपये मासिक आमदनी भी न हो वहां प्राइम मिनिस्टर के ऊपर २५००० रुपया रोजाना खर्च होना कहां तक ठीक है ? यह सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है...

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर । मैंने इन मेम्बर साहबान को बहुत दफे कहा है कि यहां इस तरह की मदाखलत करना दुरुस्त नहीं है मगर न मालूम इस तरह से खड़े होने में और यहां की कार्यवाही में दखल देने में क्या खुशी प्राप्त करते हैं। ऐसा करना ठीक नहीं है। माननीय सदस्यों को मैं ने कई दफे कहा है और मैं फिर अपील करता हूं कि वह इसमें मुझे सहयोग दें ताकि हम यहां पर अनुशासन कायम रख सकें । अगर किसी मेम्बर को एतराज हो तो वह मेरे पास आये । अगर वह मुझे कनविंस करा सके तो मैं उस को फौरन यहां रखने को तैयार हो जाऊंगा और मुझे कभी भी एतराज नहीं होगा । लेकिन किसी मेम्बर ने कभी यह कोशिश नहीं की कि मेरे पास आये और आकर दलील दे और मुझे कनविंस कराने की कोशिश करें । उनका क्या यही मतलब होता है कि इस जगह एक दम से बीच में आवाज उठा दें ? आयें मेरे पास मुझे दलील दें और कनविंस करें लेकिन आज तक किसी मेम्बर ने यह कोशिश नहीं की । उसके बाद मेरे पास आकर बतलायें कि जो आपने रीजंस दिये ठीक नहीं हैं और बात यह है तो मैं उसे कंसिडर करने को तैयार हूं ।

श्री राम सेवक यादव : उठे।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । श्री हेम बरुआ ।

श्री राम सेवक यादव (बाराबंकी) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन है कृपया उस को सुन लें।

अध्यक्ष महोदय : अब इस के लिए तो मैं इजाजत नहीं दे सकता और कोई बात कहनी हो तो कहें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री राम सेवक यादव : जो यह काम रोको प्रस्ताव आदि दिये जाते हैं यदि उनका हवाला यहां पर दे दें तो इस तरह की स्थिति पैदा न होगी ।

अध्यक्ष महोदय : अब मेरे पास कितना स्टाफ है कुछ इसका भी ख्याल है ? साढ़े दस बजे से दस बज कर पचास मिनट तक पांच, पांच मिनट के बाद बागड़ी साहब के पांच नोटिस आते रहे। अब ग्यारह बजने में सिर्फ दस मिनट रहते हैं, आप ही बतलाइये कि मैं उन को कंसिडर करूं या मैं उनके जवाब लिख कर उस दस मिनट में भेज सकता हूं ? मैं बागड़ी जी से फिर कहूंगा कि आप अपन नोटिसेज वगैरह साढ़े दस बजे तक दे दीजिये । आप इस पर पाबन्द रहिये और उस हालत में मैं आपको लिख कर उन के जवाब दे दूंगा । इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता ।

श्री राम सेवक यादव : मेरे कहने का आशय यह था कि कोई कार्यस्थगन प्रस्ताव होगा तो जो माननीय सदस्य इस सदन के हैं वह उसे अपने दिमाग से देंगे और अध्यक्ष महोदय अपनी तरह से उस पर फैसला देंगे और सम्बन्धित माननीय सदस्य को उस पर एतराज होगा । इसलिए मैं ने कहा था कि अगर उस का यहां पर हवाला दे दिया जाय तो यह जो इतना समय नष्ट होता है यह बच जाया करेगा ।

तीसरी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों में कमी के बारे में प्रस्ताव—जारी

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री हेम बरुआ ।

†**श्री हेम बरुआ** (गोहाटी) : यह तथ्य है कि हमारी योजनाओं में काफ़ी अड़चनें पेश आ रही है । दूसरी योजना में राष्ट्रीय आय में २५ प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य था किन्तु अन्त में यह २० प्रतिशत से भी कमी हुई ।

अच्छे परिणामों को पर्याप्त करने के लिए यह जरूरी है कि केन्द्रीय समन्वय है, जो कि इस समय नहीं है ।

यदि राष्ट्रीय आय में वृद्धि के आंकड़ १९५३ से १९५९ तक के देखे जायें तो भारत की वृद्धि अन्य विकसित होने वाले देशों की तुलना में बहुत कम है । हमारी योजना की सफलता गैर-सरकारी उपभोग बढ़ाने पर निर्भर करता है । इस विषय में भी भारत के आंकड़े एशिया के अन्य देशों, जापान, बर्मा, थाइलैंड आदि के आंकड़ों से कम हैं ।

भारत के औद्योगिक उत्पादन की दर ३.५ प्रतिशत है जब कि अन्य २५ अल्प विकसित देशों की सफलता ५ प्रतिशत रही है । १९५३ से १९५९ तक हमारी राष्ट्रीय आय में केवल १६ प्रतिशत वृद्धि हुई है जब कि इसी अवधि में जापान में ६२ प्रतिशत और बर्मा में ३१ प्रतिशत वृद्धि हुई है । १९५०–५९ में भारत की प्रतिव्यक्ति खपत में केवल १.२ प्रतिशत वार्षिक वृद्धि हुई है जब कि जापान में ६.८ प्रतिशत हुई है और बर्मा में २.८ प्रतिशत । १९६१–६२ में हमारी राष्ट्रीय आय में केवल ३.५ प्रतिशत वृद्धि हुई है जब कि हमारा लक्ष्य ६ प्रतिशत का था ।

औद्योगिक विस्तार, जो १९६० में १२ प्रतिशत था कम होकर १९६१ में ८ प्रतिशत रह गया । इस सम्बन्ध में यह बता देना आवश्यक है कि विदेशी मुद्रा प्राप्त करने की कठिनाइयां कोई

†मूल अंग्रेजी में

[श्री हेम बरुआ]

बड़ी समस्या नहीं है। विदेशी मुद्रा की कमी नाममात्र ही है। यदि विदेशी आस्तियों का मितव्ययता के साथ उपयोग किया जाय तो यह कठिनाई दूर की जा सकती है।

सरकार को यह देखना चाहिये कि हमारी अर्थ-व्यवस्था के सीमेंट, इस्पात और उर्वरकों जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों का वर्तमान क्षमता का पूर्णोपयोग किया जाये। सरकार को यह भी देखना चाहिये कि पुर्जों आदि के आयात में विदेशी मुद्रा व्यय न की जाये। विभिन्न प्रकार के उद्योगों की स्थापना भिन्न भिन्न स्थानों पर की जानी चाहिये।

इस्पात, विद्युत और परिवहन साधनों की कमी हमारी योजना की प्रगति में निरन्तर बाधक हैं। स्थिति के सुधार के सम्बन्ध में सरकार की कोई योजना मालूम नहीं होती है।

कोई भी देश केवल औद्योगिक विस्तार से आत्मनिर्भर नहीं बन सकता जब तक कि कृषि के क्षेत्र में आमूल परिवर्तन न किये जायें। दुर्भाग्यवश उस क्षेत्र में अधिक प्रगति नहीं हुई है। खाद्य उत्पादन का हमारा लक्ष्य ६ प्रतिशत वृद्धि का था परन्तु हम केवल १.६ प्रतिशत ही प्राप्त कर सके हैं। कपास का उत्पादन वास्तव में गिर गया है। यदि हमें पी०एल० ४८० के अन्तर्गत सहायता न मिली होती, तो देश में खाद्य संकट उत्पन्न हो जाता।

योजना देश में वह भावानात्मक उत्साह नहीं उत्पन्न कर सकी है, जो उसकी सफल क्रियान्विति के लिए आवश्यक है।

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा (पटना) : अध्यक्ष महोदय, आज हमारा देश तीसरी पंचवर्षीय योजना से गुजर रहा है और उसकी समाप्ति के अगले तीन वर्ष रह गये हैं। इसलिये आज इस बात की आवश्यकता थी कि इस पंचवर्षीय योजना की प्रगति का लेखा जोखा यह सदन करता और हकीकतों की रोशनी में खामियों को दूर करने की कोशिश करता। योजना के कई महत्वपूर्ण शार्ट-फाल जैसे यातायात, कोयला, लोहा, बिजली, कृषि, बेरोजगारी इत्यादि तमाम समस्यायें हमारे समक्ष हैं।

मैं योजना मंत्री श्री नन्दा का व्याख्यान बड़े ध्यान से सुन रही थी, और उनके व्याख्यान से योजना के शार्टफाल्स का अन्दाज प्रकट होता है। उन्होंने उस को **प्राब्लेम्स आफ ग्रोथ** कहने की कोशिश की है, लेकिन मैं ऐसा समझती हूं इन चीजों को पहले से ही ऐन्टिसिपेट कर के अवाएड करने की कोशिश की जानी चाहिये थी। नन्दा जी के शब्दों में, यह सही है कि योजना के कई पहलुओं को उन्होंने छुआ तक नहीं है, लेकिन मुझे आश्चर्य तब हुआ जब स्वयम् श्रम मंत्री होते हुए भी उन्होंने श्रम जैसे महवपूर्ण विषय पर कुछ कहने की कोशिश नहीं की। मेरा ऐसा खयाल है, और मैं इसे सत्य मानती हूं, कि योजना की सफलता के लिये श्रम सम्बन्धी नीतियों पर विचार करना आवश्यक है, और मेरा ऐसा विचार है कि योजना का सब से बड़ा शार्टफाल हमारी सरकार की श्रम सम्बधी नीति है। क्योंकि यदि इस नीति में सुधार नहीं लाया गया तो यातायात, बिजली, कृषि, उद्योग तमाम के तमाम अफेक्टेड हो जायेंगे। सामाजिक न्याय की ही दृष्टि से नहीं बल्कि राष्ट्र और योजना की सफलता के नुक्ते निगाह से भी यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है। मैं ऐसा समझती हूं कि योजना की सफलता के लिये, उत्पादन के विकास के लिये, समाज में मजदूरों का सब से बड़ा स्थान है, इसलिये इस विषय पर विचार करना आवश्यक है।

सरकार द्वारा प्रस्तुत इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और मैन डेज लास्ट के आंकड़ों से पता चलता है कि बेहद कुर्बानियों के बावजूद मजदूरों ने अपने श्रम से पहले की योजनाओं को सफलीभूत बनाया है।

यहां हमारे, सदन के और देश के सामने यह बहुत बड़ा प्रश्न है कि जिन के श्रम से, जिन की मदद से हमारी पहली दोनों योजनायें सफलीभूत हुई हैं, या नैशनल आय में बहुत अधिक इजाफ़ा हुआ है, और होना ही चाहिये, क्या समाजवादी ढांचे में उन के लिये ईक्विटेबल डिस्ट्रिब्यूशन हो सकेगा। मैं बतलाना चाहती हूं कि प्रथम योजना में मजदूरों के लिये लिविंग वेज की चर्चा की गई थी, लेकिन आज भी लिविंग वेज की बातें हो रही हैं और सन् १९४८ के फेअर वेज की बातें गर्म हो रही हैं। मेरी समझ में नहीं आता है कि डा० ऐक्रायेड की मिनिमम वेज की सिफारिशें आज तक फाइलों और संहिताओं में क्यों बन्द हैं और क्षेत्रों में उन को उतारा क्यों नहीं गया है।

प्रथम पंचवर्षीय योजना में मजदूरों के क्षेत्र में थोड़े से टार्गेट्स रखे गये थे। उन में उनकी बेसिक आवश्यकताओं की पूर्ति की बातें थीं। मिनिमम वेज की सतह को छूने के लिये मिनिमम वेज अर्थात् न्यूनतम मजदूरी आदि की बातें थीं, पब्लिक सेक्टर के मजदूरों को कानूनी श्रम सुविधाओं की व्यवस्था की बातें थीं। इस के साथ ही साथ नैशनल आय के इजाफे में हिस्सा देने के लिये सरकार के हिस्सा प्रदान करने की बातें थीं और औद्योगिक झगड़ों का निपटारा कम से कम समय और कम से कम खर्च में करने की बातें थीं। लेकिन मैं आप से कहना चाहूंगा कि स्वयम् प्लैनिंग कमिशन ने इसे कबूल किया है कि यह टार्गेट्स अपरिपूर्ण रह गये, अधूरे रह गये। फिर भी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में समाजवादी योजना के प्रोग्रैम को समुचित डाइरेक्शन प्रदान करने की बात रखी गई थी। तो मैं आप से कहना चाहूंगी कि श्रम सम्बन्धी जो टार्गेट्स प्रथम और द्वितीय योजनाओं में रखे गये थे वे इस तृतीय योजना में भी अधूरे रह गये, अपरिपूर्ण रह गये।

मैं आप से एक और निवेदन करना चाहूंगी। नन्दा जी ने अपनी मजबूत नीति और मन्सूबों के बावजूद भी अनएम्प्लायमेंट की समस्या का कोई समाधान अब तक हम लोगों के सामने नहीं रखा। आज पढ़े लिखे लोगों की बेरोजगारी की समस्या की बातों को छोड़ दीजिये, मैं खेतिहर मजदूरों के सम्बन्ध में कहना चाहूंगी कि जहां सन् १९५०–५१ में उन में ५० प्रतिशत बेरोजगारी थी वहां सन् १९५६–५७ में वह ५७ प्रतिशत हो गई और यह क्रम आज भी बढ़ोतरी की तरफ जा रहा है। उन के बैठावे के दिन ९० से बढ़ कर १२८ दिन हो गये और उन के वेतन रेट में कमी आती जा रही है। वह १०९ नये पैसे से घट कर ९० नये पैसे प्रति दिन और औरतों के लिये ५९ नये पैसे प्रति दिन हो गया। इन तमाम चीजों को, इन समस्याओं को आप नजरअदाज नहीं कर सकते।

जो हमारे बहुत से प्लैनिंग के शार्टफाल्स हैं और प्लैनिंग की सफलता की राह में बाटलनेक्स हैं, उन के सम्बन्ध में मैं आप से कहूं कि जब बंगाल और बिहार की कोयला खानों के लिये ९,००० वैगनों की आवश्यकता है तब रेलवे का टार्गेट ५,५९६ वैगन्स का है और इन दोनों प्रदेशों को कुल ४,८०० वैगन ही मिल पाते हैं। और अब १,००० वैगन्स की भारत सरकार ने कटौती भी कर दी है। इस प्रकार इन दोनों प्रदेशों की मांग का केवल ५३.५ प्रतिशत ही मिल पाता है, जिस का असर वहां के निर्माण कार्य पर तथा खनिज उद्योगों के विकास पर और उत्पादन पर पड़ता है। इसी प्रकार के बाटलनेक्स हमारी योजना की राह में लोहा और सीमेन्ट की फैक्ट्रियों के सम्बन्ध में हैं। लेकिन मैं इन चीजों का जिक्र यहां पर अधिक नहीं करना चाहूंगी।

मैं कुछ शब्द अपने योजना मंत्री से और निवेदन करना चाहूंगी। उन्होंने बड़ी खुशी के साथ सदन के सामने ऐलान किया कि वे प्लैनिंग के लिये ४७ करोड़ रु० राज्यों से टैक्स के द्वारा उगाह लेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि यह रकम ७० करोड़ रु० की होनी चाहिये थी। इस प्रकार वे तीसरी योजना के लिये ६१० करोड़ की रकम उगाह लेंगे राज्यों से। लेकिन मुझे इस से भय होता है। मैं चाहती हूं कि टैक्स का यह बोझ जनता पर न लादा जाय क्योंकि उन की डेफिसिट फाइनेंसिंग

[श्रीमती रामदुलारी सिन्हा]

और रन अवे प्राइसेज के कारण उन के वेतन की क्रय शक्ति गिरती जा रही है । ऐसी स्थिति में जनता के सिर पर इन टैक्सों का बोझ न लाद कर उन क्षेत्रों पर यह बोझ डाला जाय जो धन के क्षेत्र हैं, मुनाफे के क्षेत्र हैं । एक और चीज का आश्वासन मैं योजना मंत्री से लेना चाहूंगी और वह यह कि फाल्स रिडक्शन सेल्स की स्कीम के कारण मजदूरों के वेतन में किसी तरह की कटौती नहीं की जायेगी ।

इन शब्दों के साथ में अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देती हूं ।

†**श्री प्र० र० चक्रवर्ती** (धनबाद) : तीसरी पंचवर्षीय योजना को क्रियान्वित करने में परिवहन आदि की कठिनाइयां उत्पन्न हुई हैं, जिस से उत्पादन पर प्रभाव पड़ा है । हमें राष्ट्रीय आय को कम से कम ६ प्रतिशत बढ़ाना है, ताकि कुछ प्रगति दिखाई जा सके । बचत को विनियोग के काम में लाना आवश्यक है ।

देश के थोड़े से विशेष-अनुभव प्राप्त एवं करोड़ों उपेक्षित व्यक्तियों के बीच के अन्तर को कम किया जाना चाहिये । इस अन्तर को कम करने का तरीका अधिक वैज्ञानिक आधार पर सोचा जाना चाहिये ।

बेरोजगार लोगों की आय की समस्या वैसे बनी हुई है । ग्रामीण लोगों की आय बढ़ाने के लिए कुटीर उद्योग, भूमि संरक्षण, वन लगाना आदि उपाय करने पड़ेंगे ।

एक माननीय सदस्य कल यह उल्लेख कर रहे थे कि राज्यों को सीधे प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग करने की अनुमति दी जाये । चाहे ये खानों के रूप में हो अथवा तेल के । परन्तु मेरा निवेदन है कि हमें इसके लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम की ओर देखना चाहिए । सामुदायिक विकास कार्यक्रम से यद्यपि ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ उत्साह बढ़ा है, परन्तु कुछ ऐसी कठिनाइयां हैं जिस से हमें समेकित विकास का पूर्ण चिह्न नहीं मिल पाता है । वहां विकास कार्य बढ़ाया जाना चाहिए । योजना आयोग को उन कार्यों पर निगरानी करनी चाहिए जो विभिन्न राज्यों में विभिन्न विभिन्न रूपों में शुरु किये गये हैं ।

इस बारे में यह भी उल्लेखनीय है कि योजना आयोग ने पांच वर्षों के लिए एक कार्यक्रम देश के आगे रखा है । इसके द्वारा देश के प्रत्येक व्यक्ति के समक्ष अपने महत्व को समझने की भावना को उत्पन्न करने का प्रयास किया गया है । यदि किसी कारण कोई कमी हो तो उसे वैज्ञानिक छानबीन द्वारा दूर किया जाना चाहिए ।

†**श्री करुथिरमण** (गोबी चेट्टिपलयम) : दो योजनाओं को सफलतापूर्वक समाप्त करके तीसरी योजना जिस प्रकार चल रही है, इसके बारे में मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं । एक बात हमें समझ लेनी चाहिये कि योजना एक बात है और उसका कार्यान्वित किया जाना दूसरी बात है । कार्यान्वित किये जाने में सभी दिशाओं का समन्वय बहुत आवश्यक बात है । तीसरी योजना के अन्तर्गत हम ने १०,००० करोड़ रुपये खर्च करने हैं । परन्तु हमें इस बात को पूरी तरह देखना है कि हमारे कृषि उत्पादन और औद्योगिक विकास के लक्ष्य सफल हो जायें । कृषि के लिए हजारों करोड़ रुपया सिंचाई साधनों के विकास के लिए दिये गये हैं । परन्तु यह भी काफी नहीं है । कारण यह कि हमारे देश में ७५ प्रतिशत लोग कृषक हैं, अतः हमें उन्हें समुचित सुविधायें देनी चाहिए ।

---

†मूल अंग्रेजी में

हम बड़े बड़े बांध बनाने में काफी सफल रहे हैं। भाखड़ा बांध ८० लाख एकड़ भूमि के लिए पानी की व्यवस्था करता है तुंगभद्रा परियोजना ३० लाख एकड़ भूमि की सेवा करती है। पानी की व्यवस्था तो हो गयी, परन्तु इसके साथ हमें किसानों को अन्य सुविधाएं भी प्रदान करनी चाहिये ताकि वे अपना कार्य अधिकतम सफलता के साथ कर सकें। किसानों के लिए देहाती आवास की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। उन्हें कर्जे इत्यादि भी दिये जाने चाहिए ताकि उत्पादन जोर से बढ़ सके और हम १,००० लाख टन के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। कहते तो हम हैं कि हमने कर्जे और उर्वरकों की व्यवस्था किसानों के लिए की है परन्तु वे सब समुचित हाथों में नहीं जा रही। अमोनियम सलफेट जो कुछ भी किसानों को दिया जाता है वह समय पर उन्हें मिलता नहीं। मेरा निवेदन है कि योजना का झुकाव ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा नागरिक क्षेत्रों की ओर अधिक है। कृषि विकास की ओर अधिक ध्यान देना होगा। किसानों को सिंचाई, उर्वरकों तथा ऋण की सुविधाएं समय पर उपलब्ध की जानी चाहिऐ ताकि कृषि उत्पादन बढ़ाया जा सके।

मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर भी आकृष्ट करवाना चाहता हूं कि जहां तक आयातों और लाइसेंस जारी करने का सम्बन्ध है हमें उसके सम्बन्ध में बाद की छानबीन की व्यवस्था करनी चाहिए। हमें यह देखना चाहिए कि आयात किया गया कोटा सही व्यक्तियों को मिले। इससे औद्योगिक उत्पादन सुनिश्चित होगा। इसके साथ ही मेरा कहना है कि वातानुकूलन संयंत्रों की देश को बहुत आवश्यकता नहीं। इसे पर खर्च किया जाने वाला धन अन्य आवश्यक वस्तुओं पर व्यय किया जाना चाहिए। इसी प्रकार पशुधन एवं डेरी फार्मिग के संवर्धन के लिए पर्याप्त राशि निर्धारित की जानी चाहिए। मुझे आशा है कि तीसरी योजना सफल रहेगी।

†**श्री याज्ञिक** (अहमदाबाद) : योजना की सफलता के बारे में अनुमान लगाते समय हमें यह देखना चाहिए कि हमने अपने देश की पूंजी, देश के श्रम तथा देश के साधनों से क्या प्राप्त किया है। ऐसा लगता है कि हमारी सरकार ने स्वदेशी का रास्ता छोड़ दिया है। विदेशी पूंजी पर हमारी निर्भरता प्रति वर्ष बढ़ती जा रही है। जहां तक विदेशी ऋणों का सम्बन्ध है, इस वर्ष हमें ९३ करोड़ रुपये ब्याज एवं अन्य किश्त शुल्कों के रूप में देने हैं। विदेशी विनियोजन जो १९४८ में २५५ करोड़ रुपये था १९६० में बढ़ कर ६५५ करोड़ हो गया है। ऐसा प्रतीत होता है हमारा देश विदेशी पूंजी-पतियों की शिकारगाह बन गया है।

हम दिन प्रति दिन बाध्य सहायता पर आश्रित हो रहे हैं। तीसरी योजना के कार्यान्वित करने के लिए हमें विदेशी विनिमय की जरूरत है। हमारे निर्यात में कोई वृद्धि नहीं हुई है जिससे हम विदेशी मुद्रा के दायित्वों का भुगतान कर सकें। इसके विपरीत अनावश्यक आयात अभी भी जारी है। हमने गांधी जी के स्वदेशी के ही नहीं प्रत्युत सादगी के सिद्धान्त को भी समाप्त कर दिया है। निर्यात ६०० करोड़ प्रति वर्ष से बड़ा.नहीं है। इसी तरह कीमतों की बात है। कीमतें बराबर बढ़ती चली जा रही हैं। मेरा निवेदन है कि उपभोक्ता मूल्यों में जो बहुत वृद्धि हुई है, यह हमारी अर्थ व्यवस्था के लिए एक गम्भीर चिन्ता का विषय है।

यह दुःख की बात है कि प्रथम दो योजनाओं में देश की आर्थिक असमानतायें बढ़ गयी हैं और इस समय भी बढ़ रही हैं। जहां तक सम्पत्ति के केन्द्रीयकरण का सम्बन्ध है, देश के सात व्यापारी घरानों का गैर सरकारी पूंजी में ७६६ करोड़ रुपये का विनियोजन है। यह भी अनुमान लगाया गया है कि पचास भारतीय अथवा विदेशी फर्मों का गैरसरकारी क्षेत्र के लगभग ७० से ८० प्रतिशत भाग पर नियंत्रण है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री याज्ञिक]

कृषि विकास के लिये एक सुविचारित योजना की कमी है। यदि खाद्यान्न का उत्पादन तेजी से नहीं बढ़ेगा तो आगामी वर्षों में भयंकर कमी उत्पन्न हो जायेगी। कृषि उत्पादों के कोई न्यूनतम मूल्य निर्धारित नहीं किये गये हैं जिसके परिणामस्वरूप किसानों को अधिक उत्पादन करने की प्रेरणा नहीं मिलती है। कृषि श्रमिक देश में सर्वाधिक गरीब है और योजना की क्रियान्विति का उन पर बहुत बुरा असर पड़ा है।

वास्तव में स्थिति यह है कि शासक वर्ग एवं पूंजीपति देश के हित के बजाये अपने हित के लिये अधिक चिन्तित हैं। योजना की सफल क्रियान्विति के हित में इस स्थिति का निराकरण करना होगा। योजना भले ही अच्छी हो परन्तु उसकी क्रियान्विति में बहुत कमी है और इसी से चारों ओर असन्तोष फैल रहा है।

श्री विश्वनाथ पाण्डेय (सलेमपुर) : अध्यक्ष महोदय, तृतीय पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में कई घंटों से वाद-विवाद हो रहा है। इस सदन के माननीय सदस्यों ने इसकी विफलता और इसकी सफलता के ऊपर हर तरह के आंकड़े प्रस्तुत किये हैं। जो देश अविकसित होता है उसके लिये आवश्यकता होती है कि उसके सामने एक योजना हो। प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजनायें समाप्त हो गई, अब तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रथम चरण में यह देश चल रहा है। किसी योजना को देखने के लिये दो दृष्टिकोण होते हैं। एक तो व्यावहारिक दृष्टिकोण होता है और दूसरा आलोचनात्मक दृष्टिकोण होता है। व्यावहारिक दृष्टिकोण से इस योजना को देखा जाये तो इसमें सफलता प्राप्त हुई है और इसके लिये मैं माननीय मंत्री महोदय को बधाई देता हूं। यदि आलोचनात्मक दृष्टिकोण से देखा जाय तो इस योजना में विफलता प्राप्त हुई है। उसके जिम्मेदार हमारे मंत्री महोदय ही नहीं हैं, बल्कि हम सब लोग हैं। यह राष्ट्रीय योजना है, इसमें हर एक आदमी का पुनीत कर्तव्य है कि इसको सफलीभूत बनाये।

हालांकि हम प्रथम और द्वितीय योजनायें पूरी कर चुके हैं और तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रथम चरण में हैं, अब भी आन्तरिक बेकारी, गरीबी और अशिक्षा में बहुत कमी नहीं हुई है। इस तृतीय पंचवर्षीय योजना की आधार शिला, इसका मतलब, इसका उद्देश्य, इसका अभिप्राय यह है कि प्रति वर्ष राष्ट्रीय आय में ५ प्रतिशत की प्रगति हो, कृषि में आत्मनिर्भरता हो, उस में उन्नति हो, जो भारतवर्ष के बुनियादी उद्योग धन्धे हैं उनकी तरक्की हो, भारतवर्ष में जो जनशक्ति है उसका उपयोग हो, और जो हर एक विषमता है, उसमें सन्तुलन पैदा किया जाय।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

यह आधारशिला है और इसे योजनाबद्ध बनाने वाले भारतवर्ष के मनीषी हैं, यहां की सरकार को चलाने वाले लोग हैं। लेकिन इसमें प्रगति कम हुई है। इस प्रगति का लेखा जोखा सदन के सामने कई घंटों से प्रस्तुत किया जा रहा है। मैं तो समझता हूं कि हिन्दुस्तान की जो जनशक्ति है, उस जनशक्ति का उद्योगों में उपयोग हो, सदुपयोग हो तो आपकी योजना सफल हो सकती है।

इसमें दो रायें नहीं हो सकतीं कि इस देश का जो आर्थिक ढांचा है वह मिश्रित है—एक तो सार्वजनिक निर्माण की तरफ और दूसरा निजी निर्माण की तरफ, जिनको पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर कहते हैं। प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों ही मिले हुए हैं। पब्लिक सेक्टर की भी ग्रोथ हो और प्राइवेट सेक्टर की भी ग्रोथ हो, यह देश के लिये आवश्यक है। लेकिन इतना सब होते हुऐ भी जब तक जनसमूह का सहयोग नहीं होगा तब तक हमारी योजना सुन्दर से सुन्दर और अच्छी से अच्छी क्यों न हो, लेकिन उसमें उन्नति नहीं हो सकती।

लोग यह महसूस नहीं करते कि यह जनता की योजना है बल्कि यह समझते हैं कि कुछ लोगों की है, या सरकार के लोगों की है या शासकों की योजना है। जिस वक्त देश के लोग यह महसूस करने लगेंगे कि यह जनता की योजना है तो भारतवर्ष में इतनी जनशक्ति है कि उससे योजना बहुत आगे बढ़ सकती है।

मैं आपके सामने यह निवेदन करना चाहता हूं कि योजना को कार्यान्वित करने में ढिलाई हो रही है इसी लिये योजना आगे नहीं बढ़ पा रही है। किसी योजना को चलाने के लिये कार्यदक्षता की जरूरत है। जिस कुशलता से योजना चलाई जाती है उसी अनुपात में उसकी उन्नति होती है। योजना चलाने के लिये आज आपका प्रशासन ही आधारशिला है, उसी के माध्यम से योजना चलाई जाती है। यदि देखा जाए कि गांवों के अन्तर्गत इस योजना का प्रसार किस तरीके से हुआ है, इस योजना से गांवों में किस तरह की तरक्की हो रही है, इस योजना से कृषि में किस तरीके से तरक्की हो रही है,तो आपको मालूम होगा कि आपके प्रशासन में कमी है, ढिलाई है, उसमें समुचित व्यवस्था नहीं है जिसके द्वारा आपकी योजना चलाई जाए। यह बहुत बड़ी कठिनाई है और जब तक इस कठिनाई को दूर नहीं किया जाएगा तब तक यह योजना सफल नहीं हो सकती और न देश आगे बढ़ सकता है। आज इस देश के सामने विशाल काम है। यह कृषि प्रधान देश है। इसकी ८० प्रतिशत जनता खेती पर निर्भर करती है और गांवों में रहती है।

गांवों के लिये बड़े बड़े उद्योग धन्धों की आवश्यकता नहीं है। आज अधिकतर रुपया बड़े उद्योगों पर खर्च किया जा रहा है। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर छोटे छोटे उद्योगों पर अधिक रुपया खर्च किया जाए तो हिन्दुस्तान की गरीबी जल्द दूर हो सकती है, जो आज बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है उसमें भी कमी हो सकती है। हिन्दुस्तान के पास हाथ हैं, काम करने की शक्ति है, लोग काम कर सकते हैं परिश्रम करने वाले लोग हैं। हिन्दुस्तान के लोग विदेशों में जाते हैं और बड़े परिश्रम से काम करते हैं। अगर हिन्दुस्तान के लोगों को काम दिया जाए और शारीरिक परिश्रम दिया जाए तो मैं समझता हूं कि आपकी कृषि और छोटे उद्योग धन्धे आज अधिक तरक्की कर सकते हैं। उस पर विशेष जोर देना चाहिए।

इसके अलावा मैं शिक्षा के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। देश में शिक्षा के सम्बन्ध में काफी पैसा रखा गया है लेकिन जब तक भारतीय शिक्षा देने की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता तब तक काम नहीं चल सकता। इसकी तरफ ध्यान देना आवश्यक है। इन शब्दों के साथ मैं अध्यक्ष महोदय का आभारी हूं कि मुझे कुछ कहने का समय दिया।

श्री गोपाल दत्त मेंगी (जम्मू तथा काश्मीर): उपाध्यक्ष महोदय, जो मोशन इस वक्त सदन के सामने विचार के लिए पेश हैं उनका बड़ा महत्व है और यह दुरुस्त ही है कि हम अपने प्लान का वक्तन फवक्तन जायजा लेते रहें।

जब हम अपने देश की प्रगति की जांच करते हैं तो हमें कुदरती तौर पर दूसरे देशों की प्रगति के साथ उसका मुकाबला करना पड़ता है। अगरचे यह कोई नहीं कहता, न कोई कह सकता है, कि हमारे देश ने पिछले दस वर्षों में तरक्की नहीं की यानी तरक्की की राह पर गामजन नहीं है, लेकिन हमारी राय में इख्तिलाफ उस वक्त पैदा होता है जब एक कहता है कि तरक्की की रफ्तार संतोषजनक है और दूसरा कहता है कि रफ्तार नातसल्लीबख्श है। और जब हमें इस तरह की जांच करनी हो तो हमें यकीनन दूसरे देशों की तरक्की से उसका मुकाबला करना पड़ता है।

[श्री गोपाल दत्त मेंगी]

हिन्दुस्तान के साथ साथ तकरीबन एक ही वक्त मैं ईजिप्ट ने भी तरक्की करना शुरू किया लेकिन सन् १९५१ से सन् १९६१ तक दस वर्षों में जहां हिन्दुस्तान ने २१,५०० मिलियन डालर से ३०,४५० मिलियन डालर यानी तकरीबन ५० परसेंट प्रोडक्शन बढ़ाया वहां ईजिप्ट ने अपना प्रोडक्शन करीब दुगना कर दिया है। और हम १९७५ तक भी जाएंगे तब भी हम देश मैं उतना प्रोडक्शन नहीं कर पायेंगे जिससे हमारी पर कपिटा इनकम बढ़ सके जितनी आज जापान की है। हमारे प्लानर्स ने जो सोचा है उसके मुताबिक अगर प्लान ठीक ढंग से चलता रहे, उसमें शार्ट फाल न हों, तो सन् १९७५–७६ तक हमारी पर कपिटा इनकम जितनी आज जापान की है उसकी तिहाई हो सकेगी।

हमारा प्लानिंग बहुत एम्बीशस नहीं है लेकिन अगर इसमें भी शार्ट फाल होने लगे तो हमारी प्रोग्रेस कम हो जाएगी और सदन के सदस्य देख सकते हैं कि उस हालत में सन् १९७५–७६ में हमारी क्या दशा होगी।

जब हम इस तरह अपने देश की तरक्की का मुकाबला दूसरे देशों से करते हैं तो यकीनन हमको फिक्र होता है। हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी स्कीमों में शार्ट फाल हो रहा है। मिसाल के तौर पर आप एग्रीकल्चर को ले लीजिये। फरटीलाइजर में शार्ट फाल का मतलब है एग्रीकल्चर में शार्टफाल। एग्रीकल्चर में हम आगे ही बहुत पिछड़े हुए हैं। सन् १९५१ से लेकर १९६१ तक हमारी पापुलेशन ७६ मिलियन बढ़ी है। इस हिसाब से एक बरस में ७६ लाख पापुलेशन बढ़ी है और जो हमारा १९६१ में एग्रोकल्चुरल प्रोडक्शन बढ़ा है वह १–६ पर सेंट है। आबादी बढ़ती है २ पर सेंट और एग्रीकल्चुरल प्रोडक्शन बढ़ता है १–६ पर सेंट। यह बताता है कि हवा का रुख किस मद में है। हमारे प्रोडक्शन की, हमारी इकानामिक तरक्की की क्या हालत है। कहा जाता है कि सन् १९६६ में हम फूड के मामले में सेल्फ सफीशेंट हो जाएंगे लेकिन जो हमारे फिगर्स है उनसे इस दावे का यकीन करने में पशोपेश होता है।

एग्रीकल्चुरल इकानमी को सही सतह पर लाने के लिए जहां यह जरूरी है कि फरटीलाइजर हों, वहां यह भी जरूरी है कि हमारे लैंड रिफार्म जमाने के मुताबिक हों। यह नहीं हो सकता कि हमारा देश छोटे छोटे लैंड होल्डिंग्स में बंटा हुआ हो और हम यह उम्मीद रखें कि हम मिकेनाइज्ड फारमिंग और माडर्न फारमिंग कर सकेंगे। हिन्दुस्तान की जो हालत है उसमें बड़े प्राइवेट फार्म्स की गुंजाइश नहीं है और न माडर्न फारमिंग मुमकिन है। हमारे यहां एक ही तरीका रह जाता है कि जाइंट कोआपरेटिव फार्म चलाये जायें। जब तक हिन्दुस्तान कोआपरेटिव फारमिंग की लाइन्स पर तरक्की नहीं करेगा और यहां जाइंट कोआपरेटिव फार्म नहीं होंगे, मिकेनाइज्ड फारमिंग नामुमकिन है और एग्रीकल्चुरल प्रोडक्शन बढ़ना नामुमकन है। हमारा एग्रीकल्चुरल प्रोडक्शन उस वक्त तक न बढ़ सकेगा जब तक कि हम उसे मौडर्न ढंग पर न ले आयें। अगर हम चाहते हैं कि हमारा देश तरक्की करे तो यह बहुत जरूरी है कि हम लैंड रिफार्म्स लायें। लैंड रिफार्म्स करने के साथ साथ हमें यह भी देखना है कि हमारे यहां मिकेनाइज्ड फार्मिग चालू हो जाय। यह तभी हो सकता है जब हमारे यहां लैंड के बड़े बड़े यूनिट्स होंगे।

एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में तरक्की इसलिए भी जरूरी है कि हमारे मुल्क का आम पेशा खेतीबाड़ी है। यू० एस० ए० और जापान में एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन टोटल प्रोडक्शन का ९ परसेंट और १५ परसेंट है वहां हिन्दुस्तान में एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन टोटल प्रोडक्शन का ५० परसेंट है। जाहिर है कि एग्रीकलचरल प्रोडक्शन को बढ़ावा देने से ही देश की आमदनी बहुत जल्द बढ़ सकती है। वह आमदनी लोगों के स्टैन्डर्ड आफ लिविंग को उठाने के काम आ सकती है। इसी तरह

से आप देखेंगे कि इस देश की ७० परसेंट आबादी खेती पर निर्भर है जबकि वैस्ट जर्मनी और यू० एस० ए० में केवल १४ और १५ परसेंट आबादी ही खेती पर निर्भर करती है। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बढ़ाने में नेशनल वैल्थ की ही तरक्की नहीं है बल्कि अवाम की बेहतरी और बेहबूदी भी है।

फर्टिलाइजर के साथ साथ स्टील की भी हमारे यहां कमी है। अब हकीकत तो यह है कि हिन्दुस्तान में बेहतरीन किस्म का आयरन ओर पाया जाता है। स्टील के प्रोडक्शन के यहां बेहतरीन हालात हैं जिनकी कि वजह से हिन्दुस्तान में दुनिया भर से सस्ती स्टील प्रोड्यूस की जा सकती है। यह हकीकत है और इस को सब मानते हैं कि इंडिया में जो स्टील प्रोड्यूस होती है वह दुनिया के स्टील मार्केट प्राइस से बहुत कम होती है क्योंकि हमारा स्टील का कौस्ट आफ प्रोडक्शन बहुत कम है। स्टील का रैडी मार्केट हमारे सामने है लेकिन हम देखते हैं कि स्टील का शौर्टफाल है। हमें तो टार्जेट से भी आगे जाना चाहिए। इसलिए मैं समझता हूं कि यह अवस्था अफसोसनाक और चिन्ताजनक है।

जिस तरीके से दुनिया तरक्की कर रही है अगर उसी तरीके से हम तरक्की करना चाहते हैं तो हमारा जो रेट आफ प्रोडक्शन है वह ६ परसेंट से कम नहीं होना चाहिए। इस वक्त वह ४ परसेंट से ज्यादा नहीं है और अगर हम उस को ६ परसेंट तक ले जाना चाहते हैं तो सब से ज्यादा हमें एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन की तरफ तवज्जह देनी चाहिए। इन अल्फाज के साथ मैं अपनी स्पीच खत्म करता हूं।

†**डा० गायतोंडे** (नामनिर्देशित—गोआ, दमन और दीव) : तीसरी योजना के सम्बन्ध में मैंने सभी माननीय सदस्यों के भाषण बड़े ध्यान से सुने हैं। सभी अंगों पर प्रकाश डाला गया है परन्तु एक बात की ओर किसी का ध्यान नहीं गया। वह यह है कि जब हमारे देश की जनसंख्या स्थायी नहीं होती आय बढ़ने की कोई सम्भावना नहीं। १९५९ में ४०८० लाख का अनुमान था परन्तु १९६१ में हुई जनगणना में यह ४३८० लाख हो गयी। मेरा निवेदन है कि योजना बनाने वालों के सामने यह बात रहनी ही चाहिए। गत दस वर्षों में लगभग ७६० लाख की वृद्धि हो गयी है। ऐसा लगता है कि हम प्रत्येक वर्ष एक नये राष्ट्र को जन्म दे देते हैं।

मेरा मतलब यह है कि देश में हो रही जनसंख्या की वृद्धि को देख कर चिन्ता होती है। जब तक इस वृद्धि को रोकने के उपाय नहीं किये जाते तब तक देश के योजनाबद्ध हमारे प्रयत्नों का सफल होना सम्भव नहीं हो सकता तथा बेरोजगारी जैसी समस्यायें वैसी की वैसी बनी रहेंगी। इसके लिए एक ही साधन है कि सरकार को परिवार आयोजन पर अवश्य अधिक ध्यान देना चाहिए। सम्भवतः इसकी सब से अधिक आवश्यकता ग्रामों में है। इसके लिए रूस और जापान की तरह हमें गर्भपात को वैध घोषित कर देना चाहिए। लड़कों तथा लड़कियों दोनों के लिए विवाह की आयु सीमा का दो तीन वर्ष बढ़ा देना अच्छा होगा। मैं सदन को यह भी बताना चाहता हूं कि यदि गोआ के खनिज पदार्थों की खोज के कार्य को उचित ढंग से किया जाय तो इससे हमारी विदेशी विनिमय की स्थिति काफी सुधर सकती है। इन खनिजों के निर्यात से ३० से ३५ करोड़ रुपया प्राप्त हो सकता है।

श्री किशन पटनायक (सम्बलपुर): उपाध्यक्ष महोदय, कुछ दिन पहले माननीय प्रधान मंत्री जी ने, जिन का कि एक माड्रन माइंड है—शायद उतना ही माड्रन, जितना कि मेजर गेगारिन

†मूल अंग्रेजी में

[श्री किशन पटनायक]

का है—कहा था कि हमारे पूर्वजों के पास हिन्दुस्तान का मैप, नक्शा, नहीं था और इसलिए वे बार-बार हारे। मुझे मालूम नहीं कि यह कहां तक सही है कि नक्शे के अभाव से हमारे देश की बार-बार पराजय हुई, लेकिन जितना सीमा का विवाद इस समय हो रहा है, उतना हिन्दुस्तान के इतिहास में शायद कभी नहीं था। लेकिन हम देखते हैं कि यद्यपि इतने माडर्न माइंड वाले मंत्रियों के द्वारा इस देश का कार्य चल रहा है और योजना कार्यान्वित की जा रही है, तो भी यह योजना चलाने के लिए हमारे पास ठीक आंकड़े नहीं हैं, स्टैटिस्टिक्स नहीं हैं। यह सिर्फ़ मेरी क्रिटिसिज्म नहीं है, बल्कि मंत्री लोग भी सदन में इस बात को मानते हैं। जिन अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं का काम इस बात की जांच करना है कि दुनिया में भिन्न-भिन्न देशों की क्या प्रगति हो रही है, उन की भी बार-बार यह आपत्ति होती है कि हिन्दुस्तान की प्रगति की जांच करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उस की ओर से एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज़, इन्वेस्टमेंट आदि किसी भी विषय के स्टैटिस्टिक्स बिल्कुल वैज्ञानिक ढंग से नहीं रखे गये हैं, जिस के कारण हम लोगों को भी यह जानने में दिक्कत होती है कि इस योजना से क्या प्रगति हुई है और इस की असेसमेंट करना बिल्कुल असम्भव हो गया है।

इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि अभी हाल ही में जो बिना काम वाले मंत्री नियुक्त किये गये हैं, उन को कम से कम यह काम दे दिया जाये कि वह देश के आंकड़े ठीक और वैज्ञानिक ढंग से तैयार करवायें। उन का दूसरा काम हो देश में बढ़ते जा रहे ख़र्चीलेपन में संकोच करना और उस पर प्रतिबन्ध लगाना। अगर बिना काम वाले मंत्री को, जिन का ताल्लुक समाजवादी शब्दों से है और जिन का ताल्लुक मुंदड़ा कांड से भी था, यह काम दे दिया जाये और वह इस को ठीक तरह से करें, तो देश के लिए उन की कुछ उपयोगिता हो सकती है।

इस समय सदन में यह बहस चल रही है कि तीसरी योजना के जो लक्ष्य रखे गये हैं, उन की पूर्ति हो रही है या नहीं। मैं कहना चाहता हूं कि तीसरी योजना के लक्ष्यों की, टारगेट्स की पूर्ति हो रही है या नहीं, उस के बारे में बहस एक गौण चीज़ है। पहली बहस तो यह होनी चाहिए कि पहली, दूसरी और तीसरी योजना में जो टारगेट्स रखे गये, इन योजनाओं के मूल उद्देश्य से, लोक-कल्याणकारी उद्देश्य से, उन का कोई सम्बन्ध है या नहीं। हमारे देश में वैज्ञानिक आंकड़े हैं नहीं लेकिन हम लोग बहुत आंकड़ेबाज़ी करते हैं। बराबर आंकड़े दिये जाते हैं इस चीज़ को दिखाने के लिए कि हम प्रगति कर रहे हैं, हमारे यहां प्रगति हो रही है। यह जो प्रगति का मैज़रमेंट है यह बिल्कुल अवैज्ञानिक ढंग से अभी तक हो रहा है। प्रगति की जांच करने के तीन तरीके हो सकते हैं, एक यह कि अतीत में हमारा जितना स्टैंडर्ड था उससे हम बढ़ सके हैं या नहीं बढ़ सके हैं, दूसरे यह कि जो दूसरे देश दुनिया के हैं, धनी देश हैं, गरीब देश हैं, मध्यम देश हैं, उन देशों के लोगों के साथ हम अपने देश के लोगों की तुलना करें और पता लगायें कि हम लोग प्रगति कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं और तीसरा दृष्टिकोण यह होना चाहिये कि हम आखिर क्या चाहते हैं, हम जनता को क्या देना चाहते हैं और वह है भविष्यत् का उद्देश्य, यानी उस भविष्यत् के उद्देश्य की तरफ हम कितना बढ़ रहे हैं। प्रगति को नापने के लिए यह जो तीन तरीके हैं, अतीत के साथ तुलना, पड़ोसियों के साथ तुलना और भविष्यत् के उद्देश्य के साथ तुलना, ये तीन तुलनायें हम करते ही नहीं हैं। हम केवल एक तुलना करते हैं और वह है अतीत के साथ। हम कहते हैं कि गत वर्ष इतना था, अब हम कुछ बढ़ रहे हैं। इस वर्ष इतना है, अगले वर्ष और कुछ बढ़ जायेंगे। इससे क्या नतीजा निकलता है? इस प्रकार की प्रगति तो हमारे देश में पहले ही होती थी और अब भी होती है। जब देश में नेहरू जी नहीं थे और जब ब्रिटेन का राज्य था, जब गुलामी का राज्य चलता था, तब क्या कुछ कम तरक्की हुई थी? इस देश में उद्योगों के मामले में, आधुनिकता के मामले में, काफी

प्रगति हुई थी । जब यहां ब्रिटिश राज्य था, उसने रेलें यहां बनाईं, और बहुत बनाईं । तब हमारा देश रेलों के मामले में एक प्रगतिशील देश था । उसका नतीजा क्या हुआ ? उसका नतीजा यह नहीं हुआ कि लोग अच्छे हो रहे थे, देश तरक्की कर रहा था । अभी भी यह है कि कुछ उद्योगों में वृद्धि हुई है, कुछ उत्पादन में वृद्धि हुई है, लेकिन अतीत की तुलना में हम ज्यादा प्रगति कर सके हैं, ऐसा नतीजा इससे कभी नहीं निकाला जा सकता है । हम यह नहीं कह सकते हैं कि हम सचमुच में प्रगति कर रहे हैं । हम उस प्रगति के पथ पर हैं, जिस पथ के आगे कोई अच्छी मंज़िल हमारी जनता के सामने है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है । इस लिए मैं समझता हूं कि लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण से, हमारी जो दो योजनायें पूरी हो चुकी हैं, उनकी हम जांच करें, ठीक तरह से और वैज्ञानिक ढंग से उनकी जांच करें और उस जांच के फलस्वरूप जो नतीजा निकले उसकी पृष्ठभमि पर इस तीसरी योजना को हम फिर से रिवाइज़ करें ।

अभी महलनवीस कमेटी जो नियुक्त हुई है, उसको एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम सौंपा गया है । लेकिन इस काम में मालूम नहीं क्यों देर हो रही है । देर होने का शायद यह कारण है कि नतीजा ठीक नहीं निकल रहा है । महलनवीस साहब अच्छे आदमी हैं या बुरे आदमी हैं, मैं नहीं जानता हूं । लेकिन एक कमेटी उनकी अध्यक्षता में नियुक्त की गई है जिसका काम है कि योजना का क्या नतीजा निकला है, इसको वह बतायें । इस नतीजे के निकलने के पहले ही, उस कमेटी की रिपोर्ट आन के पहले ही महलनवीस साहब का ब्यान अखबारों में निकल गया है कि ये जो योजनायें हैं ये ठीक नहीं हैं और यह यूरोप का अनुकरण है । यह एक अच्छा क्रिटिसिज्म है, जो उन्होंने किया है । लेकिन इसको जाने दीजिये । मैं कहना चाहता हूं कि उस कमेटी की रिपोर्ट अभी तक निकली नहीं है लेकिन महलनवीस साहब का कमेंट पहले ही निकल गया है । योजना मंत्री जी से हम इसका जवाब चाहते हैं कि अगर महलनवीस कमेटी की रिपोर्ट इस ढंग की निकले जिससे यह साबित हो कि योजना के जो टारगेट्स थे, वे पूरे नहीं हुए हैं, इससे लोगों को कल्याण नहीं मिल रहा है, लोगों को फायदा नहीं मिल रहा है और जो कुछ वृद्धि हुई है देश के उत्पादन में या आय में, उसका बटवारा ठीक ढंग से नहीं हुआ है, बल्कि विपरीत ढंग से हुआ है, कुछ लोगों के पास धन का ज्यादा कंसैंट्रेशन हो गया है, तो क्या योजना मंत्री जी इस सदन को आश्वासन दे सकते हैं, प्रामिज़ कर सकते हैं कि तीसरी योजना को यहीं खत्म करके उसकी जगह एक नई रिवाइज्ड योजना बनायेंगे ? अगर वह यह नहीं करने वाले हैं तो मैं समझता हूं कि महलनवीस कमेटी की कोई उपयोगिता नहीं है । महलनवीस कमेटी की जब रिपोर्ट निकलेगी उससे अगर यह साबित हो जाएगा कि योजना के जो नतीजे निकलने चाहियें थे, नहीं निकले हैं, उत्पादन में जितनी वृद्धि होनी चाहिये थी नहीं हुई है और धन दौलत का बटवारा इस देश की जनता में ठीक ढंग से नहीं हुआ है, लोक-कल्याणकारी नहीं हुआ है, तो क्या यह सरकार का कर्त्तव्य न होगा, क्या योजना मंत्री जी का यह कर्त्तव्य न होगा कि तीसरी योजना को इस ६२वें साल में ही खत्म कर दें और नई योजना नए आधार पर तथा नए वैज्ञानिक दृष्टिकोण को ले कर बनायें ? जहां तक मैं समझ पाया हूं और जहां तक हर वह आदमी समझ पाया है जो कि लोगों के साथ मिलता है, देश में घमता फिरता है, इस योजना से जो आम जनता है, उसको कुछ भी लाभ नहीं मिला है । यह जो चीज़ है यह हर किसी आदमी को मालम हो जानी चाहिये महलनवीस कमेटी की रिपोर्ट आने से पहले ही ।

अभी तक हम प्रगति की बात करते आए हैं और इसको ले कर बहुत प्रापेगंडा करते आए हैं अपने देश में । बाहर तो कोई इस प्रापेगंडे के प्रति ध्यान नहीं देता है लेकिन हम कहते फिरते हैं

कि हिन्दुस्तान एक बहुत बड़ा देश है, एशिया का सर्व-श्रेष्ठ देश है। किस माने में यह सर्व-श्रेष्ठ है? उद्योगों के मामले में है, खेती के मामले में है, आर्थिक प्रगति के मामले में है, किस मामले में है जिसके हम आंकड़े देते हैं। ये आंकड़े मैं जहां तक जानता हूं अतीत की ही तुलना में हम देते हैं, वर्तमान की तुलना में तो देते नहीं हैं। वर्तमान की तुलना को अगर लिया जाए तो क्या मिलता है ? अभी हम कुछ दिन पहले देख रहे थे कि पूर्व एशिया के जो देश हैं, उनके लिए जो इकेफे नामक संस्था है, उसकी रिपोर्ट निकली थी । इस रिपोर्ट में जो आंकड़े दिये गये थे उन से यह साबित होता है कि दुनिया के जो तीन श्रणियों के देश हैं, उच्च, मध्यम और निम्न, इस निम्न श्रेणी के अन्दर हिंदुस्तान आता है और यह निम्नतम है हर मामले में, खेती की प्रगति के मामले में, औद्योगिक प्रगति के मामले में, आर्थिक विकास के मामले में, खाने के मामले में, कपड़े के मामले में । अगर हिन्दुस्तान के बराबर कोई दूसरा पूर्व एशिया का देश है तो वह केवल पाकिस्तान है क्योंकि पाकिस्तान और हिन्दुस्तान एक रहे हैं । अगर हिन्दुस्तान किसी से ज्यादा बड़ा अपने आपको क्लेम कर सकता है तो पाकिस्तान से थोड़ा ज्यादा बढ़ा हुआ क्लेम कर सकता है । उद्योग के मामले में, खती के मामले में, कृषि के मामले में तंथा दूसरे मामलों में जो बाकी पूर्व एशिया के देश हैं, जिन को सोचते समय हम कहते हैं कि ये छोटे देश हैं, जिन को हम बहुम पिछड़े हुए देश समझते हैं, जैसे फिलिपाइंज़ है, सीलोन है, थाईलैंड है, बर्मा है, इन सब देशों से भी हिन्दुस्तान पीछे पड़ा हुआ है । इसके कुछ आंकड़े हमारे पास हैं । एग्रिकलचरल प्राडक्शन के इंडेक्स को आप ले लें । जापान का २९ है, हिन्दुस्तान का १० है, सिलोन का १२ है, मलाया का १६ है, और पाकिस्तान का जैसा मने कहा कि हम ज़रा ज्यादा ऊपर हैं, ३ है । कैलरीज़ और प्रोटीन के मामले में सिलोन के हम नीचे हैं, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर जरूर हैं । इलैक्ट्रिसिटी के मामले में भी हम अफगानिस्तान, बर्मा, चाइना और मलाया के पीछे हैं। शिक्षा के मामले में, स्कूल जाने वाली पापुलेशन के मामले में, इंडोनेशिया का परसेंटेज ९ है, सिलोन का २१ है लेकिन हिन्दुस्तान का सिर्फ ८ है । प्राडक्टिविटी पर हैक्टेर आप लें । हिन्दुस्तान में १.३१ टन है, बर्मा में १.५७ है, इकैफे कंट्रीज़ में १.५८ है, थाईलैंड में १.३५ है और पाकिस्तान में १.४० है । राष्ट्रीय आय के मामले में जो प्रगति हुई है, उसका परसेंटेज या पर कैपिटा परसेंटेज भी बहुत कम है । हर मामले में हिन्दुस्तान दुनिया में पिछड़ा हुआ देश है । हम यहां हल्ला करते हैं, हिन्दुस्तान के अन्दर हल्ला करते हैं, हिन्दुस्तान के गरीब लोगों के साथ धोखेबाजी करने के लिए कि हिन्दुस्तान एशिया का सर्व-श्रेष्ठ देश है। हम इस चीज़ को ज्यादा महसूस करते हैं कि जो योजना का मूल आदर्श है, उसको हम को बदलना पड़ेगा। आखिर हम कैसे चल सकते हैं, उस दिशा में जिस दिशा में कि यूरोप के देश, जर्मनी, अमरीका, रशिया जैसे देश चल कर बड़े हुए हैं। उस पथ पर चल कर हम बड़े नहीं हो सकते हैं । यह तो विदेशी अर्थनीतिज्ञ लोग भी मानते हैं, लेकिन हमारे यहां के अर्थनीतिज्ञ कुछ अलग अर्थनीति सीखे हुए हैं। वे मानते ही नहीं हैं, जैसा कि गोनार मिरडल ने हर बार कहा है, कि जो पिछड़े हुए देश हैं अगर वे योरप और अमरीका के विकास पथ पर चलेंगे तो उन का विकास कभी होने वाला नहीं है। उन को अपनी एकानमिक थ्योरी बनानी होगी, उन को अपना अलग अनुसंधान करना होगा कि किस रास्ते से चलने से हम बड़े हो सकते हैं। इस लिये मेरी अर्ज यह है कि जो हिन्दुस्तान की योजनाओं के लिये जिम्मेदार हैं, वे गत दो योजनाओं के फलाफल की ठीक ढंग से, वैज्ञानिक ढंग से जांच कर के, उस की विफलता को ठीक ढंग से प्रकाशित कर के हिन्दुस्तान के जो एकानमिस्ट्स हैं उन को इस काम पर लगायें कि वे सोचें कि हिन्दुस्तान ी प्रगति ।कस मौलिक ढंग से हो सकती है। वे इस पर विचार करें और नक्शा बनायें ;

उपाध्यक्ष महोदय : आप का समय समाप्त हो गया ।

श्री किशन पटनायक : मुझे बहुत सी बातें कहनी थीं, लेकिन चूंकि आप ने कह दिया है कि मेरा समय समाप्त हो गया, इस लिये केवल दो एक बातें कह कर खत्म कर दूंगा क्योंकि स्पीकर साहब ने कहा था ग्रुप्स को ज्यादा समय दिया जायगा ।

मैं थोड़ी सी खेती की बात कहता हूं । हम खेती में भी प्रगति नहीं कर सके, जब कि प्रधान मंत्री का एलान था कि सन् १९५१ में खाद्यान्न के मामले में देश आत्म निर्भर हो जायेगा । अब सन् १९६१ भी बीत गया और अभी तक कुछ नहीं हुआ है । बावजूद इस बात के कि इतने डैम्स बन गये, बान्ध बन गये और इतने करोड़ रुपये योजनाओं पर खर्च हो गये, देश खाद्यान्न के मामले में आत्म निर्भर नहीं हो सका । इस का नतीजा क्या हुआ, इस के बारे में योजना मंत्रालय की तरफ से कोई जांच नहीं हुई है ।

मैं खुद एलेक्ट हुआ हूं हीराकुड से जहां पर एक बान्ध बना है । मैं इसी लिये एलेक्ट हुआ कि इस बान्ध से जो नहरें गई हैं उन से लोगों को कोई सहायता नहीं मिल रही है, बल्कि उन के ऊपर इन नहरों के कारण टैक्स पड़ रहा है । मैं इसी कारण इस सदन में आया हूं नहीं तो न आता, यह बिल्कुल सही बात है । मैं ने इसी इश्यू पर एलेक्शन लड़ा था । तो नहरों के फलस्वरूप किसानों को फायदा नहीं मिला लेकिन उन के ऊपर टैक्स का कोड़ा पड़ गया । मेरे कहने का मतलब यह है . . . .

एक माननीय सदस्य : क्या किसानों के पास पानी नहीं आया ?

श्री किशन पटनायक : पानी आया, लेकिन पानी आने के फलस्वरूप जो सब से अच्छी और फर्टाईल लैंड थीं वह बिल्कुल नष्ट हो गईं । यह थोड़ी बहुत जमीन नहीं, हजारों एकड़ की बात है । दूसरी बात यह है कि नहर से पानी आया लेकिन जो लोगों की पारम्परिक प्रथा है, यानी खेती के मामले में, खेती के मेथड्स के मामले में, कि किस ढंग से वैज्ञानिक तरीके से खेती करनी चाहिये, लोगों को ज्ञान नहीं दिया गया है, जिस के कारण वे पुराने ढंग से ही खेती करते हैं । सब कुछ हो चुका, पैकेज प्रोग्राम भी हो चुका है, कम्यूनिटी डेवेलपमेंट भी हो चुका है, लेकिन उस का फल कुछ नहीं हुआ है । . . . .

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप समाप्त कीजिये ।

श्री किशन पटनायक : मैं अभी कुछ और कहना चाहता हूं क्योंकि मेरे ग्रुप को और समय मिलना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं अब आप को समाप्त करना चाहिये ।

श्री किशन पटनायक : मेरा आखिरी प्वाइंट यह है कि जहां तक फारेन एक्स्चेन्ज का मामला है या विदेशी सहायता का मामला है, मैं किसी हद्द तक यह चाहता हूं कि विदेशी सहायता इस देश को न मिले । वह न मिले तो शायद अच्छा हो क्योंकि तब हम सीखेंगे कि आत्म निर्भर कैसे बना जाये । अपने देश में हम जितनी बचत कर सकते थे उतनी हम नहीं कर सक रहे हैं । बहुत ज्यादा खर्चीलापन चल रहा है । जितने इस देश में अनावश्यक एक्स्पेन्सेज के सोर्सेज हैं वहीं से पहले इस देश में पूंजी निर्माण होना चाहिये । जैसे राजाओं के भत्ते हैं या मंत्रियों के खर्चे हैं, इन को कम होना चाहिये । अभी हम ने मंत्रियों के खर्च के बारे में एक ऐडजर्नमेंट मोशन दिया है । मैं आशा करता हूं कि उस पर सदन विचार करेगा । मैं ने इस बहस को शुरू नहीं किया, खुद प्रधान मंत्री ने शुरू किया । इलाहाबाद में एक दो महीने पहले शायद उन्होंने कहा था कि उन की आमदनी एक महीने में सिर्फ

[श्री किशन पटनायक]

१,६०० रु० है। ठीक है, उन की ग्रामदनी १,६०० रु० महीना हो सकती है, या इस से १ या २ सौ ज्यादा हो सकती है, लेकिन उन के ऊपर जो रोजाना का खर्च है वह २५,००० रु० है। ग्राखिर यह हिसाब क्या हुग्रा ? जब हिन्दुस्तान की सरकार की तरफ से रोजाना प्राय: ११ करोड़ रु० का खर्च होता है तब हिन्दुस्तान के जो प्रधान मंत्री हैं, उन के ऊपर २५,००० रु० खर्च होता है। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं इस का ब्यौरा दूं, लेकिन ग्रसल बात यह है कि यहां पर जो इतना खर्चीलापन है जब तक उस को हम संकुचित नहीं करेंगे, जब तक उस को मिटायेंगे नहीं, तब तक फ़ारेन ग्रसिस्टेंस या विदेशी मुद्रा का रोना रोने से क्या फायदा ?

श्री ग्र० प्र० वर्मा : (बक्सर) : उपाध्यक्ष महोदय, सदन के सामने तृतीय पंच वर्षीय योजना के पहले वर्ष की प्रगति के सम्बन्ध में जो मोशन ग्राया है, उस के सम्बन्ध में मैं कुछ कहना चाहता हूं। मैं ने शनिवार को भी इस के सम्बन्ध में जो बहस हुई उसको सुना ग्रौर ग्राज भी बहुत गौर से सुन रहा था। खास तौर से जो माननीय सदस्य मुझ से पहले बोल रहे थे उन की बातों से ऐसा मालूम होता है कि पिछले पन्द्रह या सोलह वर्षों से हिन्दुस्तान उसी जगह पर है जहां पर उस से पहले था, बल्कि शायद उन का यह विचार है कि हम उस से भी बहुत पीछे चले गये हैं, ग्रौर हम ने ऐसा कोई काम हिन्दुस्तान के ग्रन्दर नहीं किया, जिस से हम कह सकें कि हम ने देश को ग्रागे बढ़ाने के लिये ग्रागे कदम बढ़ाया है। उन के कहने का मतलब यह भी मालूम होता था कि देश के ग्रन्दर जो योजनायें बनी हैं उन में इतनी खामियां हैं कि वे हमारे देश की ग्रावश्यकताग्रों के मुताबिक नहीं बन पाई हैं, ग्रौर इसलिये हम बहुत पीछे पड़ गये हैं। इस के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि मैं उन लोगों में से हूं जो योजनाबद्ध कार्य करने में विश्वास रखते हैं, ग्रौर जो भी योजनायें हम ग्रपने देश की ग्रावश्यकताग्रों को सामने रख कर यहां बनाते हैं उन्हें जरूर पूरा करेंगे। लेकिन इस के साथ ही साथ यह भी देखना होगा कि हमारी कैपसिटी क्या है, हम कितना ग्रागे बढ़ सकते हैं ग्रौर कितना काम कर सकते हैं। हो सकता है कि हमारी जरुरियात बहुत ज्यादा हों, लेकिन उन जरुरियात को हम कहां तक पूरा कर सकते हैं, उस को पूरा करने की हमारी कैपसिटी कहां तक है, इन बातों को सामने रख कर ही हम योजनायें बनाते हैं। तो जहां तक योजना बनाने का सवाल है ग्रौर योजनाबद्ध हो कर काम करने का सवाल है, उस के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि हमारे देश के ग्रन्दर जितनी भी योजनायें बनी हैं वे सब हमारे ग्रावश्यकताग्रों को सामने रख कर ही बनी हैं ग्रौर इस में कोई दो रायें नहीं हो सकती हैं इसी लिये हम ने पहली पंच वर्षीय योजना को सफल बनाया, दूसरी पंच वर्षीय योजना को भी सफल बनाया ग्रौर तीसरी पंच वर्षीय योजना में भी हम ग्रागे बढ़ रहे हैं। लेकिन इस के साथ ही साथ जो हमारी योजनायें बनती हैं ग्रौर उन योजनाग्रों के ग्रनुसार हमें जो काम करने हैं, जो प्रगति हमें करनी है, जो हमें उत्पादन बढ़ाना है, उस के रास्ते में जो दिक्कतें होती हैं, जो जो रुकावटें पैदा होती हैं, उन की तरफ भी हमें देखना चाहिये।

चूंकि समय बहुत कम है, इसलिये मैं दो ही बातों के सम्बन्ध में जिक्र करना चाहता हूं, खास तौर से। हमारे देश के ग्रन्दर कोयले का उत्पादन भी होता है। दूसरी पंच वर्षीय योजना में जितने कोयले का उत्पादन हुग्रा उसे हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंचा सके, इसका कारण यह बतलाया जाता है कि ट्रान्स्पोर्ट का ग्रभाव है। उस की वजह से रेलवेज बहुत कम कोयला एक जगह से दूसरी जगह भेज सकी हैं। इस के साथ ही साथ कोयले की जो कमी हमारे देश में है उस को हम दूर नहीं कर सके हैं। जहां तक मेरी जानकारी है मैं ग्राप से कहना चाहता हूं कि हमारे सूबे के ग्रन्दर, बिहार के ग्रन्दर, कोयले का उत्पादन बहुत ग्रधिक होता है। जब यह बतलाया जाता है कि रेलवेज कोयले को एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंचा पातीं, या उन को पहुंचाने में दिक्कत

होती है, तो मैं यह जानना चाहता हूं, खास तौर से इस प्लैन के सम्बन्ध में, कि पहले कोयले का उत्पादन होगा या कोयला पहुंचाने के लिये यातायात का प्रबन्ध पहले होगा। मैं कोल ट्रांस्पोर्ट एडवाइजरी कमेटी का भी सदस्य हूं जिसकी बैठक कलकत्ता में होती है और मैं देखता हूं कि ...त दिन इन दो विभागों में, रेलवे और कोयला उत्पादन करने वाले विभाग में, आपस में झगड़े होते हैं। एक कहता है कि हम ने कोयला बहुत ज्यादा उत्पादन किया, हमारे पास स्टाक में बहुत काफी कोयला है, रेलवे हमें एक जगह से दूसरी जगह कोयला पहुंचाने के लिए वैगन नहीं देता। मैं यहां तक कहना चाहता हूं कि जो कोयला उत्पादन करने वाले, यानी कोलरी ओनर्ज हैं वह तो अब यह भी कहने लगे हैं कि हमें इस काम में पूंजी फंसाने से क्या फायदा क्योंकि हम जो कोयला निकालते हैं वह डिपो में पड़ा रहता है और उसको एक जगह से दूसरी जगह नहीं भेजा जा सकता।

मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस समय प्लानिंग होता है कि हमें इतना कोयला पैदा करना है, इतना लोहा पैदा करना है, तो उसके साथ ही साथ यह भी प्लानिंग करना चाहिए—और मैं समझता हूं कि ऐसा किया जाता है—कि उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए कितनी ट्रांस्पोर्ट फैसिलिटी देनी चाहिए। बतलाया गया है कि १४५ करोड़ रुपया रेलवेज को दिया जा रहा है कि वे अपना एक्सपांशन करें ताकि हम सामान को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकें। आज होता यह है कि एक तरफ तो हम कोयला आदि पैदा करते हैं और उसके साथ ही रेलवे को एक्सपांशन के लिए पैसा देते हैं और उसका एक्सपांशन शुरू करते हैं। लेकिन इस वक्त जो रुपया रेलवे जो दिया जा रहा है उससे उसका विकास तो दो एक साल में हो सकेगा, दो एक साल में उसके डब्बे, इंजिन आदि बन सकेंगे और पटरियां पड़ सकेंगी। लेकिन आज स्थिति यह है कि जो कोयला उत्पादन होता है उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए साधन नहीं है। और जो इस साल कोयला उत्पादन होगा उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए यातायात के साधनों का प्रबन्ध हमें पहले करना चाहिए था। हमें चीजों को पैदा करने से पहले उनको एक जगह से दूसरी जगह भेजने के यातायात साधनों का विकास करना चाहिए।

मेरे सूबे बिहार में कोयला काफी पैदा होता है, और सीमेंट भी काफी पैदा होता है। हमें मालूम हुआ है कि हमारे पास आंकड़े भी हैं कि हमारे सूबे में कोयले की बड़ी कमी है। लोग ज्यादा से ज्यादा कोयला और सीमेंट चाहते हैं पर उनको वह नहीं मिलता। अगर बिहार में जो कोयला पैदा होता है उसको पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात, बम्बई, मद्रास आदि भेजने के लिए साधन उपलब्ध नहीं हैं तो कम से कम सूबे के अन्दर जो निकटवर्ती स्थान हैं उन स्थानों पर रेलवे के अलावा दूसरे साधनों से, सड़क से या जल मार्ग से, कोयला क्यों नहीं पहुंचाया जाता। वहां पर भी कोयले का अभाव क्यों पैदा किया जाता है। अभी सदन में यह कहा जा सकता है कि हर स्टेट के लिए कोयले का कोटा एलाटेड है। इस सदन में हाउसिंग मिनिस्टर साहब ने कहा था कि हम इंडस्ट्रियल हाउसिंग के निर्माण के लिए हर स्टेट को रुपया देते हैं लेकिन अगर कोई स्टेट उसको इस्तैमाल नहीं कर पाती तो हम दूसरी स्टेट को वह रुपया इस्तैमाल के लिए दे देते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इसी तरीके पर विचार करना चाहिए। अगर देश के कुछ भागों में कोयले की कमी है तो बिहार में भी क्यों कमी पैदा की जाये जहां कोयला पैदा होता है। यह ठीक नहीं है।

मुझे इस सम्बन्ध में बातें तो बहुत करनी हैं, जैसा कि मैंने पहले कहा था, लेकिन मैं इस समय एक बात एम्पलायमेंट के बारे में कहना चाहता हूं। प्लान में बतलाया गया है, और आंकड़ा दिया गया है, कि हम अगले पांच वर्ष में इतने आदमियों को काम दे सकेंगे। लेकिन उसके साथ ही साथ इस बात का भी हमें पता लगाना है कि हमारे देश में काम मांगने वाले कितने लोग हैं।

[श्री ग्रा० प्र० शर्मा]

हम लोग जाते हैं गांवों में, शहरों और हर जगह तो देखते हैं कि लोग काम चाहते हैं लेकिन उनको काम नहीं मिलता। तो इस बात का भी पता लगाना चाहिए।

इसके अलावा इस बात का भी अन्दाजा लगाना चाहिए कि अगले पांच वर्ष में कितने काम करने वाले लोग तैयार हो जायेंगे। इसलिए मैं इन दोनों बातों को आपके सामने रखना चाहता हूं। प्लानिंग कमीशन को इस बात का भी पता लगाना चाहिए कि जो काम वह देने जा रहा है वह कितने लोगों के बीच में देने जा रहा है। मान लीजिये कि हमारे देश में पांच करोड़ आदमी बेकार हैं। उन पांच करोड़ के बीच अगर हम एक करोड़ आदमियों को काम देने जा रहे हैं तो चार करोड़ तो इनमें से बाकी रहेंगे और अगले पांच साल में कितने और लोग तैयार हो जायेंगे, हमारे पास इसके भी आंकड़े होने चाहिएं। लोगों को आज काम नहीं मिल रहा है इससे गांवों में असंतोष बढ़ा हुआ है। हम कहते हैं कि हम तो धनी बनते जा रहे हैं, उत्पादन भी बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन जो वितरण का तरीका है उसके अन्दर खामियां हैं। इस पर भी विचार करना चाहिए।

मैं आखिर में अपने सूबे के इर्रीगेशन के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। गंगा एक बड़ी नदी है और उसका उत्पात हर वर्ष बिहार, उत्तर प्रदेश और बंगाल में होता है। सैकड़ों गांव बह जाते हैं बाढ़ की वजह से और लोग परेशान और बेघर हो जाते हैं। हम देखते हैं कि और बड़ी बड़ी योजनाएं बनायी जाती हैं लेकिन प्लान में यह योजना कहीं नहीं देखते कि गंगा के फ्लड को किस तरह कंट्रोल किया जाये। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जहां तक योजनाबद्ध काम करने का सवाल है यह तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन उस में हमें असंतोष इस बात से है कि योजना के अधीन बहुत सी ऐसी बातें जैसे गंगा नदी के बाढ़ कंट्रोल की योजना नहीं है मैं बतलाना चाहता हूं कि हमारा काम करने का तरीका ठीक नहीं है, उसमें परिवर्तन होना चाहिए। आज होता क्या है? सरकारी मुहकमों के द्वारा योजना को कार्यान्वित किया जाता है। मैं खास तौर से कहना चाहता हूं कि आज योजना को सफल बनाने के लिए मजदूरों तथा किसानों का सहयोग प्राप्त करना आवश्यक है।

जैसा कि प्रधान मंत्री जी ने कहा, आज हमें देश में गरीबी से युद्ध करना है और गरीबी को देश से मिटाना है। इसके लिए हमें लोगों में उत्साह पैदा करना चाहिए। जैसे हमने आजादी की लड़ाई लड़ी और देश को आजाद किया, उसी तरह आज देश से गरीबी को मिटाने के लिए हमको योजना को सफल बनाना है। हमको कोशिश करनी चाहिए कि जो पांच साल की योजना है उसको चार साढ़े चार साल में ही मेहनत करके खत्म कर दें। तभी लोगों में सन्तोष पैदा हो सकता है।

आखिर में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं हमें देश में जो सबसे बड़ी चीज पैदा करनी है वह सन्तोष है। लेकिन आज सन्तोष की बजाए असन्तोष पैदा किया जा रहा है। कुछ लोगों का तो काम ही देश में असन्तोष पैदा करना है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए लोगों में ज्यादा से ज्यादा सन्तोष पैदा किया जाए।

†**श्री रवीन्द्र वर्मा** (तिरुवल्ला) : हमारा देश इस योजना के कार्यान्वियन की पेचीदगियों को जानता है। हमारे देश की बहुत बड़ी जनसंख्या है। उसका उत्थान एक कठिन कार्य है। ऐसा संभव है कि यद्यपि हम योजना के ध्येयों की पूर्ति में सफल भी हों, कभी कभी हम योजना के ध्येयों की पूर्ति में असफल भी रह सकते हैं। ऐसा होना योजना के इतिहास में कोई असाधारण बात नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

माननीय सदस्य श्री इन्द्रजीत गुप्त ने ध्येयों की की न पूर्ति का उल्लेख करते हुए कहा कि ध्येय पर तो राष्ट्रीय विचार होने चाहिएं या हमें इस बात को मान लेना चाहिए कि इन ध्येयों की पूर्ति में असफल रहे हैं। श्री नाथ पाई ने जो आंकड़े दिये हैं वे सरकार ने ही दिए थे। माननीय सदस्यों को अन्य देशों के इतिहास की ओर देखना चाहिए जिन्होंने आयोजन को अपनाया है। यही पता चलता है कि उन देशों में जहां कि सरकार को देश के आर्थिक जीवन पर पूरा नियन्त्रण है उन देशों में भी योजना में ध्येयों की पूर्ति नहीं हो सकी थी। हमारे जैसे देश में जिसने प्रजातन्त्र का मार्ग अपनाया है, लक्ष्यों की प्राप्ति के बारे में समय के अन्तर का होना आवश्यक है।

भुगतानावशेष और विदेशी मुद्रा का स्थायी हल तब हो सकता है जब यह देश अपने निर्यात को बढ़ा ले। यह भी कहा जा सकता है कि वस्तुओं की किस्म पर नियन्त्रण होने चाहिएं और निर्यात बढ़ाने के लिए उत्साह देना चाहिए। असली समस्या यह है कि कुछ देश हैं जो कि मुख्यतः मूल उपज का निर्यात करते हैं। कुछ देश जो कि औद्योगिक दृष्टि से बहुत आगे बढ़े हुए हैं वे आयात में अन्य देशों से भेदभाव करते हैं। हम देखते हैं कि कम विकसित देशों में प्रतियोगिता है जिसका लाभ औद्योगिक रूप से विकसित देश उठाते हैं। हमें वैस: ही वस्तुओं के तैयार करने वाले देशों से सम्पर्क बनाने चाहिए ताकि प्रतियोगिता को टाला जा सकें। अर्थ-व्यवस्था के क्षेत्र में प्रादेशिक सम्बन्धों की आवश्यकता है।

यदि योजना को सफल बनाना है तो लोगों में उसके बारे में जगृति होनी चाहिए ताकि योजना की सफलता सुनिश्चित हो जाए। यदि योजना को सफल बनाने के लिए लोगों को प्रोत्साहन देना है तो केवल उत्पादन बढ़ाने की योजनाओं की ओर ही नहीं ध्यात देना चाहिए अपितु धन के समतापूर्ण वितरण के लिए भी कोशिश करनी चाहिए।

लोगों में कुर्बानी करने के लिए उत्साह तभी पैदा होगा जब उन्हें इस बात का विश्वास हो जाए कि जो अधिक धन पैदा होगा वह उन्हें मिलेगा न केवल थोड़े से उद्योगपतियों की जेबों में जाएगा।

जो अधिक धन पैदा होता है, वह कहां जाता है ? जब तक सरकार लोगों को इस बात का विश्वास नहीं दिलाती कि अधिक धन जो पैदा होता है वह उन्हें मिलता है तब तक लोगों से सहयोग नहीं मिलेगा।

जहां तक आर्थिक सत्ता के जमाव का प्रश्न है यदि कुछ व्यक्ति या फर्में लाइसेंस प्राप्त करने के कानूनों में खामियों का लाभ उठाएं तो सरकार उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करे।

यदि केन्द्र सरकार नीति बनाती है तो केन्द्र पर एक संतुलित प्रादेशिक विकास का उत्तरदायित्व है। विभिन्न राज्यों में धन के विनियोग में अत्यधिक असमता है जिसके परिणामस्वरूप दूसरे क्षेत्रों में भी असमता पाई जाती है। सरकार को इन असमताओं को खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। समाजवाद में सरकार का विश्वास लोगों को तृतीय योजना को कार्यान्वित करने के लिए प्रेरणा देगा।

†**श्री ललित सेन** (मण्डी) : हमारी योजना के लक्ष्य बहुत अधिक नहीं हैं, कम ही हैं, परन्तु जब हम अपनी अर्थ-व्यवस्था की आर्थिक पृष्ठभूमि को लेते हैं तो वे लक्ष्य बहुत अधिक लगते हैं। हमारी जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है कि हमारी बेरोजगारी की समस्या का हल नहीं हो सकता। हमें तेज औद्योगीकरण के लिए कोशिश करनी चाहिए।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ललित सेन]

इस समय योजना के काम पर योजना के पहले वर्ष से अन्दाजा लगाना उचित नहीं। हम केवल सद्ज्ञान का अन्दाजा लगा सकते हैं।

कृषि हमारी अर्थ-व्यवस्था का सब से अधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, परन्तु उस पर उतना बल नहीं दिया गया है जितना कि उद्योग और खानों पर। इस क्षेत्र में विकास भी संतोषजनक नहीं हुआ है।

भूमि के प्रयोग की ओर अधिक से अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये। उसके साथ साथ मिट्टी के कटाव से संरक्षण की योजनाओं के लिए और अधिक वित्तीय व्यवस्था करनी होगी।

उर्वरकों के उत्पादन में तृतीय योजना के लक्ष्य की पूर्ति कठिन है।

इस समय किसानों को उनकी ऋण की आवश्यकताएं पूर्ण करने के लिए काफी ऋण उपलब्ध नहीं है। योजना आयोग इस बात की छान बीन करे कि क्या ऐसे कानून की आवश्यकता है जिससे ऋण की व्यवस्था करने वाली सरकारी संस्थाएं केवल उपभोक्ताओं तथा उत्पादकों के हाथों में ही रहे।

जहां तक भू-सुधार समस्याओं का सम्बन्ध है, उनका हल व्यावहारिक रूप से करना चाहिए।

†**श्री वासुदेवन नायर** (अम्बलपुझा) : कृषि हमारी अर्थ-व्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण है। कृषि का पुनर्गठन समस्याओं की समस्या है। कृषि क्षेत्र में स्थिति बिल्कुल सन्तोषजनक नहीं है। हम अभी भी अनाज के आयात पर बड़ी राशियों का व्यय कर रहे हैं। यह हमारे संसाधनों पर कितना बोझ है।

कृषि उत्पादन में थोड़ी वृद्धि अवश्य हुई है, परन्तु कपास और बिनौलों के उत्पादन में तो कमी भी हुई है।

यदि हमने उत्पादन को बढ़ाना है तो हमें किसानों की ओर ध्यान देना चाहिए। तथ्यों से यह पता चलता है कि हमारे ग्रामीण परिवारों की २५ प्रतिशत संख्या के पास बिल्कुल भूमि नहीं है तथा ५३ प्रतिशत के पास ५० एकड़ से कम जमीन है।

जहां तक भूसुधार का सम्बन्ध है, सरकार ने मध्यम व्यक्तियों को बीच में से हटाने के लिए कानून बना कर ठीक काम किया है। परन्तु उचित किराए, भू-धृति के संरक्षण, मालकियत के अधिकारों की किसान द्वारा खरीद, भू-धृति के बारे में अधिकतम सीमा का निर्धारण आदि के मामलों में राज्यों के विधानों से समस्याओं का हल नहीं हो सकता। भारत सरकार तथा योजना आयोग को यह देखना होगा कि विभिन्न राज्यों में वास्तविक भूमि-सुधारों को लागू किया जाए तथा उनकी अभिपूर्ति की जाये ताकि परस्पर विरोधी व्यवहारों तथा दबावों से बाधाएं उत्पन्न न हों।

जब तक राष्ट्रीय आयों के वितरण में समानता नहीं आती तब तक योजना के कार्यान्वयन में लोगों को उत्साह नहीं होगा। जब तक सरकार और योजना आयोग भू-सुधार करके किसानों की सहायता नहीं करते, तब तक आयोजन सम्बन्धी सभी बातें निरर्थक हैं।

†**श्री भागवत झा आजाद** (भागलपुर) : हमारे देश की अर्थ-व्यवस्था में प्रगति हुई है, परन्तु उतनी प्रगति नहीं हुई है जितनी चाहिए थी। इसका कारण यह है कि प्रशासन योजना को

†मूल अंग्रेजी में

क्रियान्वित करने में असफल रहा है। निस्संदेह हम अधिक सफलता प्राप्त कर सकते थे और इस समय भी कर सकते हैं।

कृषि के सम्बन्ध में हमारा लक्ष्य छः प्रतिशत था, परन्तु हमारी सफलता केवल १.६ प्रतिशत है।

आज हर एक क्षेत्र में हमें असन्तुलन पाया जाता है। मांग अधिक है और संभरण कम है। कृषि क्षेत्र में जो लाभप्रद रोजगार की व्यवस्था कही जाती है वह भी मज़ाक ही है। आंकड़ों को देखने से पता चलता है कि इस प्रकार के रोजगार का ४० प्रतिशत भाग निम्न स्तर के तुल्य भी नहीं है। कृषि में असफलता क्यों मिली ? इसलिये कि हम ठीक ढंग का आयोजन नहीं कर सके। प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और आसाम में बाढ़ से बहुत विनाश होता है। परन्तु कितने खेद की बात है कि उनके नियन्त्रण की हमारे पास कोई योजना नहीं है।

सब से प्रथम बात यह है कि बेरोजगारी बहुत हो रही है। इसकी व्यवस्था करनी होगी। आय में असमता बढ़ रही है। तीसरा आर्थिक शक्तियों का केन्द्रीयकरण होता जा रहा है। इनका गत दस वर्षों से कोई हल नहीं निकल रहा। गत संसद् में असमानताओं को समाप्त करने का प्रस्ताव भी पारित हुआ था, परन्तु इस दिशा में अब तक कुछ नहीं किया जा सका। हमारी राष्ट्रीय आय में किराये, मजूरी वेतन, ब्याज तथा लाभ इत्यादि सम्मिलित हैं। परन्तु कीमतें बढ़ रही हैं और केवल मुनाफों में ही वृद्धि हुई है। और जो स्थिति है उससे स्पष्ट है कि योजना के मूल उद्देश्यों की प्राप्ति में सरकार बहुत ही बुरी तरह असफल रही है। कीमतें कई गुणा बढ़ गई हैं।

इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए मेरा निवेदन यह है कि हमें समयबद्धता तथा जनसंख्या में वृद्धि पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। और सब से महत्वपूर्ण बात इस दिशा की यह है कि योजना को समुचित ढंग से चलाने के लिए प्रशासन को फिर से ढाला जाए। हमें समय रहते अपनी असफलता को समझना चाहिए और समुचित दिशा में कदम उठाना चाहिए।

†**श्री मलिक** (जाजपुर) : पिछले दस वर्षों में देश ने प्रगति की है। और आशा है कि तीसरी योजना में और भी प्रगति होगी। सरकार को देश की कृषि पर अधिक ध्यान देना चाहिये। समस्त प्राकृतिक संसाधन विशेषकर कोयले का अधिकतम उपयोग किया जाना चाहिये।

देश के समस्त क्षेत्रों के लिये पीने के पानी की व्यवस्था की जानी चाहिये। अस्पृश्यता निवारण एवं अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों और महिलाओं के कल्याण के लिये किया जाना चाहिये और ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकाधिक विकास कार्य किये जाने चाहियें।

परादीप का शीघ्र एक बड़े पत्तन के रूप में विकास कियां जाना चाहिये तथा उसके आन्तरिक क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछाया जाना चाहिये ताकि उस पत्तन से अधिकाधिक लोह अयस्क का निर्यात किया जा सके। गत तीन वर्षों में यहां से ८०,००० टन लोह-अयस्क का निर्यात हुआ। गोआ में नारियल जटा उद्योग की स्थापना की जानी चाहिये ताकि समस्त भूमिहीन श्रमिकों को उसमें खपाया जा सके। गोआ के लाभ के लिये खानों को फिर से आरम्भ किया जा सकता है।

†**श्री रामेश्वर टांटिया** (सीकर) : हमारी अर्थ-व्यवस्था के अनेक क्षेत्रों में कमियां हैं और ऐसा मालूम होता है कि जहां तक कोयले और परिवहन साधनों का सम्बन्ध है उनकी समस्यायें हल

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री रामेश्वर टांटिया]

नहीं की जा सकेगी। यदि जनसंख्या की वृद्धि को रोका नहीं गया तो आयोजन के समस्त लाभ उधर खप जायेंगे और कोई वास्तविक प्रगति नहीं की जा सकेगी।

आर्थिक शक्ति का केन्द्रीकरण इस तथ्य से सर्वथा स्पष्ट है कि केवल २० व्यापारी घराने देश के ४५ प्रतिशत उद्योगों के मालिक हैं। जब तक कि प्रत्येक व्यक्ति को बिना भेदभाव के लाईसेंस नहीं दिये जायेंगे तब तक स्थिति में कोई सुधार नहीं होगा। निर्यात बढ़ाया जाना चाहिये चाहे उसके लिये हमें मितोपभोग भी करना पड़े। आवास की समस्या भी हल की जानी चाहिये। यद्यपि म सरकार के प्रयत्नों की सराहना करता हूं फिर भी योजना की कमियों की ओर भी हमारा ध्यान जाना ही चाहिये।

†**श्री कर्णी सिंहजी** (बीकानेर) : हमने जिस प्रकार की महत्वाकांक्षी योजना बनाई है उसमें कमियां रहना अपरिहार्य है। इस कमी का प्रमुख कारण जनसंख्या की वृद्धि की समस्या है जिसका सामना देश को करना पड़ रहा है। उससे हमारी बेरोजगारी की समस्या भी अधिक गंभीर हो जाती है। जनता के मन में इस स्थिति की गंभीरता के प्रति जागरूकता उत्पन्न की जानी चाहिये। परिवार आयोजन के सम्बन्ध में दृष्य-शिक्षा के लिये अधिक धन आवंटित किया जाना चाहिये। फिल्म डिवीजन द्वारा बनाये जाने वाले प्रत्येक चलचित्र में परिवार नियोजन का प्रचार होना चाहिये। वास्तव में यह अधिक अच्छा हो कि इस विषय के लिये हम एक पृथक मंत्रालय ही बना दें।

हमें यह सुनिश्चित करना चाहिये कि हमारी शिक्षा प्रणाली ऐसे नवयुवक तैयार करे जिन्हें भ्रष्ट न किया जा सके और जो हृदय से देश के हितचिन्तक हों, देश से गरीबी और भ्रष्टाचार को समूल खत्म कर देना है। हर पांच वर्ष के बाद हमारी जनसंख्या ६ से ७ करोड़ तक बढ़ जाती है। ३०,००० की प्रतिदिन वृद्धि हो जाती है। आप अनुमान करिये कि इसकी व्यवस्था करना कितना कठिन है। इस सम्बन्ध में लोगों में जागरूकता पैदा करना बड़ा जरूरी है। हमारी बेरोजगारी का सम्बन्ध भी हमारी बढ़ रही जनसंख्या से ही है। और यदि परिस्थिति ऐसी ही रही तो समाजवादी समाज की बात केवल स्वप्न ही रहेगी।

इस समय बड़ी समस्या यह है कि देश से गरीबी और भ्रष्टाचार को समाप्त किया जाये, देश में रोटी, कपड़ा और रोजगार की व्यवस्था की जाये। इसके लिये एकता और कड़े परिश्रम की आवश्यकता है। यदि हमने इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया तो योजना के लक्ष्य भी स्वयमेव ही प्राप्त हो जायेंगे।

†**श्रीमती सरोजिनी महिषी** (धारवाड़ उत्तर) : कल से माननीय सदस्य योजना के बारे में बहुत सी स्पष्ट बातें योजना मंत्री महोदय को सुना रहे हैं। परन्तु केवल बातों से काम नहीं चलेगा, हमें एक बात समझ लेनी चाहिये कि प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं की पृष्ठभूमि में ही तीसरी योजना को कार्यान्वित किया जायेगा। प्रथम योजना में पहले ५०० करोड़ की व्यवस्था थी, फिर ८०० करोड़ की हुई। यही बात दूसरी योजना में भी हुई। हो सकता है तीसरी योजना में भी हो। अभी हम नहीं कह सकते कि योजना की सफलता क्या होगी। अब तो हम केवल अनुमान ही लगा सकते हैं। मेरे विचार में तीसरी योजना के प्राक्कलनों के भी बढ़ जाने की सम्भावना है। मेरा निवेदन है कि योजना को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने के लिये इसके मार्ग में जो बाधायें हैं उन को दूर किया जाना चाहिये ताकि हम उसका लाभ उठा सकें।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मूल चन्द दुबे पीठासीन हुए]

और समस्याओं के अतिरिक्त जो सब से महत्वपूर्ण समस्या है वह देश की जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के कारण विकास कार्यों पर अधिकाधिक विनियोजन करना पड़ेगा। इस समस्या को तो हल किया ही जाना चाहिये। इसी प्रकार कृषि के बारे में बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा है। मेरा मत यह है कि इस दिशा में छोटी एवं बड़ी सिंचाई योजनाओं को ठीक ढंग से कार्यान्वित नहीं किया गया। जिस का परिणाम यह हुआ है कि बहुत सी भूमि बिल्कुल असिंचित रह गई है। मेरा अनुमान है कि देश भर में केवल ५ प्रतिशत भूमि की सिंचाई हुई है। यदि सभी योजनाओं को भी कार्यान्वित कर लिया जाये तो भी ८ प्रतिशत भूमि से अधिक सिंचाई नहीं हो पायेगी। अतः इस दिशा के लक्ष्यों को प्राप्त करना ही होगा। इस दिशा में ६ के स्थान पर अभी तक केवल १.६ प्रतिशत ही प्राप्त किया गया है। अतः योजना को ठीक ढंग से चलाने के लिये समुचित एवं कार्य कुशल संगठन होना बड़ा जरूरी है।

आज सारे देश में भ्रष्टाचार का रोग इसे अन्दर से खा रहा है। और यह सभी स्तरों पर है। इस को समाप्त करना बड़ा जरूरी है। एक बात हम को यह भी समझनी चाहिये कि विभिन्न परियोजनाओं की कार्यान्विति में जो देरी होती है उससे उत्पादन लागत तो बढ़ती ही है साथ साथ बाजार में कीमतें भी बढ़ जाती हैं, क्योंकि इस प्रकार की बहुत परियोजनायें सरकारी क्षेत्र में चलती हैं। सरकार को इस के ललिये सत्यनिष्ठ एवं कार्यकुशल प्रबन्ध की व्यवस्था करनी चाहिये। अपव्यय को जहां तक हो सके रोका जाना चाहिये। ऐसा होने पर ही हम आत्मनिर्भर अर्थ व्यवस्था की स्थापना की आशा कर सकते हैं।

श्रम तथा प्रबन्ध के सम्बन्धों के बारे में मैं यह कहना चाहती हूं कि कई बार देखने में आया है कि यहां जरूरत नहीं होती वहां पर लोग लगा दिये जाते हैं ऐसा नहीं होना चाहिये।

†**श्री मुथिया** (तिरुनेलवेली) : मैं तीसरी योजना के अन्तर्गत सरकार द्वारा प्राप्त की गई सफलताओं का उल्लेख करूंगा। एक बात तो स्पष्ट है कि थोड़े समय में विभिन्न कमियों के होते हुए हमारी अर्थ व्यवस्था के समस्त क्षेत्रों और विभिन्न दिशाओं में काफी प्रगति हुई है। हमें यह याद रखना चाहिये कि अमरीका को आज की स्थिति में आने तक १५० वर्ष लगे हैं। रूस को प्रथम स्तर शक्ति बनने में ४० वर्ष लगे हैं। परन्तु हमारा देश थोड़े ही अर्से में एशिया के देशों में सब से आगे हो गया है।

तीसरी योजना बहुत व्यापक है, यह ११,००० करोड़ की योजना है। इसके अन्तर्गत रखे गये लक्ष्य बहुत उच्च हैं। इस के उद्देश्यों, अर्थात् आत्मनिर्भर अर्थ व्यवस्था और सम्पत्ति के केन्द्रीयकरण को रोकने की प्राप्ति के लिये भरसक प्रयत्न कर रही है। योजना आयोग और सरकार इस के प्रति जागरूक है। यह ठीक है कि हमें बहुत अधिक विदेशी संसाधनों पर आश्रित रहना पड़ रहा है, परन्तु हम आन्तरिक साधनों को उपलब्ध करने के सम्बन्ध में पूर्णरूप से प्रयत्नशील हैं।

तीसरी योजना के अन्तर्गत सभी तरह के खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ा है परन्तु कपास के उत्पादन में कमी हुई है। आशा की जा रही है कि योजना के अन्त तक कृषि उत्पादन में हमारी आशा के अनुकल वृद्धि हो जायेगी। इसके लिये यह बड़ा जरूरी है कि अच्छे बीज, खेती के औजार और उर्वरकों की व्यवस्था की जानी चाहिये। उर्वरकों की चोर बाजारी भी रोकने का प्रयत्न होना

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मुथिया]

चाहिये । बिजली पैदा करने और उस के सम्भरण में भी प्रगति हुई है । हजारों एकड़ भूमि सिंचाई के अन्तर्गत ली गई है ।

तीसरी योजना के प्रथम वर्ष में औद्योगिक विकास की दिशा में भी काफी प्रगति हुई है । औद्योगिक उत्पादन ५ प्रतिशत बढ़ा है परन्तु कोयले की कमी अभी भी बनी हुई है । यह बड़ी खेद-जनक बात है । कोयले का उत्पादन बढ़ाया होगा । कोयला ले जाने, लाने के लिये १६६१-६२ में गाड़ियों की भी ८००० की वृद्धि कर दी गई है । आशा है कि यह समस्या हल हो जायेगी ।

पत्तन विकास के बारे में भी कोई विशेष प्रगति नहीं हुई । मेरा निवेदन है कि त्यूतीकोरिन पत्तन को एक बड़े पत्तन में विकसित किया जाना चाहिये । शिक्षा के क्षेत्र की प्रगति भी काफी महत्व-पूर्ण है । विद्यार्थियों की संख्या ४५ लाख अधिक हो गई है । स्कूल और कालिज खोले जा रहे हैं । गरीब विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां दी जा रही हैं । पिछड़े वर्गों के २४०० योग्य छात्रों को छात्रवृत्तियां दी गई हैं और ६१,००० छात्रवृत्तियां वैसे विद्यार्थियों को मिली हैं । देश में रोजगार के अधिक से अधिक अवसर पैदा करने की भी पूरी कोशिश हो रही है । हजारों देहाती लोगों का आय को बढ़ाने की आवश्यकता है ।

†**डा० मा० श्री अणे** (नागपुर) : श्री नाथ पाई अब यहां उपस्थित नहीं हैं, नहीं तो वे माननीय मंत्री के वक्तव्य को सुन कर संभवतः अपना प्रस्ताव वापस ले लेते ।

तीसरी पंचवर्षीय योजना केवल एक पंचवर्षीय योजना नहीं है क्योंकि उस में आगामी योजनाओं की भी पूर्व कल्पना अन्तर्निहित है और भारत पांचवीं योजना के अन्त के पूर्व आत्म-निर्भर अर्थव्यवस्था प्राप्त नहीं कर सकेगा । योजना की सफलता की वास्तविक कसौटी पर देखना है कि क्या हम इन लक्ष्यों पर अग्रसर हुए हैं । यदि हम उन की ओर अग्रसर हुए हैं कि इस का अर्थ यह है कि हम सही रास्ते पर हैं । इन सब योजनाओं का उद्देश्य यह है कि एक आत्म-निर्भर अर्थ-व्यवस्था पैदा की जा सके। प्राथमिकताएं ऐसे निर्धारित की जानी चाहियें कि दो, तीन या पांच वर्ष बाद यह मालूम किया जा सके कि हम कितने विषयों में आत्मनिर्भर हुए हैं। माननीय मंत्री के भाषण से यह मालूम नहीं होता ।

यह योजना केवल आर्थिक योजना ही नहीं है । इस में सामाजिक क्रान्ति का भी उल्लेख है । हमारी योजना समाजवादी ढांचे के समाज की स्थापना से भी सम्बद्ध है । उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये सम्पत्ति का केन्द्रीयकरण रोकना और असमानताओं को कम करना बहुत आवश्यक है ।

हम देखते हैं कि अब केन्द्रीय सरकार ने घाटे के आय व्ययक की नीति छोड़ दी है और ३० करोड़ रुपये का करारोपण किया गया है । इसके अतिरिक्त राज्य सरकारों पर भी उत्तरदायित्व डाला गया है कि वे भी योजनाओं की सफलता के लिये योग दें । इसलिये वे भी लोगों पर कर लगाते रहे हैं । किन्तु ये कर अप्रत्यक्ष कर होते हैं । इनकी भी एक सीमा होती है । लोगों की सन्तुष्टि प्राप्त करना आवश्यक है । लोगों के सहयोग के बिना योजना का कोई परिणाम नहीं निकलेगा । मैं सरकार से पूछना चाहूंगा कि क्या चौथी या पांचवीं योजना में यह प्रवृत्ति जारी रहेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री उ० मू० त्रिवेदी (मन्दसौर) : योजनाओं के बारे में अत्यधिक शोर मचाना आवश्यक नहीं है। सरकार को आयोजन का कुछ मोह सा हो गया है; वह आयोजन के हेतु ही आयोजन कर रही है। देश की प्रगति और समृद्धि विकास क्रम पर निर्भर है और यह नहीं कहा जा सकता कि वह आयोजन द्वारा प्राप्त की जा सकती है।

वर्तमान आयोजन से हमें यह भी नहीं ज्ञात होता कि हम कहां जा रहे हैं और हमने कौन कौन से लक्ष्य प्राप्त किये हैं। मुझे सन्देह है कि हमने कोई लक्ष्य प्राप्त किये भी हैं या नहीं सामुदायिक परियोजनाओं में हम क्या देख रहे हैं। क्या इन का उद्देश्य भ्रष्ट पदाधिकारियों के पापों को छुपाना है या सत्तारूढ़ दल के लिये चुनाव का प्रचार करना है ? क्या हमने कभी जनता का लेजों विज्ञान मन्दिरों आदि के योगदान की जांच की है ? मैं समझता हूं कि करोड़ों रुपयों का अपव्यय किया जा रहा है और हमें प्राप्त कुछ नहीं होता। हमें चाहिये कि हम वार्षिक आय-व्यय तैयार करें और पांच पांच साल के आय-व्ययक बनाना छोड़ दें।

कृषि की मद के बारे में, छोटी सिंचाई की परियोजनाएं उल्लेखनीय हैं किन्तु इनकी क्रियान्विति में बहुत अपव्यय हुआ है। राजस्थान का मुरलिया बांध इसका एक उदाहरण है।

भूमि संरक्षण, उर्वरकों और बीजों आदि के प्रश्न पर उचित ध्यान नहीं दिया गया। रेलवे लाइनों के साथ एक एसा पौधा उग रहा है जिससे चरने वाली घास नष्ट हो जाती है। क्या इस समस्या की ओर ध्यान दिया गया है। जो बीज किसानों के लिये होता है, वह बड़े बड़े पदाधिकारियों के घरों में पहुंच जाता है।

अपव्यय के साथ साथ लक्ष्यों के प्राप्त न होने का भी प्रश्न है। हमने कोई भी लक्ष्य प्राप्त नहीं किया। हमने शुरू से कहा है कि प्रत्यक तहसील और गांव में टलीफोन लग जायगा किन्तु आज तक कितनी नहसीलों में टलीफोन लग सका है।

रेलवे के कार्य को देखिये। गाड़ियों की रफ्तार कम हो गई है और राजस्थान रेलवे की रफ्तार कम होकर १८ मील हो गई है। कोयले के परिवहन के लिये जो डिब्बे बनाये गये हैं, वह अधिकतर खाली ही चलते हैं।

†श्री श० ना० चतुर्वेदी (फीरोजाबाद) : यदि हमने अर्थ व्यवस्था में आत्मनिर्भरता प्राप्त करनी है तो हमें योजना के लक्ष्य अवश्य प्राप्त करने पड़ेंगे। यदि हम लक्ष्य प्राप्त न कर सके, तो बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए यह स्वचालित अर्थव्यवस्था प्राप्त नहीं हो सकेगी। लक्ष्य न प्राप्त करने का एक कारण विदेशी मुद्रा की और आयात की कठिनाई है। किन्तु उन विषयों में हमें क्यों असफलता प्राप्त हुई है, जिन के बारे में हम दूसरों पर निर्भर नहीं हैं। उदाहरणतया कृषि में जो असफलता हुई है उसके क्या कारण हैं वास्तव में योजनाएं क्रियान्वित की अवस्था में असफल हो जाती हैं। हमें उस मशीनरी की तरफ ध्यान देना है, जिनके द्वारा वह क्रियान्वित की जाती है।

इस समय ईमानदार आदमी के लिये रोजी कमाना कठिन हो रहा है। चोर बाजारी करने वाले और भ्रष्टाचार करने वाले की चांदी है। यदि आप महान्लोबिस समिति के प्रतिवेदन को देखें तो मालूम होगा कि बहुत सी आय का पता नहीं लगाया जा सकता और इस पर कर भी नहीं दिया जाता। न ही वह समाज की भलाई के लिये प्रयोग की जाती है। हमारी सारी शक्तियां चुनावों में लगी रहती है जो कि विभिन्न प्रकार के हैं—जैसे संसद

†मूल अंग्रेजी में

[श्री श० ना० चतुर्वेद]

के चुनाव, पंचायतों, खण्ड विकास समितियों, जिला परिषदों के चुनाव आदि । इन चुनावों से देश की बहुत हानि हो रही है । उम्मेदवार सीमा से अधिक खर्च करते हैं । और जब ये निकाय बन जाते हैं, तो ये उत्तरदायित्व को नहीं सम्भालते या दूसरों पर डाल देते हैं ।

मेरे विचार में राज्य स्तर पर आयोजना बोर्ड की आवश्यकता नहीं है । योजना आयोग ने लक्ष्य निर्धारित कर दिये हैं । अब केवल उन्हें क्रियान्वित करने का प्रश्न है । इसके लिये प्रशासकीय अधिकारियों का उत्तरदाय बना देना चाहिये । प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार करना आवश्यक है ।

श्री द्वा० ना० तिवारी (गोपालगंज) : अध्यक्ष महोदय, मैं उन लोगों से सहमत नहीं हूं जो कहते हैं कि प्लान बहुत एम्बीशस है । ४४ करोड़ की आबादी में १० हजार करोड़ का प्लान एम्बीशस नहीं कहा जा सकता । अगर हम पर कैपीटा देखें तो पांच साल में प्रति व्यक्ति सवा २०० रुपए (सवा दो सौ) आता है । इसके मानी हुए कि एक साल में ४० या ४२ रुपए प्रति व्यक्ति और महीने में तीन चार रुपए प्रति व्यक्ति पड़ा । तो इस प्लान को एम्बीशस नहीं कहा जा सकता । हम लोग इससे कम नहीं कर सकते थे । यदि इससे कम करते तो देश में रिवोल्यूशन हो जाता, लोग सन्तुष्ट न होते और हमारी सारी व्यवस्था तितर बितर हो जाती । इसलिए मैं कहता हूं कि प्लान एम्बीशस नहीं है । लेकिन जो भी प्लान बनाया गया है उसका इम्पलीमेंटेशन कैसे हो रहा है यह आपको देखना है ।

हम यह नहीं कहते कि प्लान की रिपोर्ट में कुछ चेंज करने की जरूरत है । उसमें चेंज की गुंजाइश नहीं है । जो भी प्लान हमने बनाया है वह ठीक है, एक दो जगह गलतियां हैं । अरबन वायस है रूरल वाइस नहीं है । हलांकि रूरल पापुलेशन ८० परसेंट है और अरबन पापुलेशन २०परसेंट है, लेकिन फिर भी आप देखें कि आउट ले अरबन एरिया में ज्यादा हो रहा है या कि रूरल एरिया में ज्यादा हो रहा है । आप पायेंगे कि रूरल एरिया के मुकाबले में अरबन एरिया में ज्यादा इनवेस्टमेंट हो रहा है । हमारी गवर्नमेंट अरबन माइंडेड हो गयी है । हमारे मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं कि हम लोगों को गांवों की ओर अधिक ध्यान देना है लेकिन प्लान के अनुसार गांवों पर हमारा ध्यान कम है और शहरों पर ज्यादा ध्यान हो रहा है ।

दूसरी बात यह है कि इस प्लान में इण्डस्ट्रीज की तरफ बायस ज्यादा है और एग्रीकल्चर की तरफ बायस कम है । यदि हम एग्रीकल्चर द्वारा प्रति एकड़ दो मन उत्पादन बढ़ा दें तो हमारी नेशनल इनकम बहुत बढ़ जाएगी । लेकिन आज एग्रीकल्चर की हालत क्या है ? एग्रीकल्चर की हालत यह है कि उसके बारे में कोई स्टेटिस्टिक्स नहीं हैं, जो हैं भी वे इतनी फाल्टी हैं कि उन पर रिलाई नहीं किया जा सकता । शायद मिनिस्टर साहब को मालम नहीं कि ये आंकड़े कैसे तैयार किए जाते हैं । एक साहब गांव में जाते हैं और एक कट्ठा या उससे भी कम खेत काट कर देखते हैं कि कितना उत्पादन हुआ और उसका एवरेज बना लेते हैं । हो सकता है कि सेम्पिल उन्होंने लिया है वह अच्छा हो या खराब हो ।

दूसरी बात यह है कि एग्रीकल्चर में जो रुपया खर्च होता है वह केवल एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी पर अधिक खर्च हो रहा है । लोगों के यहां पहुंच जाता है ।

अभी हमारे सदन में आज एक बिल शुगरकेन कण्ट्रोल आर्डर के बारे में पास हुआ है । उसका वाएस क्या है ? उसका वायस यह है कि संरमायेदारों और मिल मालिकों को ज्यादा

पैसा दिलाया जाय। जब इस तरह की मिल मालिकों और सरमायदारों को ज्यादा पैसा देने की बात हो तो इस देश के आम लोगों का कैसे कल्याण कर सकते हैं? इसलिये जैसा मैंने पहले भी कहा है कि सरकार की इण्डस्ट्रियल वायस और अरबन वायस ज्यादा है, रूरल वायस बहुत कम है।

प्लान में एक, दो गलती हुई और वह गलती यह थी कि जो हम कर्ज लेते हैं, या ग्राण्ट्स लेते हैं दूसरे देशों से उनका ठीक से उपयोग करने और प्रौपर टाइम में उपयोग करने के वास्ते निश्चय नहीं किये रहते इसलिए बहुत से ग्राण्ट्स पड़े हुए हैं हालांकि हमको इंटरैस्ट उस वक्त से देना पड़ेगा जब से कि वह रुपया हमारे वास्ते इयरमार्क होता है। अब फौरेन कण्ट्रीज़ जो रुपया देती हैं उसका हमें ब्याज तो देना पड़ता है लेकिन उसका कुछ अंश हम पूरा उपयोग नहीं कर पाते हैं। हम देखते हैं कि १ हजार करोड़ से अधिक रुपया पड़ा हुआ है। अब उस रुपये को प्रौपरली एक टाइम लिमिट के अन्दर खर्च करना था ताकि हमारे ऊपर इंटरैस्ट का बर्डन अधिक न हो और हमें फायदा हो।

पब्लिक अण्डरटेकिंग में जो रुपया इनवैस्ट किया हुआ है उससे हमें क्या आमदनी रही है? कोई ७०० करोड़ रुपये का इनवैस्टमेंट है, क्या उससे १० करोड़ रुपये की भी आमदनी साल में होती है? शायद १ या $^1/_2$ परसेंट आमदनी होती है। लोहे और सीमेंट में जो हमने इनवैस्टमेंट किया है वहां हमें रिटर्न मिलता है या नहीं इसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है।

अब हैल्थ डिपार्टमेंट को ही ले लीजिये। हैल्थ डिपार्टमेंट की क्या प्लानिंग है? आज हमारे देश में सैकड़ों अस्पताल बिना डाक्टर्स के पड़े हुए हैं। वहां पर डाक्टर्स नहीं हैं जो कि मरीजों का इलाज कर सकें और दवा वगैरह दे सकें। एक तरफ तो हालत यह है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारे हजारों आयुर्वेदिक ग्रेजुएट्स बेकार बैठे हैं और उन को नौकरी नहीं मिलती है। उन बेकार आयुर्वेदिक ग्रेजुएट्स को थोड़ी ट्रेनिंग देकर उन अस्पतालों में भेजा जा सकता है लेकिन यह होता नहीं है। अस्पतालों में यह बहुत जरूरी है कि होशियार और ट्रेंड डाक्टर्स रक्खे जायें ताकि वह सही ढंग से मरीजों का इलाज कर सकें। स्पूरियस मैडिसिंस बनती हैं लेकिन जितना उन पर ध्यान देना चाहिए उतना ध्यान नहीं दिया जाता है। अब प्लानिंग तो ठीक है लेकिन उसका एक्सक्यूशन ठीक से नहीं होता है। एक्सीक्यूशन के बारे में एक, दो उदाहरण दूंगा।

हमारे यहां ब्लाक डेवलपमेंट कमेटीज हैं लेकिन हम यह जानने का प्रयत्न नहीं करते कि जिनके लिए यह ब्लाक डेवलपमेंट कमेटीज़ हैं उनकी इनके बारे में क्या राय है और वह इस बारे में क्या कह रहे हैं? यह देखना चाहिए कि जिनके फायदे के लिए हम कोई काम कर रहे हैं उनको इससे क्या फायदा हो रहा है? उनकी इस बारे में ओपीनियन क्या है यह हमें जानना चाहिए। जैसा कि अंग्रेजों के टाईम में हम कहते थे कि एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी बड़ी खर्चीली है और वह सफेद हाथी है, आज भी हालत वही है और उसमें कोई तबदीली नहीं आई है। प्रशासन बड़ा खर्चीला हो गया है। काफी रुपया वह खा जाता है लेकिन लोगों को उस अनुपात से फायदा नहीं हो रहा है। और ४० ५० परसेंट वेस्ट हो जाता है। गांव के लोग इन ब्लाक डेवलपमेंट कमेटीज़ में जाते हैं तो उनकी बातें नहीं सुनी जाती हैं। उनको कैसे फायदा पहुंचेगा। प्लानिंग वगैरह सब ठीक है लेकिन एक्सी-

[श्री द्वा० ना० तिवारी]

क्यूशन स्टेज में आकर हम फेल हो जाते हैं। इस वास्ते प्लानिंग मिनिस्टर और दूसरे मिनिस्टर्स को यह देखना चाहिए कि प्लान्स पर ठीक से अमल हो रहा है या नहीं और ठीक से उन पर काम हो सके। इसके लिये उन्हें सक्रिय कदम उठाने चाहिएं।

एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट में हम देखते हैं कि ऊपर के सैट अप पर अधिक रुपया खर्च होता है। यही हालत हैल्थ डिपार्टमेंट की भी है और अन्य जगहों में भी आप यही चीज पायेंगे। नीचे के लेविल पर जहां कि प्लान्स को अमल में लाना होता है जिनको ऐक्चुअली इम्पलीमेंट करना होता है वहां ध्यान नहीं जाता है। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट द्वारा सड़कें बनती हैं। एक लाख रुपया एक मील सड़क के निर्माण पर खर्च होता है लेकिन ऐक्चुअली उसका पचास परसेंट भी खर्च नहीं होता है। परिणाम यह होता है कि सड़कें जो बनती हैं वह दो वर्ष के बाद खराब हो जाती हैं। इसका उपाय क्या है? जैसा मेरे एक दोस्त ने कहा कि टार्गेट फुलफिल अगर न हो सकें तो उसकी कोई शिकायत नहीं है, चलो ५, १० परसेंट टार्गेट फुलफिल होने में कमी रह गई लेकिन यह देखने की बहुत जरुरत है कि जो भी काम किये गये हैं वे ठीक तरह से किये गये हैं कि नहीं। उनको प्रौपरली एक्जीक्यूट किया गया है या नहीं? समय आ गया है जब सरकार को इस बारे में विशेष सतर्कता बरतनी होगी।

अध्यक्ष महोदय, मुझे पूरा विश्वास है कि दो पंचवर्षीय योजनाओं पर हमने जितना रुपया खर्च किया और तीसरे प्लान पर भी हमने जितना रुपया खर्च करने जा रहे हैं, अगर ईमानदारी से यह रुपया खर्च किया गया होता और खर्च किया जाय तो हिन्दुस्तान का आज दूसरा ही नक्शा होता। आज जैसा नक्शा हमारे सामने नहीं होता बिलकुल बदला हुआ नक्शा होता। आज वह बदला हुआ नक्शा न पाने के कारण यह है कि हम छोटी बातों में छोटी मोटी बातों में उलझे रहते हैं और इस एक्सक्यूशन की ओर हमारा ध्यान नहीं जाता।

प्रशासन में भ्रष्टाचार है इससे कोई इंकार नहीं कर सकता। लेकिन मैं यह नहीं कहता कि सभी अफसर बेईमान और करप्ट हैं लेकिन अधिकतर लोग उन में से ऐसे हैं जिनको ईमानदारी पर मुझे शक है। अब इस तरफ अगर मंत्री महोदय अधिक ध्यान दें तो हमारा काम अधिक अच्छा हो सकता है और लोगों को हम अधिक फायदा पहुंचा सकते हैं।

श्री शिवमूर्त्ति स्वामी (कोप्पल): अध्यक्ष महोदय, में बहुत सक्षेप में अपने प्रदेश में जो डेवलपमेंट के काम होने जा रहे हैं उन के बारे में कुछ बतलाना चाहता हूं। तुंगभद्रा डैम जिसका कि उद्घाटन माननीय प्रधान मंत्री जी ने किया था हालांकि उसको ६, ७ साल हो चुके हैं लेकिन अभी तक खेतों को पानी नहीं पहुंचा है। ८ लाख एकड़ जमीन को उसके जरिये पानी देने की योजमना थी लेकिन अभी तक उसका एक चौथाई भाग भी पूरा नहीं हो पाया है। डैम तैयार होने के बाद नहरें नहीं और नहरें तैयार होने के बाद फील्ड चैनल्स नहीं। अब पानी तो देते नहीं हैं लेकिन चूंकि खेत के पास से पानी जाता है तो उस पर किसानों से डेवलपमेंट टैक्स वसूल करना यह चीज मेरी समझ में नहीं आती है।

अब चूंकि वहां पर गन्ना पैदा होता है इसलिए शुगरकेन इण्डस्ट्री को डेवलप करना आवश्यक हो जाता है। अब में आपको बतलाऊं कि जहां पर यह डैम बनाया जाता है वहां पर शुगरकेन इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए रात दिन हम सब लोगों ने साल भर तक मेहनत करके शुगर इंडस्ट्री को सहकारी आधार पर चलाने के लिए रायचूर और बीदर में ६, ८ लाख रुपया जमा किया है। बीदर जिले में किसानों ने अपनी जमीनों को सोसाइटी में गिरवी कर के यह ६ लाख ६७ हजार रुपया बैंक

में जमा कराया लेकिन इतना करने पर भी ५, ६ साल होने को आये कोशिश करने पर भी अभी तक उनको लाइसेंस नहीं मिल पाया है। आपको लाइसेंस देने के लिए वक्त नहीं मिलता है। उन लोगों ने लाखों रुपया बैंक में जमा करा लेकिन इंडस्ट्री को सहकारी आधार पर शुरु करने के लिए लाइसेंस नहीं मिल रहा है। ये बेचारे इधर से उधर मारे मारे फिर रहे हैं। उनके डेलीगेशन पर डेलीगेशन दिल्ली आते हैं लेकिन अफसोस का विषय है कि उनकी कोआपरेटिव सोसाइटी को लाइसेंस नहीं दिया जाता है। मैं क्या इस सदन के जरिये सरकार से पूछ सकता हूं कि क्या इसी तरह से आप इस देश में समाजवाद लाना चाहते हैं? क्या मैं सरकार से पूछ सकता हूं कि समाजवाद कोआपरेटिव कंसर्न को लाइसेंस देने से होगा या किसी एक व्यक्ति अथवा किसी एक पूंजीपति या सरमायेदार को लाइसेंस देने से कायम होगा? आखिर उसमें क्या कमी है जिसकी वजह से आप उनको इनकरेजमेंट नहीं दे रहे हैं? अभी भी दिल्ली में बीदर से डेलीगेशन आया है, वह इधर से उधर भटक रहा है उसको आप इनकरेजमेंट दीजिये। आम जनता जब एक उत्साह मन में लेकर इस तरह से सहकारी आधार पर काम करने को आगे बढ़ रही है तब आपका फर्ज हो जाता है कि उसको प्रोत्साहन दें। वह रजिस्टर्डशुदा सोसाइटी है और गवर्नमेंट की जो भी शर्तें हैं उनको वह पूरा करने के लिए बिल्कुल तैयार है तब मेरी समझ में नहीं आता है कि क्यों उसको इस तरह से परेशान किया जा रहा है? आज-कल क्या क्या बातें हो रही हैं, उन बातों को छोड़ दीजिये, लेकिन लोगों में जो अविश्वास और निराशा की भावना पैदा हो रही है, उस की तरफ ध्यान देकर देश में डेवलपमेंट के लिये काम किया जाना चाहिए।

"सैंट्रल बजट इन ब्रीफ़, १९६२–६३" नाम की पुस्तिका में बताया गया है कि नेशन-बिल्डिंग, इकानोमिक एंड सोशल सर्विसिज़ से सम्बन्धित तमाम डिपार्टमेंट्स में सिर्फ़ ३५९.४ करोड़ रुपये ख़र्च हो रहे हैं। मिनिस्ट्री आफ़ फ़िनांस ने जिस क्लीयर तरीके से बजट और फ़ाइव ईअर प्लान के बारे में आंकड़े इस पुस्तिका में दिये हैं, उस के लिए वह धन्यवाद की पात्र है। इस में जिन नेशन-बिल्डिंग, इकानोमिक एंड सोशल सर्विसिज का ज़िक्र किया गया है, वे इस प्रकार हैं :—

> "वन, पत्तन, वाचिकापोत, प्रकाशपोत, वैज्ञानिक विभाग, शिक्षा, चिकित्सा, जनस्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, सहकारिता, उद्योग, उड्डयन, प्रसारण, श्रम और रोज़गार, सामुदायिक विकास, बहु प्रयोजनीय नदी योजनाएं, बिजली, समाजसेवा, संगठनों को अनुदान, पिछड़ी हुई श्रेणियों का कल्याण, कमी वाले क्षेत्रों के लिए सहायता, विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास इत्यादि"

इस से ज़ाहिर होता है कि १४८०.३ करोड़ रुपए में से सिर्फ ३५९.४ करोड़ रुपए याना सिर्फ २४ फीसदी नेशन बिल्डिंग, इकानोमिक एंड सोशल सर्विसिज़ पर खर्च करने का विचार प्रकट किया गया है। अगर सरकार इन कामों के लिए बजट का पचास फीसदी भी रिज़र्व नहीं करती है, तो मेरी समझ में नहीं आता कि हमारी प्लानिंग के टारगेट्स किस तरह से और कब तक पूरे होंगे।

†**योजना तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री नन्दा)** : मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने चर्चा में भाग लेकर योजना की सफलता के लिए शुभ-इच्छाएं प्रकट की हैं। बहुत से रचनात्मक सुझाव किये गये हैं। मैं जो कुछ कहूंगा उसका उद्देश्य यह नहीं होगा कि योजना की

†मूल अंग्रेजी में

त्रुटियों को कम बतलाया जा सके, बल्कि यह होगा कि इस को अधिक अच्छी तरह स्पष्ट किया जा सके

श्री ढेबर ने कहा है कि यदि योजना के पांच प्रतिशत आय भी हो सके, तो भी देश को आवश्यकताओं के लिए पूरी नहीं होगी और देश के करोड़ों गरीब लोगों की आवश्यकताएं इस प्रकार की योजनाओं से पूरी नहीं हो सकेंगी। उन्होंने पूछा था कि यह ६ या ७ प्रतिशत क्यों नहीं होना चाहिये। उनके विचार में इस से कम दर से देश के प्रजातंत्रात्मक ढांचे को नुकसान पहुंचेगा। मैं सिद्धान्त रूप से उन से सहमत हूं। किन्तु कुछ बाधाएं हैं, जिन्हें हम पार करने की कोशिश करेंगे।

दूसरा दृष्टिकोण यह था कि हमें लक्ष्य उस स्तर तक निर्धारित करने चाहियें, जो कि प्राप्त हो सकें। सुझाव दिया गया है कि योजना को आवश्यक प्राथमिकताओं के आधार पर घटा दिया जाये। मेरे विचार में यह दृष्टिकोण गलत है। योजना बनाते समय हमें यह ध्यान रखना है कि लक्ष्य उन स्तरों तक निश्चित किये जायें जो कि राष्ट्र की शान के योग्य हों, अर्थात् हम सब लोग मिल कर प्रयत्न करें। दूसरे शब्दों में लक्ष्य ऐसे हों जो कि प्राप्त किये जा सकें। हम ने यही तरीका अपनाया है।

मुझे यह कहने में कोई लज्जा नहीं है कि हमें कहीं कहीं असफलताएं हुई हैं और हम ने गलतियां भी की हैं। मैं यह कहूंगा कि ऐसी गलतियां फिर नहीं की जायेंगी और हम अपना पूरा प्रयत्न करेंगे। योजना बनाने में हमने यही दृष्टिकोण अपनाया है।

कुछ सदस्यों ने, जिन में श्री उ० मू० त्रिवेदी भी हैं, यह कहा है कि आयोजन होना ही नहीं चाहिये। किन्तु मैं समझता हूं कि हमारी योजना से कोई खतरा पैदा होने वाला नहीं है। लोग आयोजन के महत्व को समझने लगें हैं और पहले जहां आयोजन नहीं था, अब वहां होने लगा है। ब्रिटेन में आयोजन की आवश्यकता को अधिकाधिक अनुभव किया जा रहा है, जहां भी वे तेज़ी से उन्नति करना चाहते हैं। कुछ अन्य देशों में भी, चाहे वे इसे आयोजन न कहें, कुछ न कुछ आयोजन हो रहा है, क्योंकि इस से बचा नहीं जा सकता।

इस योजना के दो पहलू हैं। एक है भौतिक कार्यक्रम और इसके लिये हम ने देश से होने वाली आय की कुछ वित्तीय सीमा निर्धारित की है और साथ ही विदेशों से मिलने वाली सहायता की सीमा भी निर्धारित की है। योजना में कोई कठिनाई होगी कोई सवाल नहीं है। देश की प्रगति एवं आर्थिक गतिजिधियों पर प्रभाव डालने वाली सभी बातों को देखते हुए मैं कह सकता हूं कि योजना की सफल क्रियान्विति में कोई सन्देह की बात नहीं है।

इस योजना पर ७५०० करोड़ रुपये व्यय होंगे जिसमें से सरकारी क्षेत्र पर ६३०० करोड़ रुपये और गैर सरकारी क्षेत्र पर ३१०० करोड़ रुपये व्यय होंगे। देश से भी काफ़ी सहायता मिलेगी। अतिरिक्त करों के द्वारा केन्द्र को ७८.२ प्रतिशत आय होगी जब कि राज्यों को ६०.६ प्रतिशत आय होगी। कुल मिला कर यह आय ७१.९ बन जायेगी। अब तक जो काम किया गया है उससे योजना के सफल होने की बहुत आशा है।

विरोधी सदस्य ने देश की उत्पादक आस्तियों को लेने का सुझाव दिया है लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि इस से बहुत सहायता नहीं मिलेगी। हमारी प्रगति में जो वस्तु सहायक हो उसे लेने में कोई आपत्ति नहीं है लेकिन, अनावश्यक वस्तुओं के लेने से कोई लाभ नहीं है।

जहां तक विदेशी सहायता की बात है बहुत कुछ हमारी आवश्यकताएं तो पूरी हो गई हैं और शेष की पूर्ति में कोई कठिनाई नहीं होगी। कुछ लोगों का कहना है कि विदेशी सहायता के बारे में

हम यह तय नहीं करते कि हमें कहां से लेना चाहिये और साथ ही हम उसे व्यय करने में सावधानी से काम नहीं लेते। लेकिन यह कहना गलत है क्योंकि उसे उपयोग में लाने में हम बहुत सावधानी से काम लेते हैं। अब सवाल यह है कि क्या हम उस धन को आरम्भ की वस्तुओं पर व्यय करते हैं जिनकी कि हमें कोई आवश्यकता नहीं है। यह बात ठीक है कि विदेशी सहायता की मात्रा हर योजना में बढ़ी है। लेकिन यदि आप इसकी उपयोगिता पर दृष्टि डालें तो आपको पता चल जायेगा कि हम ने इस राशि में से पहली योजना में १६ प्रतिशत, दूसरी में ३० प्रतिशत और तीसरी योजना में ३५ प्रतिशत राशि औद्योगिक संस्थाओं पर व्यय की है। यही कारण है कि विदेशी सहायता में वृद्धि हुई है। अब सवाल इस विदेशी राशि को वापस करने का है। यहां भी वही सिद्धान्त लागू होता है जो कि एक व्यापारी करता है। वह बैंक से कुछ रुपया लेता है और ब्याज देकर अपना काम चलाता है। वैसा ही हम भी करेंगे।

यदि हम सहायता न लें तो क्या करें। हमें इस्पात की आवश्यकता है तो क्या हम इस्पात का आयात करते रहें। लेकिन हम ने ऐसी व्यवस्था की है शुरु में तो अवश्य ही कुछ अधिक रुपया लगेगा लेकिन बाद में चल कर हम अपने यहां ही इस्पात तैयार करने लगेंगे। यही बात उन सभी वस्तुओं के साथ लागू होती है जिनके संयंत्र हम विदेशी सहायता से बना रहे हैं। अतः जब तक हम व्यापक नीति नहीं अपनायेंगे तब तक हम विशेष उन्नति नहीं कर सकेंगे। इस कारण विदेशी सहायता का विरोध इस समय करना उपयुक्त नहीं है। बल्कि मैं तो इस पक्ष में हूं कि हमें अधिक से अधिक सहायता मिले। क्योंकि हमारा उद्देश्य विदेशी सहायता से यथासंभव जल्दी छुटकारा पाना है। और वह तभी सम्भव है जबकि हम अपने यहां, अपने देश में बड़ी बड़ी वस्तुएं बनाने लगें। तभी हम विदेशी सहायता से छुटकारा पा सकेंगे। हमारा उद्देश्य तो यह है कि अब तो हम अधिक से अधिक विदेशी सहायता ले लें लेकिन बाद में चलकर उसे जल्दी ही वापस कर दें। इसी में हमारा कल्याण है।

विदेशी विनिमय सम्बन्धी हमारी स्थिति के बारे में भारी चिन्ता व्यक्त की गई है। यह एक ऐसी समस्या है जो निरन्तर चलती रहेगी। लेकिन फिर भी मैं यह बताना चाहूंगा कि हमारी इस स्थिति में कुछ सुधार हो रहा है। फिर भी इसका समाधान करने के लिये हम बराबर प्रयत्नशील रहते हैं।

जहां तक विश्व के व्यापार में भारत की स्थिति की बात है। हम कह सकते हैं कि भारत का भाग १९५५ में यदि १.५ प्रतिशत था तो १९६० और १९६१ में यह घट कर १.२ प्रतिशत रह गया है। इस स्थिति में सुधार करने के लिये हम प्रयत्नशील हैं। इस व्यापार में कमी का कारण यह है कि अविकसित देशों के सामने बहुत सी कठिनाइयां हैं और भारत भी एक अविकसित देश है। यही कारण है कि विकसित देशों का निर्यात १९५५-६१ के दौरान में ५० प्रतिशत बढ़ा जब कि अविकसित देश का निर्यात केवल १६ प्रतिशत बढ़ा। अविकसित देशों के व्यापार के प्रति विकसित देशों का रवैया कुछ बदल रहा है। इससे आशा है कि भारत की स्थिति में भी कुछ सुधार होगा। पूर्वी यूरोपीय देशों के साथ हमारा व्यापार बढ़ रहा है। और देशों के साथ व्यापार घट रहा है। १९५४ से पूर्वी यूरोपीय देशों से आयात भी बड़ा है और वह ६ करोड़ से बढ़ कर ८१ करोड़ हो गया है इसी प्रकार निर्यात भी ५ करोड़ से बढ़ कर ६४ करोड़ हो गया है। आयात में जो बढ़त हुई है वह योजना के कारण हुई है। पश्चिमी यूरोपीय देशों से व्यापार इतना नहीं बढ़ा है। हम अपने निर्यात हर दिशा में तथा अपनी पूरी से पूरी क्षमता के आधार पर बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं।

यह बात स्पष्ट है कि कृषि के बाद हम निर्यात को अधिक महत्व दे रहे हैं । आगामी वर्षों में भी इसकी महत्ता बनी रहेगी । तीसरी योजना के प्रारूप तैयार होने और उसको अन्तिम रुप देने की अवधि के दौरान में भी हम ने निर्यात का कोटा ३४५० से बढ़ाकर ३७००–३८०० करोड़ रुपये कर दिया है । इस प्रकार हमारी वार्षिक औसतन आय २०० करोड़ रुपये और तीसरी योजना के दौरान में औसत वार्षिक नियता १५० करोड़ रुपये का होगा । इस रफ्तार से हम चौथी योजना के अन्त तक वर्तमान निर्यात का दुगना हो जायेगा । और यह एक बहुत बड़ी बात है ।

इस सिलसिले में हमारे सामने कुछ कठिनाइयां आयेंगी । और वे कठिनाइयां हर वस्तु तथा विभिन्न देशों के साथ अलग अलग ढंग की होंगी । अन्तर्राष्ट्रीय प्रगति भी हमारे सामने कुछ सीमाएं उपस्थित करती हैं । इसके कारण हमारे प्रयत्न भी अधिक होंगे । इसका मतलब यह नहीं है कि स्वतः ही कुछ बात हमारे पक्ष में होगी अथवा हम निराश हों ।

कुछ दूरदर्शी निर्णय भी सरकार द्वारा लिये गये हैं और हम उनको बड़ी तेजी से क्रियान्वित भी कर रहे हैं । एक वर्ष की निर्यात योजना काफ़ी विस्तृत है और प्रति वस्तु के हिसाब से उसके बारे में विचार किया जा रहा है । विदेश स्थित हमारी व्यापारिक वाणिज्यिक सेवाएं भी दृढ़ की जा रही है । और भी कुछ अतिरिक्त कार्यवाही की जा रही हैं । औद्योगिक संस्थाओं से कहा गया है कि वे निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का वार्षिक ब्यौरा बनायें और बतायें कि वे इस वर्ष कितना निर्यात करेंगी ।

सीमेंट, जूट, बाइसिकल, बिजली की मोटर, ट्रांसफोर्मर तथा रेयन की लागत मूल्य घटाने के बारे में भी विचार किया जा रहा है ताकि उनका निर्यात हो सके । सात उद्योगों जैसे चीनी, कपास वनस्पति तेल आदि के मूल्य घटाने के बारे में भी विचार किया जा रहा है । इसी तरह कुछ और उद्योगों के बारे में भी मूल्य कम करने के प्रश्न पर विचार हो रहा है । तथा उद्योगों एवं व्यापारियों के सहयोग से यह कार्य किया जायेगा । प्रत्येक उद्योग के भावी आर्थिक विकास के लिये ये प्रयत्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं । सरकार को इसके लिये औद्योगिक नेताओं, प्रबन्धकों, श्रमिकों एवं टेक्नीशियनों के सहयोग की आवश्यकता होगी ।

अधिक बीजक दिखाने की प्रवृत्ति के बारे में कहा गया है और बताया है कि यह कुप्रथा काफी तेज़ी से बढ़ रही है । यही बात कम बीजक बनाने के बारे में भी है । मैं मानता हूं कि यह स्थिति है । यदि इसकी वास्तविकता का पता होता तो इसे रोकने का पूरा पूरा प्रयत्न किया जाता । यह ठीक है कि जब कभी एसी कोई बात सामने आयेगी तो निश्चय ही कठोर दंड दिया जायेगा । कम बीजक बनाना निश्चय ही देशहित के विरुद्ध है । एक जघन्य अपराध है ।

नौवहन के बारे में भी चिन्ता प्रकट की गई है । हिन्दुस्तान शिपयार्ड, ड्राई डोक के निर्माण तथा विशाखापत्तन शिपयार्ड के बन जाने से हम प्रति वर्ष ५०,००० से ६०,००० टन डी० डब्ल्यू० टी० के जहाज बनाने लगेंगे । दूसरा शिपयार्ड कोचीन में बनने वाला है । शिपयार्ड बनाने का काम सभी देशों में होता है और एक लम्बा काम है तथा इस में काफी समय लगता है ।

शिपयार्ड बनाने की योजना है लेकिन सवाल विदेशी विनिमय का है । यह बात सच है कि भारत से विदेशों को जो व्यापार होता है उसका केवल ९ से १० प्रतिशत व्यापार ही हम अपने जहाजों द्वारा कर पाते हैं । लेकिन मैं यह बताना चाहूंगा कि गत दस वर्षों में अपने जहाज़ों द्वारा व्यापार करने की मात्रा में तिगुनी वृद्धि हुई है । शुरु में यह ३.६ प्रतिशत था जो अब बढ़ कर

६.०५ प्रतिशत हो गया है । तीसरी योजना में ३.७५ लाख टन जी० ग्रार० टी० का व्यापार करने की योजना है । योजना के पहले दो वर्षों में इन टनों की मात्रा एकत्रित करने का कार्यक्रम है । हमने यह भी प्रयत्न किया है यह लक्ष्य बढ़ कर ५.५ लाख टन जी० ग्रार० टी० हो जाये । पिछले कुछ वर्षों में नौवहन विकास की सहायता के लिये प्रयत्न किये गये हैं । उल्लेखनीय बात नौवहन विकास निधि की स्थापना है जो व्याज की घटी दर पर ऋण देगी । कुछ समय हुग्रा तब एक नौवहन समन्वय समिति की भी स्थापना की गई है जो भारतीय नौवहन टन भार के ग्रधिक से ग्रधिक उपयोग के लिये प्रयत्न कर रही है ।

किसी वर्ग विशेष को ग्रधिक ग्रनुज्ञप्तियां देने का उल्लेख किया गया है । ग्रनुज्ञप्तियां देने से उन गैर सरकारी क्षेत्रों को विदेशों से बातचीत करने ग्रौर सहायता पाने का ग्रधिकार मिल जाता है । तीसरी योजना में गैर सरकारी क्षेत्र के लिये ४५० करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा निर्धारित की गई थी जिसमें से मई १९६२ तक २०७ करोड़ रुपये की मुद्रा के लिये स्वीकृति दी गई है । यह राशि विभिन्न उद्योगों में बांटी हुई है । इन उद्योगों में भारी रासायनिक, सीमेंट, कागज़, ग्रौषधि, प्लास्टिक, ग्रोटोमोबाइल ग्रादि हैं । काफ़ी सोच विचार के बाद १६ उद्योगों की सूची तैयार की गई है जिन्हें भविष्य में ग्रनुज्ञप्तियां देने में प्राथमिकता दी जायेगी । इन उद्योगों में ग्रलाय, विशेष इस्पात ग्रौजार, स्टील कास्टिंग ग्रादि ग्राती हैं । इस प्रकार लगभग २ वर्षों में गैर सरकारी क्षेत्र विदेशी मुद्रा से, जो कि तीसरी योजना में उसके लिये निर्धारित की गई है, करीब करीब समाप्त कर लेगा ।

जिन उद्योगों को प्राथमिकता दी जाने वाली है वे सभी ग्रौद्योगिक संकल्प के ग्रन्तर्गत ग्रा जाते हैं । साथ ही उस स्थिति का भी निरीक्षण किया जा रहा है, ग्रर्थात् जिनको ग्रनुज्ञप्तियां दी गई हैं ग्रौर उन्होंने ग्रभी तक कार्य शुरु नहीं किया है ताकि वे भी प्राथमिकता दिये जाने वाले उद्योगों के बराबर ग्रा सकें ।

इन सब बातों का उल्लेख करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि तीसरी योजना में जो कुछ राशि निर्धारित की गई है उस में कोई कमी नहीं होगी ग्रौर हर प्रयत्न यह होगा कि यह योजना सफलता की ग्रोर बढ़े । वह बात दूसरी है कि योजना के विषय बदल जायें । यह हो सकता है कि शुरु में हम ने जो बातें निर्धारित की हैं ग्रागे चलकर भविष्य में उनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन हो जाये । कुछ हेर फेर होने की बड़ी संभावना रहती है क्योंकि स्थिति बदलती रहती है ग्रौर कभी कभी बहुत ही ग्रावश्यक बातें ग्रा जाती हैं जिनका पूरा करना जरूरी हो जाता है । विद्युत् एवं परिवहन के लिये हम ने पहले से ही काफ़ी व्यवस्था कर दी है । कुछ चीज़ों को थोड़े दिन के लिये रोका जा सकता है ग्रौर कुछ को तेज़ी से बढ़ाया जा सकता है । लेकिन फिर भी हमारा उद्देश्य योजना के तथ्यों की पूर्ति करना है इसमें कोई संन्देह की बात नहीं है । जो लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं उनको पूरा करना हमारा पुनीत कर्तव्य है ग्रौर हम उसके लिये प्रयत्न कर रहे हैं तथा ग्राशा करते हैं कि वह शीघ्र हो भी जायेगा । यह ठीक है कि उन लक्ष्यों की पूर्ति के लिये हमें ग्रधिक धन की भी ग्रावश्यकता हो ।

श्री ढेबर ने कहा है कि लगभग ३० प्रतिशत लोगों की स्थिति में इस योजना में ग्रौर सम्भवतः ग्रागामी योजना में भी कोई सुधार नहीं होगा । मैं कहना चाहूंगा कि ग्रागे चलकर उनकी स्थिति में काफ़ी सुधार होगा संभवतः यह ग्रवधि कुछ ग्रधिक हो ग्रौर यह भी हो सकता है कि इस रास्ते में कुछ खतरे भी उत्पन्न हों । फिर भी हम लोगों की ग्रावश्यकताग्रों को ग्रधिक से ग्रधिक पूरा करने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

[श्री नन्दा]

विभिन्नता और आर्थिक एकीकरण के बारे में भी चिन्ता प्रकट की गयी है। इस सम्बन्ध में हमें महालनोबिस समिति के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा करनी होगी। यह प्रतिवेदन बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और इस सम्बन्ध में काफी मसाला हमें मिलेगा जिसके आधार पर हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। अब हमारे सामने प्रश्न यह है कि हम इस बारे में क्या कर सकते हैं। जब तक प्रतिवेदन हमें नहीं मिल जाता तब तक इस विभिन्नता और आर्थिक एकीकरण को रोकने के लिये क्या कर सकते हैं ?

मैं प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् ही अपना निर्णय करूंगा, तथापि सम्पत्ति के केन्द्रीकरण और विषमताओं के संबंध में प्रतिवेदन में भले ही कुछ भी कहा गया हो तथापि उनके संबंध में कुछ न कुछ किया जायेगा।

समाजवादी ढांचे के समाज को ध्यान में रखते हुए हमें दो बातें करनी होंगी। पहिला प्रगति की रफ्तार तेज करना। केवल वितरण व्यवस्था में सुधार करने से अधिक लाभ नहीं होगा। हमें पहिले उत्पादन में वद्धि करनी चाहिये तथापि केवल सम्पत्ति की वृद्धि से गरीबों को कुछ नहीं मिलेगा। अतः हमें इस संबंध में विशेष कदम उठाने पड़ेंगे। हमें ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे जिससे गरीब व्यक्तियों को अपने पैरों पर खड़े होने में सहायता मिले और वे देश की प्रगति में अंशदान दे सकें।

अब मैं एक अन्य पहलू लेता हूं जिसका हमसे घनिष्ट संबंध है। यह है कीमतों की वृद्धि गरीब व्यक्तियों पर ही कीमतों की वृद्धि का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। मैं स्वयं इस संबंध में चिन्तित हूं, १९६१—६२ में कीमतों में ३.६ प्रतिशत की कमी हुई। तथापि पिछले तीन या चार महीनों में कीमतों में वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई दे रही है। संभव है मौसम की खराबी के कारण ऐसा हो। तथापि यदि कीमतें इसी प्रकार से बढ़ती रहीं तो क्या होगा। मैं इस विषय पर जितनी भी जानकारी हमें मिल सकी है, उसके आधार पर एक वक्तव्य दूंगा। हम इस समस्या पर विचार कर रहे हैं कि कीमतों की वृद्धि रोकने के लिये क्या प्रभावशाली कदम उठाये जा सकते हैं।

चर्चा के दौरान कई सदस्यों ने कीमतों का प्रश्न उठाया है। तीसरी पंचवर्षीय योजना में मूल्य संबंधी नीति के चार लक्ष्य हैं। पहिला, तीसरी योजना के दौरान कीमतें बढ़ाने वाली स्थितियों में वृद्धि न हो। दूसरे, अनिवार्य वस्तुओं की कीमतों की वृद्धि रोकी जाये। तीसरे, मूल्यों का उतार चढ़ाव योजना में उल्लिखित लक्ष्यों के अनुरूप हो। चौथे, कृषकों को उसके उत्पादन के लिये उचित मूल्यों का आश्वासन दिया जाये।

मूल्य नीति के कई पहलू हैं। यथा वित्तीय और आर्थिक नीति; वस्तुओं की सट्टेबाजी पर रोक लगाना, विनियमित बनाना, राज्य व्यापार, सहकारी विक्रय और वितरण। मूल्य संबंधी नीति के कई ऐसे भी पहलू होते हैं जो सरकारी उद्योगों की व्यवस्था और निर्यात की मात्रा से संबंध रखते हैं। कीमतों की वृद्धि रोकने के लिये इन सभी क्षेत्रों में उचित कार्यवाही करनी होगी।

तीसरी योजना के पहिले वर्ष में वस्तुओं के थोक मूल्यों के देशनांकों में ३.६ प्रतिशत की कमी हुई। तथापि इस वर्ष आयात में थोक मूल्यों का देशनांक बढ़ कर १३१.८ हो गया जो कि पिछले वर्ष इसी समय केवल १२८.७ था। कीमतों की यह वृद्धि कई वस्तुओं के अन्तर्गत हुई है। जैसे चावल, ज्वार, बाजरा, चीनी, गुड़ तथा सामान्य उपयोग की कई वस्तुएं। सरकार इसका अध्ययन कर रही है तथा वह कीमतों की वृद्धि रोकने के लिये कोई कदम उठाने में कसर नहीं करेगी।

इस समय मुख्य कृषि उत्पादों तथा गेहूं चावल और ज्वार बाजरा, तिलहन तथा कपास के संबंध में अध्ययन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त घटिया कपड़े, मिट्टी के तेल, नमक, खाद्य, जतेल, चीनी, गुड़, कागज व दवायों इत्यादि के संबंध में भी परीक्षण किया जा रहा है। सब्जियों, दूध, गोश्त, अंड तथा मछलियों का उत्पादन बढ़ाने का प्रयत्न किया जायेगा।

विकसित अर्थ व्यवस्था में मूल्यों में इस प्रकार का उतार चढ़ाव हो सकता है जिससे चिन्ता उत्पन्न हो। अतः अनिवार्य वस्तुओं की कीमतों पर गौर किया जा रहा है। हमारी विकास योजनाओं की सहायता के लिये एक अनिवार्य शर्त यह है कि कीमतें उचित और स्थिर रहें। मूल्य नीति को लागू करने की दिशा में कुछ वैध तथा प्रशासनिक दंड तथा जनता के हित में प्रभावशाली वितरण व्यवस्था होना भी अनिवार्य है। इसके साथ साथ हमें उद्योग तथा व्यापार क्षेत्र से पूरा पूरा सहयोग प्राप्त होना चाहिये। मुनाफाखोरों, अनाज जमा करने वालों और सट्टेबाजों को समाज विरोधी तत्व करार दिया जाय सरकार को इस कार्य में सभा तथा जनमत का सहयोग अपेक्षित है।

एक माननीय सदस्य ने जनसंख्या की वृद्धि को प्रगति में बाधक बताया है। निसंदेह यह महत्वपूर्ण है और परिवार नियोजन से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों पर व्यापक रूप में अमल करना होगा।

एक माननीय सदस्य ने लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी की ओर ध्यान आकर्षित किया है। एक माननीय सदस्य ने कहा है कि यह इस बात का प्रमाण है कि सरकार आत्मपुष्ट हो कर बैठ गयी है। तथापि ऐसी बात नहीं है। वस्तुतः हमने अपनी जड़ अर्थ-व्यवस्था को सक्रिय कर दिया है।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि प्रगति की रफ्तार अन्य देशों की तुलना में कम है। तथापि जिन देशों से हम तुलना कर रहे हैं हमें उनकी बचत और विदेशी सहायता की राशि भी जाननी चाहिये। हमारे देश में घरेलू बचत केवल ८ प्रतिशत है जब कि अन्य देशों में जिनकी प्रगति की रफ्तार हमसे अधिक है उनकी बचत का प्रतिशत २३ प्रतिशत तक है। अन्य देशों को जो विदेशी सहायता मिल रही है वह प्रति व्यक्ति २.६४ प्रतिशत तक है जब कि भारत में यह प्रति व्यक्ति आर्थिक सहायता केवल .६ है।

इसके अतिरिक्त यदि कोई देश निर्माण उद्योगों के बढ़ाने तक ही सीमित रहे और पूंजी उद्योगों के विकास की ओर ध्यान न दे तो राष्ट्रीय आय की वृद्धि अधिक दिखायी जा सकती है। तथापि हमने दूसरा मार्ग अपनाया है जिसका प्रभाव अधिक स्थायी होगा। निःस्सदेह हमें इस ओर प्रयत्न करना चाहिये कि इसमें और वृद्धि हो और हम अपेक्षाकृत अधिक संसाधन प्राप्त कर सकें।

यह भी कहा गया है कि दूसरी परियोजना के लक्ष्यों में कई स्थानों में पूर्ति नहीं हुई। कई कारणों से हमें योजना में कटौती करनी पड़ी। तथापि यह कहना गलत है कि कोई भी लक्ष्य पूरे नहीं हुए। खाद्यान्नों का उत्पादन लक्ष्यों से कहीं अधिक रहा। खाद्यान्नों के उत्पादन का लक्ष्य ८०५ लाख टन रखा गया था जब कि वास्तविक उत्पादन ७९० लाख टन हुआ। निस्संदेह मैं यह स्वीकार करता हूं कि किसानों को अच्छे बीज देने, अच्छे हलों को देने तथा भूमि संरक्षण के संबंध में जो काम करना चाहिये था वह नहीं हो सका।

हम जो कुछ भी कर रहे हैं वह बुनियादी प्रकार का है। हमारी अर्थ व्यवस्था में एक नया परिवर्तन आ रहा है तथा हम उसे ऊंचे धरातल पर ला रहे हैं। पूंजीगत माल तैयार किया जा रहा है तथा हमारा मशीनी निर्माण आयोग नये प्रकार की मशीनें तैयार कर रहा है।

हमें यह स्मरण रखना चाहिय कि योजना की प्रगति प्रत्येक वर्ष में एक सी नहीं रह सकती है। समय बीतने पर कई ऐसे संसाधन उपलब्ध हो जाते हैं जिनसे बीच की दूरी कम होती जाती है। इसमें संदेह नहीं कि हम इस बात का सही अनुमान नहीं कर सके कि कुछ उद्योग कितना समय लेंगे। नयी उद्योग व्यवस्था बनाने में हमें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है वास्तविक तथ्य यह है कि हमें अपने अनुभव से लाभ उठाना चाहिये।

उद्योगों के प्रति हमारा दृष्टिकोण मौलिक और सुधारवादी होना चाहिये। औद्योगिक प्रगति के संबंध में हमारे वास्तविक देशनांक सैकड़ों वैज्ञानिक इंजीनियर, टैक्नोलोजिस्ट तथा दक्ष कर्मचारी हैं जो देश के एक कोने से दूसरे कोने में फैले हुए हैं।

इस संबंध में विशेष प्रश्न पूछे गये हैं कि राष्ट्रीय आय में पर्याप्त वृद्धि क्यों नहीं हुई और प्रगति की रफ्तार पहिले वर्षों की तरह क्यों नहीं रही। यह प्रगति सदैव एक गति से नहीं हुई। राष्ट्रीय आय में कभी ६ प्रतिशत की वृद्धि हुई तो कभी केवल २.५ प्रतिशत दूसरी योजना में कभी यह ७ प्रतिशत थी तो कभी १.८ प्रतिशत। १९६०–६१ में यह ७.१ प्रतिशत थी। इस प्रकार अर्थ व्यवस्था की प्रगति एक वर्ष की प्रगति से नहीं जानी जा सकती है क्योंकि इसमें ऐसे कारणों से जिनमें हमारा कोई नियंत्रण नहीं है परिवर्तन होते रहते हैं।

एक माननीय सदस्य ने कहा है कि आपने मानसून इत्यादि के विरुद्ध उपबंध क्यों नहीं किया है। हमने सिंचाई इत्यादि की जो परियोजनायें बनायी है वे इसी कारण हैं कि इन संकटों से मुक्ति मिले। इस प्रकार जो क्षमता पैदा होगी उनसे इस संकट में कमी आयेगी।

अब मैं विदेशी सहायता के उपयोग के बारे में कुछ शब्द कहना चाहता हूं। हम इस समस्या के प्रति जागरूक हैं। निस्संदेह पहिल कुछ विलम्ब हुआ है। विदेशी ऋणों के संबंध में प्रक्रिया बहुत जटिल होती है जिससे विलम्ब होता है। दूसरी ओर राज्य सरकारों की टेक्नीकल तथा प्रशासनिक दुर्बलता के कारण भी विलम्ब हो जाता है।

विहित शर्तों के अनुसार भी कुछ ऋणों का अन्य ऋणों की तुलना में शीघ्रता से उपयोग हो सकता है। गैर सरकारी क्षेत्रों में ऋण का उपयोग सरकारी क्षेत्रों की तुलना में और भी कम रहा है। उनकी स्थिति देखते हुए तो मुझे चिन्ता हो रही है। इसके अतिरिक्त जो आंकड़े उद्धृत किये गये थे वे भी कभी कभी सही नहीं होते हैं। वास्तविक स्थिति इतनी खराब नहीं है जितनी बतायी गयी है। तथापि यह स्थिति आ गयी है कि हम ऋणदाता देशों से यह कहें कि वे ऋण की शर्तों में ढील देवें।

योजना के लक्ष्यों के प्राप्त न होने में ठीक तरह क्रियान्वित न होने का भी बड़ा हाथ है। वस्तुतः हमने जितनी राशि विनियोजित की है उससे अच्छे परिणाम प्राप्त होने चाहियें। मैं किसी विशेष विभाग या संस्था को दोष नहीं दे रहा हूं। तथापि हम इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं कि दोष कहां हैं और उनका क्या उपचार किया जा सकता है। हमें एसा तरीका ईजाद करना चाहिये कि हम सफलता और असफलता के बारे में तत्काल पता लगा सकें।

इस संबंध में यह बात भी बता देना चाहता हूं कि हमें यह समझना चाहिये कि हमारी अर्थ-व्यवस्था का बहुत बड़ा अंश गैर सरकारी क्षेत्र पर निर्भर करता है। मेरे विचार से गैर सरकारी क्षेत्र के सभी लोग राष्ट्र के प्रति यथोचित रूप से जिम्मेदार नहीं हैं। वे लोग केवल मुनाफे पर दृष्टि रख कर कार्य करते हैं। वे कुशलता या वस्तुओं की किस्में सुधारने के संबंध में अधिक सचेष्ट नहीं हैं।

मैं यह बताना चाहता हूं कि टेलीफोनों की संख्या में बहुत वृद्धि हुई है। यह संख्या १९५०–५१ में १,६८,००० थी जो १९६५–६६ में बढ़ कर ६,६०,००० हो जायेगी।

यदि हम यह चाहते हैं कि बालकों का पालन पोषण भली प्रकार से हो, उनकी शिक्षा स्वास्थ्य इत्यादि के प्रति ध्यान दिया जाये तो हमें योजना के लिये काम करना होगा। अन्यथा हमें सफलता नहीं मिल सकेगी। मेरे विचार से राष्ट्र की क्षमता में पर्याप्त वृद्धि हो गयी है अतः हमें विश्वास है कि इन संभावनाओं के आधार पर हम काफी प्रगति कर सकते हैं।

†**श्री मोरारका** : योजना के संबंध में श्री वी० के० आर० वी० राव ने आजाद मेमोरियल भाषणों के दौरान यह कहा है कि वे योजना की प्रगति से सहमत हैं।

श्री ढ़ेबर ने यह कहा है कि देश की ६० प्रतिशत से अधिक जनसंख्या को केवल राष्ट्रीय आय का ३० प्रतिशत मिलता है तथापि अन्य देशों से तुलना करने पर यह ज्ञात होगा कि अन्य देशों में भी यह प्रतिशत हम से अधिक ही है। उदाहरणार्थ स्वीडन में ६० प्रतिशत जनता को राष्ट्रीय आय का ३३.९ प्रतिशत, नीदरलैंड में २९.५ प्रतिशत इजराइल में ३५ प्रतिशत, इटली में ३१ प्रतिशत मिलता है।

मैं माननीय सदस्य को यह भी बताना चाहता हूं कि रूस में परियोजनाओं में काम करने वाले मजदूरों को मजदूरी के रूप में भारत से कम मजदूरी मिलती है उन्हें सामान और सेवाओं के रूप में भी भारत से कम मिलता है। श्री नाथ पाई ने अपना प्रस्ताव रखा है जिस का उद्देश्य है कि योजना के लक्ष्यों में कटौती नहीं की जाये। वे चाहते हैं कि जनता के हृदय से योजना के सम्बन्ध में भ्रांति हटा दी जाये मेरे प्रस्ताव का अभिप्राय यही है तथापि शब्दावली में अन्तर है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब मैं श्री मुरारका का मुख्य प्रस्ताव रखूंगा।

प्रश्न यह है :

"कि यह सभा पंच वर्षीय योजना के लक्ष्यों में गम्भीर कमी और तीसरी पंच वर्षीय योजना लागू करने के बारे में देश में बढ़ती हुई आशंकाओं पर विचार करती है।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा २२ अगस्त, १९६२ को सभा पटल पर रखे गये वक्तव्य में बताई गई तीसरी पंचवर्षीय योजना की प्रगति पर विचार करती है और इस को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने का सुनिश्चय करने वाले उपायों का सामान्यतः अनुमोदन करती है"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

इस के पश्चात् लोक सभा मंगलवार, २८ अगस्त, १९६२/६ भाद्र, १८८४ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

सोमवार, २७ अगस्त, १९६२

५ भाद्र, १८८४ (शक)

विषय	**पृष्ठ**
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	१९९९—२०२६
तारांकित प्रश्न संख्या	
६१२ भविष्य निधि में अंशदान	१९९९—२००१
६१३ बैंक पंचाट	२००१—०३
६१४ भारी रसायन और भेषजीय रसायन का निर्यात	२००३—०५
६१५ भारत में राकेट छोड़ने वाला केन्द्र	२००५—०८
६१६ लंका में भारतीय उद्भव के राज्यविहीन व्यक्ति	२००८-०९
६१८ कांगो	२०१०—१२
६१९ राजनयिक अधिकारियों के लिये फ्लैट	२०१२—१४
६२० रूई के मूल्य	२०१४—१६
६२१ गोला बारूद का आयात	२०१६—१८
६२२ कच्चे काजुओं का आयात	२०१९-२०
६२४ नेपाल द्वारा चीन को पैट्रोल और पैट्रोलियम उत्पादों का निर्यात	२०२०-२१
६२५ यूरोपीय देशों में चाय केन्द्र	२०२१—२३
६२६ फिल्म पोस्टर	२०२४—२६
प्रश्नों के लिखित उत्तर	२०२६—६९
तारांकित प्रश्न संख्या	
६१७ केरल में खनिज निक्षेप	२०२६-२७
६२३ गोआ से अयस्क का निर्यात	२०२७
६२७ केरल में जस्ता पिघलाने का कारखाना	२०२७
६२८ दिल्ली में कर्मचारी राज्य बीमा योजना	२०२७
६२९ राज्य व्यापार निगम	२०२८

	विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--जारी

प्रतारांकित प्रश्न संख्या

६३०	टेपिओका, मांड आदि का निर्यात	२०२९
६३१	भारत विरोधी प्रचार . .	२०२९
६३२	दक्षिण अफ्रीका में भारतीय . .	२०३०
६३४	त्रावनकोर में टिटेनियम उद्योग .	२०३०
६३५	मंत्रालयों में बोर्ड तथा समितियां . .	२०३०
६३६	भूटान में डाक व्यवस्था .	२०३१
६३७	भारत तथा जर्मन लोकतन्त्रात्मक गण राज्य के बीच व्यापार	२०३१
६३८	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये क्वार्टर	२०३१–३२
६३९	चश्मे आदि के शीशे बनाने का कारखाना	२०३२
६४०	सरकारी कार्यालयों का स्थानान्तरण .	२०३२
६४१	तीसरी योजना के लिये संयुक्त उत्पादन कार्यक्रम .	२०३२–३३
६४२	भारत और जापान में आर्थिक विकास सम्बन्धी अध्ययन लिये समिति	२०३३–३४

प्रतारांकित प्रश्न संख्या

१७३४	वस्त्र, चाय आदि का निर्यात . .	२०३४–३५
१७३५	हिमाचल प्रदेश में विकास योजनायें	२०३५
१७३६	चाय बागान . . .	२०३५--३७
१७३७	संयुक्त राष्ट्र संघ में नौकरी करने वाले भारतीय	२०३८
१७३८	दिल्ली में निष्कान्त दूकानें और मकान	२०३८
१७३९	मद्रास राज्य में प्रादेशिक श्रम संग्रहालय	२०३८–३९
१७४१	रबड़ के नये बगीचे	२०३९
१७४२	कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अधीन उड़ीसा के लिये अस्पताल	२०३९–४०
१७४३	दूसरी योजना के दौरान उड़ीसा को सहायता	२०४०
१७४५	आदिम जाति लोक गीतों का प्रसारण	२०४०–४१
१७४६	आन्ध्र प्रदेश में हथकरघा उद्योग	२०४१
१७४७	आन्ध्र प्रदेश में औद्योगिक बस्तियां	२०४१
१७४८	आन्ध्र प्रदेश में केन्द्रीय परियोजनायें	२०४१
१७४९	आन्ध्र प्रदेश में किसानों के लिये रोजगार . .	२०४२

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१७५०	आन्ध्र प्रदेश में गन्दी बस्तियों का हटाना	२०४३
१७५१	रामकृष्णमपुरम्, नई दिल्ली में क्वार्टर	२०४३–४४
१७५२	दिल्ली में औद्योगिक बस्तियां .	२०४४–४५
१७५३	बायलर निरीक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिये बिदेशी विशेषज्ञों की नियुक्ति	२०४५–४६
१७५४	सिलाई की मशीनें .	२०४६
१७५५	पासपोर्ट कार्यालय का कार्य	२०४७
१७५६	कोयला खानों में दुर्घटनायें .	२०४७–४८
१७५७	राज्य व्यापार निगम .	२०४८
१७५८	अपंजीबद्ध गोदी कर्मचारी (रोज़गार विनियमन) योजना	२०४८–४९
१७५९	कानपुर कपड़ा कमिटी, कानपुर .	२०४९
१७६०	व्हिटले परिषदों का संगठन	२०४९–५०
१७६१	तीसरी योजना और राज्य	२०५०
१७६२	निशस्त्रीकरण सम्मेलन	२०५०–५१
१७६३	ईंधन औद्योगिक सेवा संगठन	२०५१
१७६४	केन्द्रीय उद्योग विस्तार प्रशिक्षण संस्था, हैदराबाद	२०५१–५२
१७६५	औद्योगिक डिजाइन की राष्ट्रीय संस्था, अहमदाबाद . .	२०५२–५३
१७६६	"जर्नल आफ इंडस्ट्री एण्ड ट्रेड" . .	२०५३
१७६७	उत्पादन रुक जाना .	२०५३
१७६८	तस्कर व्यापार . .	२०५४
१७६९	गोआ का भूतत्वीय सर्वेक्षण	२०५४
१७७०	तिरुचेदूर तालुक, मद्रास में नमक का निर्माण . .	२०५४–५५
१७७१	विस्थापित लोगों के भूमि आवंटनों का रद्द किया जाना .	२०५५
१७७२	पारपत्र	२०५५–५६
१७७३	बिहार में नरसाही जंगल के कुछ भाग पर नैपाल का दावा .	२०५६
१७७४	केरल में खादी और ग्राम उद्योग .	२०५६
१७७५	गोआ में हथियारों का बरामद किया जाना .	२०५६–५७
१७७६	केरल में सूत का भाव .	२०५७–५८
१७७७	तिब्बत में भारतीय व्यापारी	२०५८
१७७८	कछार में उद्योगपति . .	२०५८

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१७७६ राजस्थान सीमा पर पाकिस्तानियों द्वारा आक्रमण . . २०५६
१७८० अन्तर्राष्ट्रीय टीन परिषद् . . . २०५६
१७८१ आन्ध्र प्रदेश के लिये अतिरिक्त अभ्यंश का आवंटन . . २०६०
१७८२ डा० आओ का हत्यारा . . २०६०
१७८३ मूंगफली का तेल २०६०
१७८४ पंजाब में निष्क्रान्त सम्पत्ति की खरीद . . . २०६१
१७८५ भारत में पुर्तगाली बस्तियों से निर्वाचन . . २०६१
१७८६ नेपालियों द्वारा भारतीयों की गिरफ्तारी . . . २०६२
१७८७ श्रमिक सहकारी समितियां . . २०६२
१७८८ त्रिपुरा प्रशासन मुद्रणालय, अगरताला . २०६२–६३
१७८९ बेरोजगार व्यक्तियों को अकर्म वेतन . . . २०६३
१७९० पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों को ऋण . . . २०६३–६४
१७९१ नई दिल्ली में "स्पेशल ई" और "स्पेशल एफ" श्रेणी के क्वार्टरों में भेद दूर करना २०६४
१७९२ आसाम के गांव पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा . . १०६४–६५
१७९३ जानवरों की साफ की हुई आंतों का जापान को निर्यात . २०६५
१७९४ जानवरों की साफ की हुई आंतों का निर्यात . . . २०६५–६६
१७९५ उड़ीसा खान मजदूरों द्वारा हड़ताल करने का निर्णय . . २०६६
१७९६ मनीपुर में ओवरसियरों की भर्ती . . . २०६६
१७९७ दक्षिण पूर्व एशिया को भारतीय व्यापार शिष्ट मंडल . २०६६–६७
१७९८ ब्रिटेन को निर्यात २०६७
१७९९ औद्योगिक बस्तियां २०६७–६८
१८०० कोरट्टी में सहकारी मुद्रणालय के लिये मशीन . . २०६८
१८०२ कीटाणुनाशक औषधियों का निर्माण . . . २०६८
१८०३ ट्रांसमीटर . २०६९

सभा पटल पर रखे गये पत्र २०६९–७१

(१) देश में बाढ़ स्थिति के बारे में एक वक्तव्य और उस पर दो वक्तव्य ।

विषय पृष्ठ

(२) प्रत्येक के सामने बताये गये विभिन्न अधिवेशनों में मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों और प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही बताने वाले निम्नलिखित विवरण :—

(एक) अनुपूरक विवरण संख्या २ पहाला सत्र, १९६२ (तीसरी लोक सभा)

(दो) अनुपूरक विवरण संख्या ३ सोलहवां सत्र, १९६२ (दूसरी लोक-सभा)

(तीन) अनुपूरक विवरण संख्या ५ पन्द्रहवां सत्र, १९६१ (दूसरी लोक-सभा)

(चार) अनुपूरक विवरण संख्या ६ चौदहवां सत्र, १९६१ (दूसरी लोक-सभा)

(पांच) अनुपूरक विवरण संख्या १४ तेरहवां सत्र, १९६१ (दूसरी लोक-सभा)

(छ) अनुपूरक विवरण संख्या २३ दसवां सत्र, १९६० (दूसरी लोक-सभा)

(३) उन मामलों का विवरण जिस में ३० जून, १९६२ तक समाप्त होने वाली छमाही के दौरान इयन्डिया स्टोर डिपार्टमेंट, लन्दन और इंडिया सप्लाई, मिशन, वाशिंगटन द्वारा निम्नतम टेन्डर स्वीकार नहीं किये गये ।

(४) प्रशुल्क आयोग अधिनियम, १९५१ की धारा १६ की उप धारा (२) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(एक) सुरमा उद्योग के संरक्षण के पुनरीक्षण पर प्रशल्क आयोग का प्रतिवेदन (१९६२)

(दो) दिनांक २० अगस्त, १९६२ का सरकारी संकल्प संख्या ४(१)—टी० आर० /६२ (हिन्दी रूपान्तर सहित)

(तीन) यह कारण बताने वाला एक विवरण की ऊपर के (एक) और (दो) में उल्लिखित दस्तावेज उक्त उप-धारा के अधीन निर्धारित अवधि में टेबल पर क्यों नहीं रखे जा सके ।

(५) पश्चिमी जर्मनी, अमरीका और जापान में उद्योगों को प्रोत्साहन के बारे में भारतीय उत्पादकता दल के प्रतिवेदन की एक प्रति ।

(६) औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ की धारा ३८ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत दिनांक ११ अगस्त, १९६२ की अधि-सूचना संख्या जी० एस० आर० १०७८ में प्रकाशित औद्योगिक विवाद (केन्द्रीय) संशोधन नियम, १९६२ एक प्रति ।

विधेयक पुरस्थापित २०७१–७३

गन्ना नियंत्रण (अतिरिक्त शक्तियां) विधेयक

तीसरी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों में कमी के बारे में प्रस्ताव २०७३–२१०७

२२-६-६२ को श्री नाथपाई द्वारा तीसरी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यो कमी के बारे में प्रस्ताव पर तथा २५-८-६२ को श्री मुरारका द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव

विषय **पृष्ठ**

पर अग्रेतर चर्चा जारी रही । श्री नाथ पाई द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ तथा श्री मुरारका द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

मंगलवार २८ अगस्त, १९६२/६ भाद्र, १८८४ (शक) के लिये कार्यावलि

संविधान (तेरहवां संशोधन) विधेयक, १९६२ तथा नागालैंड राज्य विधेयक १९६२ पर विचार तथा पारित किया जाना ।

GMGIPND—LS III—1731 (Ai) LSD—27-12-62—140